श्रीकृष्ण 'सरल'

रामप्रसाद बिस्मिल

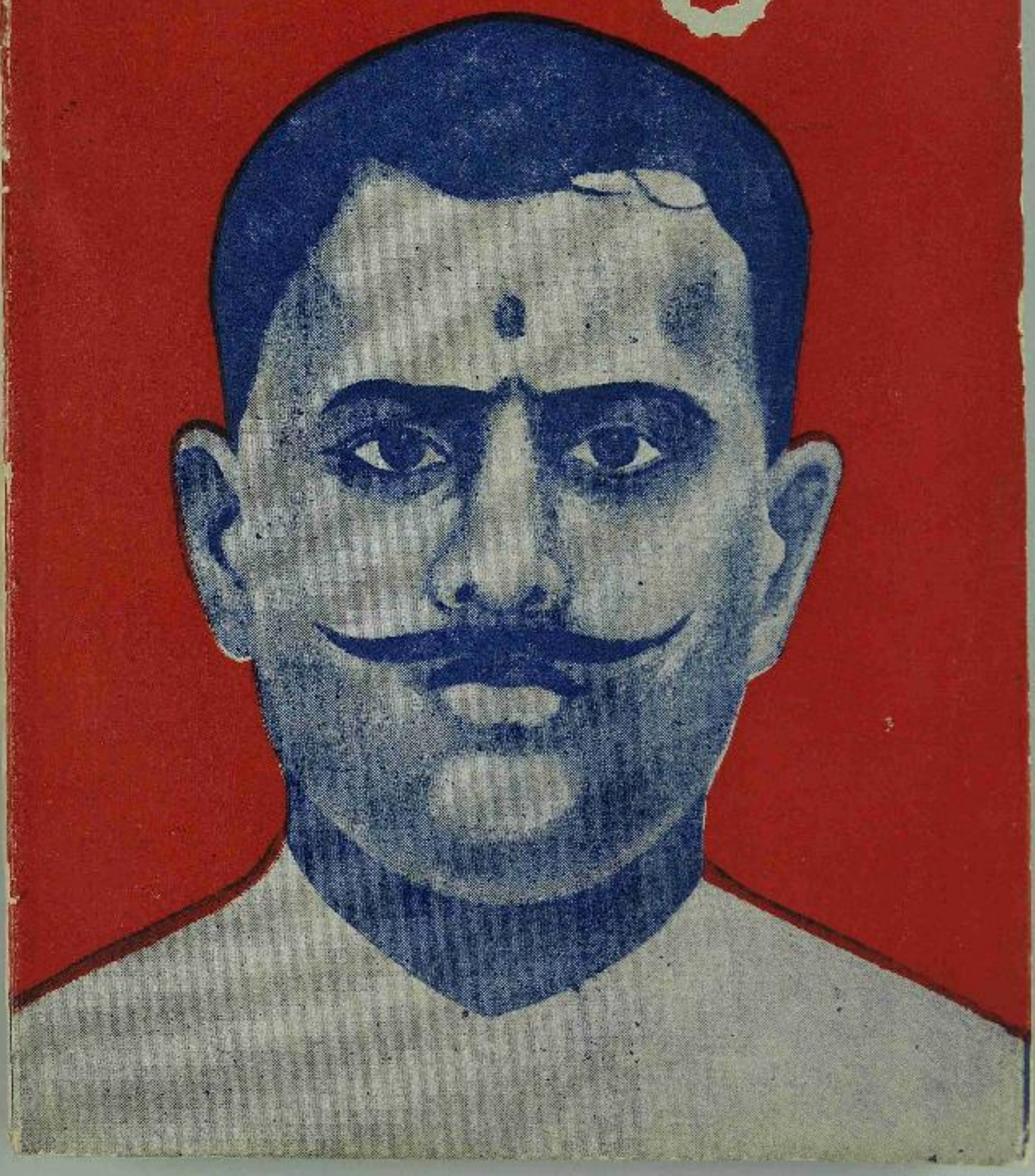

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

सरल-साहित्य : ४४.

क्रान्तिकारी शहीद

रामप्रसाद बिस्मिल

सभी तथ्य : इतिहास-जैसे सत्य

लेखक

श्रीकृष्ण 'सरल'

प्रकाशक

राष्ट्रीय प्रकाशन

१८, दशहरा मैदान (अनुपूरक)

उज्जैन, मध्यप्रदेश

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

प्रकाशक :
राष्ट्रीय प्रकाशन
१८, दशहरा मैदान (अनुपूरक)
उज्जैन, मध्यप्रदेश

प्रथम संस्करण :
९ अगस्त १९८३ ई०

सर्वाधिकार : लेखकाधीन

मूल्य : ५/-

मुद्रक :
प्रियंवदा प्रेस
नौबस्ता, आगरा-२

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

समर्पित

काकोरी-केस के महान् क्रान्तिकारी, महान् योद्धा तथा अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के विश्वस्त साथी श्रद्धेय रामकृष्ण खत्री को श्रद्धा-सह।

—श्रीकृष्ण 'सरल'

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

आत्म-कथ्य

काकोरी-केस के अधिकांश क्रान्तिकारियों से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। व्यक्तिगत रूप से जो जानकारी उनसे मिली उसका भरपूर उपयोग प्रस्तुत कृति के लेखन में किया गया है। अन्य लेखकों ने इस विषय पर जो कुछ लिखा है, उसमें से कुछ का उपयोग भी मैंने किया है। मैं उन महान् लेखकों और उनकी कृतियों के प्रकाशकों के प्रति आभारी हूँ। इस कृति में जो त्रुटियाँ हैं, वे मेरी हैं और जो कुछ अच्छा है, वह उस महान् कृती का है जो आजादी की बलि-वेदी पर आत्माहुति दे गया।

श्रीकृष्ण 'सरल'

१८, दशहरा मैदान
(अनुपूरक)
उज्जैन, मध्यप्रदेश

९ अगस्त १९८३ ई०

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

"तुम्हारा नाम क्या है ?"

"जी, मेरा नाम रामप्रसाद 'बिस्मिल' है।"

"यह रामप्रसाद तो समझ में आया, लेकिन यह बिस्मिल समझ में नहीं आया। क्या वह तुम्हारा गोत्र है ?"

"जी नहीं, 'बिस्मिल' मेरा गोत्र नहीं, यह मेरा तखल्लुस अर्थात् शायरी का उपनाम है।"

"तो क्या तुम इतनी कम उम्र में शायरी भी कर लेते हो ?"

"शायर होने का दावा तो नहीं कर सकता स्वामीजी ! शब्दों का कुछ जोड़-तोड़ कर लेता हूँ, उसी को शायरी कहने लगा हूँ।"

"क्या तुम उर्दू पढ़े हो ?"

"जी, बात यह है कि अभी उर्दू पढ़ने की शुरूआत ही की है। अभी तो मैंने मिडिल पास भी नहीं किया है।"

"अभी उर्दू पढ़ने की शुरूआत ही की है और लगे शायरी करने। क्या इश्किया चीजें लिखते हो ?"

"जी नहीं स्वामी जी ! मैं देशभक्ति की शायरी करता हूँ।"

"अच्छा देशभक्ति की शायरी करते हो। तब तो बड़े अच्छे लड़के हो। अच्छा यह तो बताओ कि मेरे पास क्यों आए हो ?"

यह प्रश्न किया स्वामी सोमदेव ने शाहजहाँपुर के एक बालक रामप्रसाद बिस्मिल से। स्वामी सोमदेव आर्यसमाज के एक विद्वान प्रचारक थे। वैसे तो वे आर्यसमाज के वार्षिक जलसे में दो बार शाहजहाँपुर पहुँच चुके थे, लेकिन तीसरी बार जब वे वहाँ पहुँचे, तो शाहजहाँपुर के लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया। यद्यपि स्वामी सोमदेव शरीर से दुबले-पतले थे, लेकिन उनके शरीर में योगाभ्यास जन्य स्फूर्ति और तेजी थी और उनके चेहरे पर तेज था। उनकी वाणी बहुत स्पष्ट, खरी और प्रभावशाली थी। जब वे व्याख्यान देते तो लोगों

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

को बाँध लेते थे। उनके भाषण के माध्यम से उनके गहन अध्ययन और चिन्तन का परिचय मिलता था। उनकी विद्वत्ता का अधिक लाभ उठाने की दृष्टि से ही शाहजहाँपुर निवासियों ने अपने नगर में बसने का उनसे अनुरोध किया था और उन्होंने यह अनुरोध स्वीकार भी कर लिया था।

अन्य लोगों की अपेक्षा किशोर छात्र रामप्रसाद बिस्मिल स्वामी सोमदेव जी से विशेष रूप से प्रभावित था और वह उन्हें अपना गुरू बनाना चाहता था। रामप्रसाद बिस्मिल एक स्थानीय नागरिक श्री मुरलीधर का पुत्र था। किसी हद तक वह एक बिगड़ा हुआ छात्र था और अपनी इस स्थिति से उसे ग्लानि भी थी और अपने सुधार की आत्म-प्रेरणा के फलस्वरूप ही वह आर्यसमाज-मन्दिर में पहुँच कर स्वामी सोमदेव जी से मिला था। जब स्वामी जी ने उससे आने का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया—

"स्वामी जी, मैंने आपके प्रवचन सुने हैं और मुझे ऐसा लगता है, जैसे आप मेरे लिए ही शाहजहाँपुर आकर ठहरे हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होकर आपसे कुछ सीखूँ और अपने जीवन को सुधारूँ।"

स्वामी सोमदेव का अगला प्रश्न था—

"मैं यहाँ ठहरा ही हूँ, इसलिए तुम नियमित रूप से मेरे पास आओ तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इसकी अनुमति मैं तुम्हें तभी दूँगा जब तुम अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, दोनों ही खुले रूप में मेरे सामने उसी प्रकार रख दोगे, जिस प्रकार एक मरीज किसी डॉक्टर को अपने विषय में सब कुछ बता देता है। यदि तुमने मुझसे कुछ दुराव किया तो इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारे सुधार में कोई कमी रह जाएगी और वह कमी तुम्हें जीवन भर दुःख देगी। हाँ अपने जीवन का कच्चा चिट्ठा मेरे सामने खोल कर रख दो।"

रामप्रसाद बिस्मिल स्वामी जी के कथन से प्रभावित हुआ और उसने अपने विगत जीवन के पृष्ठ उनके सामने इस प्रकार खोल कर रखे—

"स्वामी जी, मैं एक ब्राह्मण-बालक हूँ। मेरे पिता श्री मुरलीधर इस

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

समय तो आर्थिक दृष्टि से संतोषजनक स्थिति में हैं लेकिन उन्होंने बहुत ही गरीबी और कष्ट के दिन बिताए हैं। भयंकर दुर्भिक्ष पड़ने के कारण जिस समय मेरे पितामह ग्वालियर राज्य छोड़कर यहाँ आए, उस समय अपने परिवार का पेट भरने के लिए उन्हें तथा मेरी दादी जी को घोर कष्ट सहन करने पड़े थे। मेरे पिताजी ने बड़े होकर श्रम और स्वावलम्बन के शतारे अपने दिन बदल लिए और अब हम सामान्य रूप से सुखी हैं। मेरे पिता को यदि कोई कष्ट है तो यह कि मैं उनका एक बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। मैंने गन्दे लड़कों की संगति की है और गन्दे उपन्यास पढ़ने के लिए घर से पैसे चुराने का काम भी किया है। वैसे अभी तक मैं चरित्रहीनता के दोष से बचा हुआ हूँ।

रामप्रसाद बिस्मिल का यह वक्तव्य सुन कर स्वामी सोमदेव ने एक दीर्घ 'हूँ' की ध्वनि करते हुए कहा—

"तुम ठीक समय पर मेरे पास आ गए हो और तुम सचमुच ही एक बहुत भले आदमी बन जाओगे। वैसे मैं कोई ज्योतिषी या हस्त-रेखा-विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर तुम्हारे चेहरे को देख कर मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि तुमने स्वयं सुधरने का संकल्प किया तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी बन जाओगे जो अपने जीवन में और मरने के बाद भी लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं।"

रामप्रसाद बिस्मिल को स्वामी जी के मुख से अपने विषय में यह सुन कर बहुत अच्छा लगा। उसके अन्दर आत्म-विश्वास की भावना उत्पन्न होती हुई दिखाई दी। स्वामीजी के पैर पकड़ कर उसने कहा—

"गुरुदेव ! आप मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए।"

स्वामीजी ने कहा—

"कल इसी समय फिर आना। मैं तुमसे कुछ और बातें करूँगा।"

◇ ◇ ◇

अगले दिन स्वामीजी ने देखा कि रामप्रसाद बिस्मिल ठीक समय पर उपस्थित हो गया है। उसे देखकर उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा—

"आइए बिस्मिल जी ! आपका स्वागत है।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अपने लिए यह सम्बोधन सुन कर रामप्रसाद बिस्मिल ने स्वामी सोमदेव जी के चरण षकड़ लिए और कहा—

"स्वामीजी ! इस प्रकार का संबोधन करके आप मुझे लज्जित न कीजिए। मैं तो आपके लिए बिलकुल बच्चे के समान हूँ। आप मुझे केवल रामप्रसाद कह कर बुलाइए।"

"अच्छा रामप्रसाद ! मैं तुम्हारे प्रस्ताव से सहमत हूँ। आओ, मेरे सामने बैठो। मैं तुम्हारी कुछ बातें सुनूँगा और तुमसे कुछ कहूँगा। संयोग से इस समय मेरे पास कुछ फल रखें हैं। तुम उन्हें धोकर ले आओ और काट कर रखों।"

रामप्रसाद ने स्वाथीजी की आज्ञा का पालन किया। स्वामीजी ने रामप्रसाद से भी फल खाने के लिए कहा। रामप्रसाद का उत्तर था—

"स्वामीजी ! पहले आप जी भरकर फलों का सेवन कर लें। कुछ बचेगा तो मैं खा लूँगा। वह मेरे लिए प्रसाद हो जाएगा।"

"अच्छा ! अच्छा ! वैसे तुम्हें फल खाने का शौक भी होगा ?"

"जी हाँ, स्वामीजी! मुझे फल का का शौक है और मार खाने का भी।"

"भई रामप्रसाद ! तुम्हारी यह मार खाने वाली बात समझ में नहीं आई क्या इस बात का तनिक स्पष्टीकरण दोगे।"

"जी हाँ, स्वामीजी ! बात यह है कि मुझे वृक्ष से तत्काल के टूटे हुए ताजे फल खाने की आदत है और इस प्रकार के फल मैं खरीदकर नहीं, बगीचों से चुराकर खाता हूँ और दोस्तों को खिलाता हूँ। बगीचे का रखवाला तो क्या खाकर मुझे पकड़ेगा। हाँ, वह मेरे पिताजी से शिकायत कर देता है और तब पिताजी मेरी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं। कभी-कभी होता यह भी है कि कोई दूसरी टोली फल चुराकर खा जाती है और शिकायत मेरी कर दी जाती है। इस प्रकार कभी-कभी निरपराध होने पर भी मेरी पिटाई हो जाती है। एक बार तो पिताजी ने बन्दूक के गज से मुझे इतना मारा कि मैं पिटते-पिटते बेहोश होगया।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

"क्या अभी भी बगीचों से फल चुराने की तुम्हारी आदत बनी हुई है ?"

"जी नहीं, जब से माताजी ने मुझे समझाया है, मैंने अपनी यह बुरी आदत छोड़ दी है।"

"अच्छा, तो तुम अपनी माताजी का कहना मान लेते हो।"

"जी हाँ, स्वामीजी ! अभी तक माताजी के प्रभाव के कारण मैं पतित होने से बचा हुआ हूँ और अब मेरा उद्धार करने के लिए आप आगए हैं। कृपया अब आप उपदेश के रूप में मुझे कुछ देने की कृपा करें।"

"ठीक है रामप्रसाद ! पहली बात तो यह है कि तुम समझ लो कि तुम सुधर गए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भूलों के लिए पश्चाताप करता है वह सुधार की तरफ ही बढ़ता है और यदि वह कुछ अच्छी बातों का पालन करे तो निश्चित रूप से अच्छा आदमी बन जाता है। तुम्हारी उम्र के हिसाब से ही मैं कुछ बातें तुम्हें बताऊँगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जन्म किस सन् में हुआ ?"

"जी हाँ, जब स्कूल में मेरा नाम लिखा गया था तो पिताजी ने मेरा जन्म-सन् १८९७ ई० लिखाया था। तारीख और महीना तो मुझे याद नहीं।

"कोई बात नहीं, सन् ही काफी है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय तुम्हारी अवस्था लगभग पन्द्रह वर्ष की है। हाँ, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। तुम्हारा जन्म सन् १८९७ ई० का है और सन् १८९७ ई० में ही स्वामी विवेकानन्द यूरोप और अमेरिका में भारतीय अध्यात्म की विजय-पताका फहराकर लौटे थे और यात्रा के पश्चात् भारत-भूमि पर पैर रखते ही उन्होंने भारतवासियों से कहा था—

"आगामी पचास वर्षों के लिए यह जननी-जन्मभूमि भारत-माता ही आराध्य-देवी बन जाय। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी-देवताओं के हट जाने से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जाग्रत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो, दूसरे देवी-देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी-देवताओं को हम देख नहीं पाते,

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

उनके पीछे हम बेकार क्यों दौड़ें, और जिस विराट् देवता को हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसी की पूजा क्यों न करें ? जब हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे, तभी हम दूसरे देवी-देवताओं की पूजा करने के योग्य होंगे, अन्यथा नहीं।"

देशवासियों के नाम स्वामी विवेकानन्द का यह सन्देश रामप्रसाद बिस्मिल को बहुत पसन्द आया। अपना हर्ष प्रकट करते हुए उसने कहा—

"स्वामीजी ! यह सन्देश सचमुच ही बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो इसके अतिरिक्त भी व्यक्तिगत रूप से अपने लिए आपसे कुछ उपदेश चाहता हूँ।"

"अच्छा रामप्रसाद ! तुम्हारे लिए मेरा उपदेश यही है कि अपने जीवन को देश की धरोहर समझकर उसका संरक्षण और संवर्द्धन करो। यदि जाने या अनजाने तुम अपने स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाओगे तो इस प्रकार तुम देश को हानि पहुँचाओगे। अलंकरण केवल तन का ही नहीं, मन का भी करो। कुछ सामान्य नियम हैं, जिनका पालन करने से तुम तन और मन का अलंकरण कर सकोगे। वे नियम हैं—

१. अभी तुम विद्यार्थी हो, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर विद्याभ्यास करो। तुम्हें संस्कृत का अध्ययन भी करना चाहिए।
२. प्रातः बहुत शीघ्र उठकर और प्रातः कर्मादि से निवृत्त होकर व्यायाम अवश्य करो।
३. भोजन सादा हो और सीमित मात्रा में हो। तुम्हें जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना।
४. समाज और देशवासियों की सेवा के कुछ न कुछ काम अवश्य करो, और—
५. अच्छे काम करके अपना आत्म-बल बढ़ाओ।

अपने लिए ये निर्देश सुनकर रामप्रसाद बिस्मिल ने स्वामीजी के चरण छुए और कहा—

"स्वामीजी ! मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करूँगा और जीवन में यदि कुछ अच्छा काम कर सका तो उसे आपकी ही देन समझूँगा।"

◇ ◇ ◇

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

शाहजहाँपुर के बाजार में एक नौजवान एक दूकान पर हवन की कुछ सामग्री खरीद रहा था। उस नौजवान की उम्र लगभग सोलह-सत्रह वर्ष की थी। वह खादी का कुर्ता और धोती पहने हुए था और पैरों में बढ़िया देशी चप्पल। उसका चेहरा रौबीला था और उस चेहरे पर नई-नई नुकीली मूँछें बहुत फब रही थीं। नौजवान का बदन भरा हुआ और कसरती था। जब वह नौजवान उस दूकान पर पहुँचा तो दूकानदार और वहाँ पहले से बैठे हुए कुछ ग्राहकों ने गौर से उसको देखा। वे लोग उस नौजवान को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। आखिर उस दूकानदार ने ही उससे पूछा—

"लगता है, आप कहीं बाहर से यहाँ आए हैं ?"

इस प्रश्न को सुनकर नौजवान को कुछ विचित्र-सा लगा। उसने संयत और संतुलित भाषा में दूकानदार को उत्तर दिया—

"गोकुल चाचा ! यह मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, जो अपने नगर के लोग ही मुझे परदेशी समझ बैठे हैं।"

अपने नाम का संबोधन सुन दूकानदार की हैरानी कुछ और बढ़ी और अपने स्वर को अधिक विनम्र बनाते हुए उसने फिर कहा—

"क्षमा करना बेटे ! तुम्हें पहचानने में मुझे सचमुच ही परेशानी हो रही है। क्या तुम मेरी परेशानी दूर करोगे ?"

"गोकुल चाचा ! मैं आपके पुत्र मनोहर का सहपाठी हूँ और उसके साथ आपके घर आता-जाता रहा हूँ। आश्चर्य है, आप मुझे नहीं पहचान पा रहे।"

"अरे ! क्या तुम मुरली भाई के बेटे रामप्रसाद हो ? कितने बदल गए हो तुम। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा काया-कल्प हो गया है। इतना अच्छा परिवर्तन तुम में कैसे आया बेटे !"

अन्य ग्राहकों ने भी आश्चर्य-चकित दृष्टि से युवक की ओर देखा और उनमें से एक पूछ बैठा—

"क्या 'बिस्मिल' के नाम से शायरी करने वाले रामप्रसाद तुम्हीं हो ?"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

"हाँ चाचा ! मैं ही हूँ। आप सभी लोग मुझ में हुए परिवर्तन को देख-देख कर आश्चर्य कर रहे हैं और सच बात तो यह हैं कि स्वयं में हुए परिवर्तन से मैं भी चकित हूँ, लेकिन यह सब किसी दैवीय घटना वश या जादू के प्रभाव से नहीं हुआ है। यह सब कुछ आर्य-समाज मन्दिर में निवास कर रहे स्वामी सोमदेवजी की कृपा का ही फल है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही मेरी काया-पलट हुई है।"

रामप्रसाद बिस्मिल ने उन लोगों को बताया कि किस प्रकार स्वामीजी के विचारों से वह प्रभावित हुआ और उनके उपदेशों को ग्रहण कर वह उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगा। उसने अपना यह विश्वास भी व्यक्त किया कि हर बिगड़ा हुआ नौजवान संकल्पित होकर यदि सुधरने का प्रयास करे तो वह निश्चित रूप से सुधर सकता है।

सब लोग उसकी बातें बड़े आश्चर्य के साथ सुनते रहे और जब वह चला गया तो उसके पश्चात् भी वे लोग उसी के विषय में बातें करते रहे।

◇ ◇ ◇

पंजाब में उन दिनों गदर-पार्टी के क्रान्तिकारियों पर लाहौर-षड्यंत्र-केस नाम से मुकदमा चल रहा था। गदर-पार्टी के क्रान्तिकारी वे भारतीय लोग थे जो व्यापार या मेहनत-मजदूरी करने की दृष्टि से अमेरिका और कनाडा पहुँचे थे। गुलाम देश के निवासी होने के कारण वहाँ उन्हें बहुत तिरष्कृत और अपमानित किया जाता था। वहाँ के लोग उन्हें होटलों में नहीं ठहरने देते थे और उनकी ओर देखकर थूक भी दिया करते थे। इस सब का कारण केवल यही था कि वे लोग गुलाम भारत के निवासी थे।

इस अपमान से पीड़ित होकर प्रवासी भारतीयों ने यह तय किया कि या तो देश को आज़ाद करेंगे या इसी प्रयत्न में अपने प्राण दे देंगे। उन लोगों ने सानफ्राँसिसको नगर में गदर-पार्टी नाम की एक संस्था गठित की जिसके संस्थापकों में लाला हरदयाल, सोहनसिंह भकना, पंडित परमानन्द (झाँसी), करतारसिंह सराबा, पृथ्वीसिंह आज़ाद और लाहौर के भाई परमानन्द थे।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

भाई परमानन्द पहले लाहौर के डी० ए० वी० कॉलेज में प्राध्यापक थे। क्रान्तिकारियों के हिमायती होने के कारण पुलिस ने उन्हें बहुत तंग किया और उन्होंने नौकरी छोड़कर औषधि-निर्माण का प्रशिक्षण लेने के लिए अमेरिका पहुँचने का निश्चय कर लिया। अमेरिका पहुँचने के पहले वे इंग्लैण्ड में प्रसिद्ध भारतीय क्रान्तिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले। उन्होंने अफ्रीकी देशों में से मुम्बासस, नैरोबी, ट्रांसवाल, केप कॉलोनी और जोहान्सबर्ग में आर्य-धर्म का डट कर प्रचार किया। अमेरिका पहुँच कर उन्होंने औषधि-निर्माण का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और साथ ही साथ गदर-पार्टी का कार्य भी किया। भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो जत्था भारत पहुँचा था, उसमें भाई परमानन्द भी एक थे।

भारत पहुँचने पर गदर-पार्टी के बहुत से लोग गिरफ्तारी से बचकर आज़ादी के लिए प्रयत्न करने लगे और बहुत से लोग गिरफ्तार किए जाकर लाहौर की जेल में डाल दिए गए। उन लोगों पर 'लाहौर-षड्यंत्र-केस' नाम से एक मुकदमा चला। इस मुकदमे के अभियुक्तों में भाई परमानन्द भी एक थे।

लाहौर-षड्यंत्र-केस का फैसला १३ सितम्बर १९१५ को सुना दिया गया। जिन २४ क्रान्तिकारियों को फाँसी की सजा सुनाई गई थी, उनमें लाहौर के भाई परमानन्द भी एक थे। उन लोगों को अपील करने के लिए कुछ समय दिया गया था।

लाहौर-षड्यंत्र-केस की सनसनी सारे भारतवर्ष में थी। बड़ी उत्सुकता से लोग उसके समाचार पढ़ा करते थे। इस मुकदमे का फैसला जब समाचार-पत्रों के माध्यम से शाहजहाँपुर पहुँचा तो रामप्रसाद बिस्मिल ने भी उसे पढ़ा। भाई परमानन्द को फाँसी होगी, यह समाचार पढ़ कर बिस्मिल से रहा नहीं गया। अखबार की एक प्रति लेकर तमतमाया हुआ वह स्वामी सोमदेव जी के पास जा पहुँचा और बोला—

"स्वामीजी ! जी चाहता है कि अँग्रेजों के विरूद्ध बागी बन जाऊँ और अत्याचारी अँग्रेजों को भूनना प्रारम्भ कर दूँ।"

यह कथन सुनकर स्वामी जी कुछ चौंके और उससे इसका कारण पूछा।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

रामप्रसाद बिस्मिल ने अखबार उनके सामने रख दिया। स्वामीजी ने अखबार पढ़ा और देशभक्तों की फाँसी के समाचार सुन कर उन्हें भी बहुत वेदना हुई। स्वामी जी स्वयं लाहौर के निवासी थे और वे उन लोगों में से बहुतों को जानते थे, जिन्हें फाँसी की सजा सुनाई गई थी। अखबार पढ़ कर उन्होंने बिस्मिल की बात का उत्तर दिया—

"देखो रामप्रसाद ! कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है।"

स्वामी सोमदेव के इस कथन को रामप्रसाद बिस्मिल ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कहा—

"स्वामीजी ! मैं आपका शिष्य हूँ। यदि मैं कुछ कर न सका तो मैं समझूंगा कि आपने एक अयोग्य व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया। मैं आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मेरा हर कदम इसी दिशा की तरफ़ बढ़ेगा और यदि मैं कुछ कर सका तो इस अकिंचन की ओर से वह आपके लिए गुरु-दक्षिणा ही होगी।"

स्वामी सोमदेव ने रामप्रसाद बिस्मिल के मस्तक पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया।

◇ ◇ ◇

लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उस दिन दो दलों के बीच संघर्ष और जोर-आजमाई की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये दोनों ही दल भारतीय-राष्ट्रीय-काँग्रेस के थे और गर्म-दल और नर्म-दल के नाम से जाने जाते थे। सन् १९१६ ई० में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित था। एक दिन पूर्व ही अधिवेशन के अध्यक्ष श्री अम्बिकाचरण मजूमदार का स्वागत हो चुका था और उनकी शोभा-यात्रा नगर के बाजारों में निकल चुकी थी। अध्यक्ष महोदय के आगमन के अगले दिन स्पेशल ट्रेन द्वारा जन-जन के प्रिय नेता लोकमान्य बालगंगाधर तिलक लखनऊ पहुँचने वाले थे। उन्हीं के स्वागत के लिए गर्म-दल और नर्म-दल के लोग अपनी-अपनी योजनाओं और तैयारियों के साथ एक संघर्षपूर्ण वातावरण में लखनऊ रेलवे-स्टेशन पर उपस्थित थे।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

गर्म-दल की योजना थी कि ट्रेन के रुकते ही लोकमान्य तिलक को अपने अधिकार में लेकर धूमधाम से नगर के बाजारों में मे उनकी शोभा-यात्रा निकाली जाय। नर्म,दल वालों को गर्म-दल के लोगों की योजना का सुराग लग गया था और वे जानते थे कि यदि लोकमान्य तिलक की शोभा-यात्रा निकाली गई तो वह उस शोभा-यात्रा से अच्छी होगी जो पिछले दिन काँग्रेस के अध्यक्ष की निकाली गई थी। नर्म-दल के लोगों की संख्या अधिक थी और गर्म-दल के लोगों में जोश अधिक था।

जैसे ही स्पेशल ट्रेन प्लेटफार्म पर रुकी, सबसे पहले लोकमान्य तिलक ही प्लेटफार्म पर उतरे। उनके उतरते ही बहु-संख्यक नर्म-दल के लोगों ने उन्हें अपने घेरे में इस प्रकार ले लिया कि गर्म-दल के लोग उनके पास पहुँच ही न सके। अपने चक्र-व्यूह में फँसाये हुये ही नर्म-दल के लोग उन्हें स्टेशन के बाहर ले गये और एक कार में बिठा दिया।

पहले चक्र में गर्म-दल के लोगों की पराजय हो चुकी थी लेकिन दूसरे चक्र में स्थिति उन्होंने अपने कब्जे में ले ली। वे बाहर झपटे और उनमें से दो नौजवान कार के अगले पहियों के नीचे लेट गये, जिससे कार आगे न बढ़ सके। कार के पहियों के नीचे लेटे हुए दो नौजवानों में से एक तो स्थानीय कॉलेज का एक एम० ए० का विद्यार्थी था और दूसरा था शाहजहाँपुर का चर्चित नौजवान रामप्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल अत्यधिक भावावेश के कारण रो रहा था और वह बार-बार यही कह रहा था—

"मुझे कुचल कर गाड़ी आगे ले जाओ !"

रामप्रसाद बिस्मिल के प्रतिरोध से प्रोत्साहित होकर अब गर्म-दल वालों ने कार को घेर लिया और उनमें से कुछ उसके पिछले पहियों के नीचे भी लेट गये जिससे गाड़ी को पीछे न चलाया जा सके। एक नौजवान ने तो किसी दिशा में भी कार के बढ़ने की संभावना को खत्म करने के लिए उसके टायर ही काट दिए। अब स्थिति गर्म-दल के लोगों के हाथ में थी। उन लोगों ने नर्म-दल वालों से वह बग्घी माँगी जिसमें पिछले दिन काँग्रेस के अध्यक्ष महोदय को बिठाया गया था। नर्म-दल वालों ने वह बग्घी उन्हें नहीं दी। गर्म-दल वाले लपक कर एक किराए की बग्घी ले आए। रामप्रसाद बिस्मिल

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

ने लोकमान्य तिलक के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और उनसे बग्घी में बैठने की प्रार्थना की। लोकमान्य तिलक उस बग्घी में बैठ गए। अब नौजवानों ने बग्घी के घोड़े खोल दिए और स्वयं घोड़ों की जगह जुत कर बग्घी को खींचने लगे।

'भारत माता की जय' और 'लोकमान्य तिलक की जय' के गगन-भेदी नारों से आसमान गूँज रहा था। जैसे-जैसे जुलूस आगे बढ़ता, भीड़ भी वढ़ती जाती थी और लोगों का जोश पागलपन की सीमा तक पहुँच रहा था। हर व्यक्ति बग्घी को खींचने के लिए लालायित था। सभी लौगों का बग्घीमें जुतना संभव नहीं था। जो लोग उसकी धुरी का स्पर्श भी कर लेते थे वे इतने प्रसन्न होते थे, जैसे उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। खिड़कियों और गवाक्षों से तिलक महाराज पर फूल बरसाए जा रहे थे। जो फूल उनका स्पर्श करके सड़क पर गिर जाते थे, लोग उन्हें उठा कर माथे से लगाते थे और उन्हें अपने पल्लुओं या रूमालों में बाँध लेते थे। जहाँ-जहाँ लोकमान्य तिलक ने अपने पैर रखे थे, लोगों ने उस धूल को अपने माथे से लगाया था। कुछ लोग तो सड़क खुरच कर उस धूल को भी बाँध कर ले गए थे।

लोकमान्य तिलक की वह शोभा-यात्रा नगर भर के लिए चर्चा का विषय बन गई। इस आयोजन से नर्म-दल वालों की बहुत भद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल लोगों की नजरों में चढ़ चुका था।

◇ ◇ ◇

शचीन्द्रनाथ सान्याल बहुत प्रसिद्ध क्रान्तिकारी रहे थे। एक अन्य महान् क्रान्तिकारी रासबिहारी बोस के वे लेफ्टिनेन्ट रह चुके थे। रासविहारी बोस जब जापान चले गए तो उत्तरभारत तथा पंजाब में क्रान्तिकारी संगठन का दायित्व शचीन्द्रनाथ सान्याल पर आ पड़ा। यह दायित्व उन्होंने बखूबी निबाहा और इसके फलस्वरूप गिरफ्तार होकर उन्हें आजन्म कालेपानी की सजा हुई।

प्रथम विश्व-युद्ध समाप्त हुआ और अँग्रेज लोग उसमें विजयी हुए। इस खुशी में उन्होंने कुछ राजबन्दियों की भी रिहाई कर दी। शचीन्द्रनाथ सान्याल भी कालेपानी से छूट कर भारत आ गए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

शचीन्द्रनाथ सान्याल एक जन्मजात क्रान्तिकारी थे। वे खामोश नहीं बैठ सकते थे। आजन्म कैद से छूट कर उन्होंने फिर से क्रान्ति-संगठन का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस बार तो उन्होंने अपने परिवार का सुख-चैन भी दाव पर लगा दिया। जन्म-कैद से छूट कर उन्होंने एक संभ्रान्त परिवार की लड़की से शादी की। अपनी युवा पत्नी की चिन्ता किए बिना वे फिर क्रान्ति के अखाड़े में कूद पड़े। क्रान्ति-संगठन के कार्य से कहीं-कहीं वे स्वयं जाते थे और कहीं-कहीं अपने लेफ्टिनेन्टों को भेजते थे। जब लखनऊ में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ तो शचीन्द्रनाथ सान्याल ने अपने लेफ्टिनेन्ट शचीन्द्रनाथ बख्शी को अधिवेशन की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए भेजा। भारतवर्ष में काँग्रेस का अधिवेशन कहीं भी हो, उसमें क्रान्तिकारी लोग छद्म रूप से अवश्य अवश्य सम्मिलित होते थे। इस प्रकार उन्हें अपनी कार्यप्रणाली निश्चित करने का अवसर मिलता था।

रामप्रसाद बिस्मिल की गर्मजोशी का परिचय शचीन्द्रनाथ बख्शी को मिल चुका था। जब युवा-वर्ग की ओर से आयोजित लोकमान्य तिलक की शोभा-यात्रा संपन्न हुई तो शचीन्द्रनाथ बख्शी रामप्रसाद बिस्मिल के साथ हो लिए।

संध्या हो चुकी थी। अवसर पाकर बख्शी ने बिस्मिल के कधे पर हाथ रखते हुए कहा—

"मित्र ! अभी हमारा परिचय नहीं हुआ है, लेकिन आज के आयोजन में मैं आपकी दिलेरी और देशभक्ति का परिचय प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे शचीन्द्रनाथ बख्शी कहते हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ।"

आवश्यक हो गया था कि बिस्मिल इस आत्मीयता का उत्तर देता। वह बोला—

"लोग मुझे रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से जानते हैं। मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। आपने मुझे किसी योग्य समझा, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अभी तक वे चलते-चलते बातें कर रहे थे। अँधेरा हो चुका था। एक सूना उद्यान देखकर उसके एक कोने में बैठकर वे लोग बातें करने लगे। प्रारम्भ शचीन्द्रनाथ बख्शी ने किया—

"क्या आप भी काँग्रेस के सदस्य हैं ?"

"जी नहीं, मैं काँग्रेस का सदस्य नहीं हूँ। मैं किसी भी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। मैं तो गर्म और उग्र विचारों के लोगों का भक्त हूँ और इसी-लिए गर्म-दल के नेता लोकमान्य तिलक के दर्शन करने यहाँ आया था। मैंने कल्पना नहीं की थी कि यहाँ मुझे भी किसी भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। क्या अब मैं आपसे पूछूँ कि क्या आप काँग्रेस के सदस्य हैं ?"

"जी नहीं, मैं तो गोपनीय रूप से काम करने वाली एक क्रान्तिकारी-समिति का सदस्य हूँ। मैं इस अधिवेशन की गतिविधियों का अध्ययन करने यहाँ आया था। वैसे हम लोग अपनी समिति के लिए योग्य सदस्यों की खोज भी किया करते हैं।"

"क्या आप अपनी समिति के लिए मुझे योग्य समझते हैं ?"

"आप पूरी तरह से हमारी समिति के योग्य हैं, लेकिन हमारा नियम है कि पहली मुलाकात में ही हम किसी को अपने दल में सम्मिलित नहीं कर लेते। सदस्यता चाहने वाले व्यक्तियों के क्रिया-कलापों और आचरण का हम लोग अध्ययन करते हैं। जब हमारे जासूस उस व्यक्ति की अच्छी रिपोर्ट देते हैं, तब हम उसे अपनी पार्टी का सदस्य बना लेते हैं।"

"अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों के जासूस मुझ पर नज़र रखेंगे ?"

"बुरा न मानिए बिस्मिलजी ! इसमें आपका और हमारा, दोनों का ही भला है। वैसे मैं आपको परामर्श दूँगा कि आप अपने परखे हुए स्थानीय मित्रों की एक छोटी-सी समिति बना लीजिए और कुछ हथियारों का संग्रह करने का प्रयत्न कीजिए। कालांतर में हमारे दलनायक स्वयं आपसे मिलेंगे या मैं आपको उनसे मिलाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आप और हम एक होकर रहेंगे। अच्छा इस समय अलविदा !"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

विदा लेकर जाते हुए शचीन्द्रनाथ बख्शी मन में सोचते जा रहे थे कि लखनऊ आना सार्थक हो गया। ठीक यही भाव रामप्रसाद बिस्मिल के मन में भी उठ रहे थे।

◇ ◇ ◇

शाहजहाँपुर पहुँचते-पहुँचते एक स्थानीय क्रान्तिकारी-पार्टी की रूपरेखा रामप्रसाद बिस्मिल के मन में तैयार होगई। साहसी वृत्ति के और देशभक्ति की भावना रखने वाले मित्रों के नाम उसने सोच लिए। शाहजहाँपुर पहुँच कर उन लोगों से परामर्श हुआ और पार्टी गठित होगई।

प्रश्न सामने था, हथियार कहाँ से आएँ? बिस्मिल को अपने बल और अपनी बुद्धि पर भरोसा था। हिन्दी, अँग्रेजी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया था। सोचा, कोई ऐसी पुस्तक लिखी जाए, जिससे लोगों को देश की आजादी प्राप्त करने की प्रेरणा मिले। हिन्दी और अँग्रेजी के कई संदर्भ-ग्रन्थ पढ़ डाले और हिन्दी में एक पुस्तक लिख डाली—'अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली'।

पुस्तक की पाण्डुलिपि कुछ प्रकाशकों को दिखाई और उसे प्रकाशित करने का अनुरोध किया। किसी प्रकाशक ने बिस्मिल का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। बैठे-बिठाए कौन मुसीबत मोल ले।

विचार आया कि घर के पैसे लगाकर पुस्तक प्रकाशित की जाय। घर में पैसे तो केवल माताजी के पास ही थे। चाहा कि झूठ भी न बोलना पड़े और पैसे मिल जाँय। मन में एक युक्ति कौंध गई। माताजी के सामने प्रस्ताव रखा गया—

"माताजी! आजकल मैं खाली बैठा हूँ। आप अनुमति दें तो मैं कुछ व्यापार करने लगूँ।"

"यह तो बहुत अच्छी बात है बेटे! किस चीज़ का व्यापार करना चाहते हो?"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

"माताजी ! मैं पुस्तकों का व्यापार करना चाहता हूँ। ज्ञान के संपर्क में भी रहूँगा और कुछ मुनाफा भी कमा लूँगा।"

"तो अच्छे काम में देर क्यों करते हो जल्दी ही प्रारम्भ कर दो।"

"माताजी ! यदि आप मुझे दो सौ रुपए दे दें तो मैं आज से ही काम प्रारम्भ कर देता हूँ।"

माताजी ने दो सौ रुपए दे दिए। बिस्मिल ने पुस्तक छपने डाल दीं। बिस्मिल ने सोचा था कि पुस्तक का स्टॉक प्रेस में पड़ा रहेगा, थोड़ी-थोड़ी प्रतियाँ उठा कर बेचते जाएँगे और प्रेस को देते जाएँगे। प्रेस वाला इसके लिए तैयार नहीं हुआ। दो सौ रुपयों की जरूरत और थी। वे भी माताजी ने दे दिए।

पुस्तक घर में आ गई। बेचना प्रारम्भ कर दिया। बहुत अच्छी शैली में लिखी गई थी। जो पढ़ता पसन्द आ जाती। छह सौ रुपयों की पुस्तकें बिक गईं। कुछ प्रतियाँ बच रहीं। बिस्मिल ने सबसे पहला काम यह किया कि चार सौ रुपयों का माताजी का उधार चुका दिया। दो सौ रुपये बच गए। पुस्तकें बिक रही थीं और पैसे आ रहे थे। कुछ दिन पश्चात् उत्तरप्रदेश शासन का ध्यान पुस्तक की तरफ गया और बिस्मिल की लिखी गई पुस्तक 'अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली' जब्त कर ली गई। बिस्मिल ने कुछ स्टॉक छिपा दिया।

◇ ◇ ◇

अब रामप्रसाद 'रामप्रसादजी' थे और बिस्मिल 'बिस्मिलजी'। शाहजहाँपुर ने रामप्रसाद बिस्मिल के रूप में एक अच्छा कार्यकर्ता पाया था और साहित्य-जगत् ने एक अच्छा लेखक, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल तो स्वयं को एक क्रान्तिकारी के रूप में ढाल रहे थे—एक घोर सशस्त्र क्रान्तिकारी के रूप में। क्रांतिकारी को बम, पिस्तौल और रिवॉल्वर चाहिये थे, रामप्रसाद बिस्मिल के पास इनमें से कुछ भी नहीं था।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

रामप्रसाद बिस्मिल हथियार खरीदने के लिए ग्वालियर चल दिए। सुन रखा था कि देशी रियासतों में हथियारों का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता और हथियार आसानी से मिल जाते हैं। ग्वालियर पहुँच तो गए, लेकिन जब बाजार घूम कर देखा तो पाया कि किसी दूकान पर हथियार नहीं बिक रहे थे। कल्पना थी कि बाजार में हथियारों की कई दूकानें होंगी और किसी भी दूकान से अपने मनपसंद हथियार खरीद लिए जायेंगे। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ताँगे वाला बिस्मिलजी को इस बाजार से उस बाजार में और उस बाजार से अगले बाजार में घुमाए जा रहा था और बिस्मिलजी कभी इस पंक्ति में और कभी उस पंक्ति में हथियारों की दूकान की खोज के लिये आँखें गड़ा रहे थे, पर हथियारों की कोई दूकान मिल नहीं रही थी। ताँगे वाले से भी पूछने में संकोच हो रहा था। आखिर ताँगे वाले ने ही पूछ लिया—

"बाबूजी आपको घुमाते हुए बहुत देर हो गई है। आप सिर्फ ताँगे में बैठकर घूमने के लिए ही आए हैं या किसी दूकान से कुछ खरीदना चाहते हैं?"

बिस्मिल जी का संकोच टूटा और उन्होंने दबी जबान से ताँगे वाले से कहा—

"भाई! मैं कोई राइफल या रिवॉल्वर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन बाजार में मुझे हथियारों की कोई दूकान दिखाई नहीं दी।"

ताँगे वाले ने कहा—

"बाबूजी! इस शहर में आपको हथियारों की दूकान कहीं नहीं मिलेगी। हथियारों के ग्राहकों को पता लगाना पड़ता है कि किन-किन व्यक्तियों के पास हथियार मिलते हैं। आप कहें तो किसी व्यक्ति के पास मैं आपको ले चलूं?"

बिस्मिल तो यही चाहते थे। ताँगे वाला उन्हें अपने परिचय के व्यक्ति के पास ले गया। उस व्यक्ति के पास एक टोपीदार देशी तमंचा था जिसमें देशी बारूद भरी जाती थी। नाल में गोली या छर्रे डाले जाते थे।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

जिस प्रकार कोई बालक खिलौने बिकते हुए देखकर ललक उठता है और वह यह नहीं जानता कि कौन-सा खिलौना अच्छा या कौन-सा खिलौना खराब है वह जिद करके अपने लिए खिलौना खरीदवा लेता है और खिलौने वाला मामूली खिलौना उसे मँहगे दामों पर बेच देता है, उसी प्रकार रामप्रसाद बिस्मिल उस देशी तमंचे पर रीझ गए और बेचने वाले ने मुँहमाँगे दाम लेकर तमंचा उन्हें बेच दिया। बिस्मिलजी ने लालचवश दो सेर देशी बारूद भी खरीद लिया। बरसात आने पर वह बारूद सील खा गया और किसी काम का न रहा।

अगली बार रामप्रसाद बिस्मिल अपनी समिति के एक-दो साथियों के साथ फिर ग्वालियर पहुँचे। इस बार उन्हें एक कबाड़ी की दूकान पर कुछ हथियार दिखाई दिए। वे भी सब देशी बारूद से चलनेवाले टोपीदार हथियार थे। उन लोगों ने पूछा कि क्या यहाँ कारतूसी हथियार कहीं नहीं मिलते। दूकानदार ने बताया—

"बाबूजी ! कारतूसी हथियार यहाँ बिना अनुमति के कोई नहीं खरीद सकता और अनुमति भी अँग्रेज़ रेजीडेंट से लेनी पड़ती है। अनुमति मिल जाने पर कारतूसी हथियार बम्बई या कलकत्ता से मँगाने पड़ते हैं। यदि आप लोग कुछ दिन बाद आएँ तो मैं आपके लिए कुछ कारतूसी हथियार मँगा कर रखूँ ?"

गरज बावली होती है। उन लोगों ने कुछ दिन बाद आने का वादा कर दिया। उस व्यक्ति को अपने विश्वास में लेने के लिए उसके पास से एक नली के टोपीदार दो पिस्तौल खरीद लिए। एक कटार भी खरीदी गई।

अगली बार जब बिस्मिल उसके पास पहुँचे तो उसने उन्हें एक कारतूसी रिवॉल्वर और कुछ कारतूस दिए। रिवॉल्वर पुराना था, लेकिन बहुत अच्छा था। बिस्मिल ने मुँहमांगे दाम देकर उसे खरीद लिया। इसके पश्चात् एक सिक्लीगर से उनकी भेंट हुई। सिक्लीगर से भेंट होने के बाद वह उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गया जो अपनी कारतूसी राइफल बेचना चाहते

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

थे। जो सज्जन अपनी राइफल बेच रहे थे, वे पुलिस के रिटायर्ड सुपरिन्टेन्डेन्ट थे। जाति के मुसलमान थे। उन्होंने बिस्मिल से पूछताछ की—

"आपका क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप यह राइफल क्यों खरीदना चाहते हैं?"

बिस्मिल ने बात बना कर कहा—

"मेरा नाम सूबेदारसिंह है, मैं पहाड़गढ़ के एक जमींदार का पुत्र हूँ। ठाकुर लोग तो हथियार रखते ही हैं, इसलिए मैं आपकी राइफल लेना चाहता हूँ।'

बिस्मिल ने पहाड़गढ़ नाम इसलिए ले दिया क्योंकि वे हथियारों के चक्कर में दो बार पहाड़गढ़ हो आए थे और कुछ लोगों के नामों से परिचित भी होगए थे। पुलिस कप्तान साहब ने उनके सामने शर्त रख दी—

"आप पहाड़गढ़ के थानेदार से एक पर्चा लिखवा लाइए कि वह आपको जानता है। तभी मैं आपको राइफल दूँगा।"

बिस्मिल चल दिए। दो दिन वे ग्वालियर ही रहे। उन्होंने पहाड़गढ़ के दो व्यक्तियों के नाम से स्वयं ही एक पर्चा तैयार किया जिसमें लिखा था—

"हम श्री सूबेदारसिंह और इनके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। थानेदार साहब इस समय दौरे पर गए हुए हैं, इसलिए हम लोग इनके परिचय की ज़वाबदारी ले रहे हैं।"

पुलिस कप्तान साहब ने अब एक नया पैंतरा खेला। बोले—

"आप मेरे साथ यहाँ के थाने पर चले चलिए। मैं वहाँ आपको अपनी राइफल दे दूँगा।"

रामप्रसाद बिस्मिल के लिए यह एक संकट की स्थिति थी। उन्होंने भी चाल से काम लिया। बोले—

"मुझे पुलिस-स्टेशन पर चलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आज नहीं, दो-एक दिन बाद चल सकूँगा क्योंकि अभी मुझे घर लौटने की शीघ्रता है। मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पुलिस-कप्तान ने सोचा कि कहीं ग्राहक हाथ से न खो जाय। दो व्यक्तियों का जमानत पत्र उनके पास था ही और उन्हें पुरानी राइफल के दूने दाम मिल रहे थे। उन्होंने १५५/- लेकर राइफल रामप्रसाद बिस्मिल को दे दी। १५०/- उन्होंने स्वयं रखे और कमीशन के रूप में ५/- सिक्लीगर को दिए।

बिस्मिल राइफल लेकर अपने ठहरने के मुकाम पर पहुँच गए। खुफिया पुलिस का एक सिपाही उन्हें ताड़ रहा था। उनके पास पहुँच कर बोला—

"बाबूजी ! मैं आपको बिलकुल नई राइफल दिलवा सकता हूँ। यदि आप चाहें तो मेरे साथ चलें।"

बिस्मिल जी लालच में आगए। वह व्यक्ति उन्हें एक पुलिस-इन्सपेक्टर के घर लेगया। सौभाग्य से उस समय पुलिस इन्सपेक्टर साहब घर नहीं थे। वह व्यक्ति बिस्मिल जी को वहाँ से जाने भी नहीं दे रहा था। बिस्मिलजी ताड़ गए और बोले—

"मेरी पूजा का समय हो रहा है। मैं पूजा का समय कभी चुकाता नहीं हूँ। आपने मेरे ठहरने का स्थान तो देखा ही है, आप थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ से फिर ले आइए।"

यह कहकर, बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए, वे उठ कर चल दिए। धर्मशाला पहुँचे और अपना सामान उठा कर स्टेशन पहुँच गए।

अपने बिस्तर में एक राइफल और दो रिवॉल्वर लपेट कर रामप्रसाद बिस्मिल ग्वालियर से मैनपुरी जिले के कोसमा गाँव पहुँच गए। कोसमा में उनकी छोटी बहन शास्त्री देवी की ससुराल थी। प्रस्ताव रख दिया, बहन को लिवाने आया हूँ।

रियासत में हथियार लाने-ले जाने में उतनी रोक-टोक नहीं थी। यू० पी० में उन्हें ले जाना बहुत मुश्किल था। वहाँ तो लाइसेंस दिखाना पड़ता था। कोसमा गाँव से बिस्मिल अपनी बहन को लेकर मैनपुरी पहुँचे और कुछ देर के लिए एक धर्मशाला में ठहर गये। उन्होंने अपनी बहन के एक पैर से राइफल बाँधी और दूसरे पैर से दोनों रिवॉल्वर। ऊपर से पट्टियाँ बाँध दीं। उन्हें समझा दिया कि कोई पूछे तो कह देना कि मुझे गठिया रोग है और दवा लगा कर पैरों में पट्टियाँ बाँध रखी हैं।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अपनी छोटी बहन शास्त्री देवी के सहयोग से इस प्रकार बिस्मिलजी कुछ हथियार शाहजहाँपुर ले जाने में सफल होगये। इस युक्ति का उपयोग उन्होंने एक-दो बार और भी किया।

◇ ◇ ◇

१३ फरबरी सन् १९१९ ई० को मैनपुरी के कुछ क्रान्तिकारियों पर अदालत में एक मुकदमा चला, जो 'मैनपुरी षड्यन्त्र-केस' के नाम से जाना गया। इस षड्यंत्र के नायक थे श्री गेंदालाल दीक्षित।

गेंदालाल दीक्षित औरैया की एक पाठशाला में अध्यापक थे। देश को आज़ाद करने की लहर उनके मन में आई और देशभक्त नवयुवकों का एक संगठन उन्होंने खड़ा कर लिया। उन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा 'मातृ-वेदी'। नौजवानों में बहुत जोश-खरोश था और मातृ-भूमि की आजादी के लिए वे लोग अपने प्राण देने के लिए संकल्पित थे।

सभी क्रान्तिकारी पार्टियों को हथियारों की जरूरत होती है और हथियार खरीदने के लिये धन की आवश्यकता होती है। धन-प्राप्ति के लिये गेंदालाल दीक्षित ने डाकुओं के एक गिरोह से गठबन्धन कर लिया जिसके नेता थे एक ब्रह्मचारीजी। ब्रह्मचारीजी ग्वालियर राज्य में डाके डलवाया करते थे। गेंदालाल दीक्षित ने सोचा कि इन लोगों में जोश-खरोश भी है और देशभक्ति की भावना भी। उनका विचार हुआ कि कुछ दिन में इनका हृदय-परिवर्तन कर देंगे और इन्हें भी क्रान्तिकारी बना लेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने उस दल के साथ गठबन्धन कर लिया। उन्होंने 'मातृ-वेदी' के नौजवान सदस्यों को इस काम से अलग रखा।

ब्रह्मचारीजी के गिरोह में पुलिस का एक भेदिया भी सम्मिलित हो गया था और वह इन लोगों को गिरफ़्तार कराने या मरवाने की ताक में रहता था। एक दिन उसने प्रस्ताव रखा कि अमुक गाँव में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति रहता है, जिसके पास अपार सपत्ति है। गिरोह उसके यहाँ डाका डालने के लिए राजी हो गया। वह गाँव बहुत दूर था और रास्ते में एक

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पड़ाव डालना आवश्थक था। वृक्षों के झुरमुट में पड़ाव डाला गया। वह भेदिया पास के एक गाँव में जाकर पूड़ियाँ बनवाकर ले आया। उसने आटे में ज़हर मिलवा दिया था। ब्रह्मचारीजी स्वयं अपने हाथ से भोजन बना कर खाया करते थे, पर उस व्यक्ति के अनुरोध से उस दिन वे भी पूड़ियाँ खा गए। पूड़ियाँ खाते ही उनकी जबान ऐंठने लगी। दूसरे लोगों का भी यही हाल हुआ। वह भेदिया पानी लाने के बहाने बर्तन लेकर वहाँ से खिसकने लगा। वह थोड़ी दूर ही गया था कि ब्रह्मचारीजी ने उस पर गोली चला दी। उस स्थान के आस-पास पुलिस छिपी हुई थी। गोली चलने की आवाज सुन कर पुलिस ने गिरोह को घेर लिया और दोनों ओर से गोलियाँ चलने लगीं। गिरोह के सदस्यों की संख्या अस्सी थी और पुलिस वालों की संख्या कम। गिरोह के लोग ज़हर मिली पूड़ियाँ खाने से बेहोश होने लगे थे और उनके पास हथियार भी अच्छे नहीं थे। संघर्ष का परिणाम यह निकला कि गिरोह के ३५ लोग मारे गये जिनमें ब्रह्मचारीजी भी एक थे। गेंदालाल दीक्षित की आँख में छर्रा लगा और उनकी एक आँख फूट गई। वे स्वयं तथा अन्य लोग गिरफ्तार कर लिए गये और उन्हें ग्वालियर के किले के कारागार में रखा गया।

जब गेंदालाल दीक्षित के युवक अनुयायियों को अपने नेता की गिरफ्तारा का पता चला तो उन्होंने सोचा कि अपने नेता को जेल से छुड़ाना चाहिए। दस-बारह युवकों का एक समूह किला देखने के बहाने ग्वालियर के किले पर जा पहुँचा। इस टोली का नेतृत्व कर रहे थे रामप्रसाद बिस्मिल। टोली के सदस्यों के पास टोपीदार मामूली तमंचे थे और कुछ लोग तो खाली हाथ भी थे।

रामप्रसाद बिस्मिल ने कारागार के प्रहरी को तिकड़म के बल पर फुसला लिया और उसके हाथ एक पत्र पं० गेंदालाल दीक्षित के पास भेज दिया। पत्र में लिखा था—

"पूज्य पंडितजी !

आपके गिरफ्तार होने का हम सब लोगों को बहुत खेद है। हम नौजवान आपको कारागार से मुक्त कराने के इरादे से किले पर आ गये हैं और इस

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

समय आपके कारागार के पास ही हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम पहरेदारों पर अचानक हमला करके आपको कारागार से छुड़ा लें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कार्य में दोनों ओर से कुछ लोगों की जानें जाएँगीं, पर किसी बड़े काम को करने में कुछ क़ुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं। यदि आपको पत्र लिखने की सुविधा न हो तो सन्देश-वाहक के हाथ 'हाँ' या 'ना' में उत्तर भिजवा दीजिए।"

रामप्रसाद बिस्मिल को शीघ्र ही 'ना' में उत्तर मिल गया। गेंदालाल दीक्षित ने पत्र-वाहक से दल की शक्ति का पता लगा लिया था। उन्होंने सोचा कि मेरे कारण व्यर्थ ही सब लड़कों की जानें जाएँगी। अव्वल तो उन्हें कारागार से छुड़ाना भी मुश्किल था और यदि छुड़ा भी लेते तो किले के बाहर ले जाना असंभव था। किले के दोनों फाटकों पर भारी पहरा रहता था। उन लोगों के पास भगा कर ले जाने के लिए कोई सवारी भी नहीं थी। उन लोगों के पास केवल जोश-खरोश था और उसी के बल पर वे गेंदालाल दीक्षित को छुड़ाने वहाँ पहुँच गये थे।

पंडितजी का नकारात्मक उत्तर पाकर वे लोग निराश होकर लौट गये। बाद में पं० गेंदालाल दीक्षित स्वयं अपनी युक्ति से पुलिस के चंगुल से मुक्त हो गए, लेकिन एक बीमारी के शिकार होकर वे असहाय अवस्था में चल बसे।

मातृ-वेदी के सदस्यों में भी फूट पड़ गई और उनमें से कुछ लोग गिरफ्तार और कुछ फरार होगए।

'मैनपुरी षड्यंत्र-केस' के अन्तर्गत रामप्रसाद बिस्मिल का भी वारण्ट निकला, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लगे।

◇ ◇ ◇

चार क्रान्तिकारी फरारी हालत में छिपते हुए फिर रहे थे। वे थे— १. रामप्रसाद बिस्मिल, २. गंगासिंह, ३. राजाराम, और ४. देवनारायण। उस समय वे इलाहाबाद में थे। अपने एक अन्य साथी का नाम लेते हुए तीनों

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

साथियों ने बिस्मिल से कहा कि अपना अमुक साथी धोखेबाज है, वह पुलिस से मिला हुआ है और हम लोगों को किसी भी समय गिरफ्तार करा देगा। उन्होंने प्रस्तावित किया कि नदी की तरफ ले जाकर उसे गोली से उड़ा दिया जाय। बिस्मिल अकारण हत्या के पक्ष में नहीं थे, पर उनके साथी अपनी ज़िद पर अड़ गए। बिस्मिल को उनकी बात माननी पड़ी।

संध्या समय चारों साथी त्रिवेणी की तरफ निकल गए। जिस साथी को मारना था, वह नहीं पहुँचा। साथियों ने कहा, वह आने वाला ही होगा। संध्या हो चुकी थी। बिस्मिल ने कहा कि नित्य नियमानुसार मैं तो संध्या करने बैठता हूँ, जब वह आ जाय तो मुझे बता देना।

रामप्रसाद बिस्मिल आँखें बन्द करके संध्या करने बैठ गए। उनके साथी कुछ दूर जा बैठे। थोड़ी देर पश्चात् 'खट' की आवाज हुई। बिस्मिल ने सोचा कि साथियों के हाथ से कोई चीज़ गिरी होगी। थोड़ी देर पश्चात् एक गोली उनके कान के पास से निकल गई। उन्होंने आँखें खोलीं तो देखा कि उनके ही तीन साथी उनके ऊपर गोली छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने रिवॉल्वर पर हाथ डाला। वह चमड़े के केस में था। जितनी देर में उन्होंने उसे निकाला, उनके साथी भाग चुके थे। साथियों के विश्वासघात के फलस्वरूप वे मरते-मरते बचे। उनके तीन साथियों ने उन्हें मारने के लिए ही वह षड्यंत्र रचा था। साथी लोग चाहते थे बिस्मिल को मार कर सारे हथियारों पर अधिकार कर लिया जाय और डाकुओं का एक अच्छा गिरोह तैयार किया जाय।

बिस्मिल किसी प्रकार छिपते-छिपाते शाहजहाँपुर जा पहुँचे और अपने साथियों को मार कर बदला लेने का संकल्प अपनी माँ को बताया। माँ ने किसी की हत्या करने से उन्हें मना किया। बिस्मिल अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने साथियों से बदला लेने का विचार छोड़ा। माँ का परामर्श मानकर वे अपने पैतृक गाँव चले गए और वहाँ पहुँच कर खेती-किसानी के काम में लग गए।

◇ ◇ ◇

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

रामप्रसाद बिस्मिल के एक बंगाली मित्र सुशीलचन्द्र सेन की असामयिक मृत्यु होगई। दोनों हाई स्कूल में साथ-साथ पढ़ते थे। काफी प्रगाढ़ मित्रता थी। मित्र के निधन से रामप्रसाद बिस्मिल के हृदय को बड़ा आघात पहुँचा। अपने मित्र की स्मृति को चिरस्थाई करने के लिए बिस्मिल ने बँगला भाषा सीखी और बँगला पुस्तकों का अच्छा अध्ययन किया। उन्होंने पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन का काम हाथ में लिया और 'सुशील-माला' नाम से वे पुस्तकें निकालने लगे। उनके घर में जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो उसका नाम भी उन्होंने सुशीलचन्द्र रखा।

इसी बीच फरारी अवस्था में बिस्मिल को गाँव में पहुँच कर कृषि-कार्य प्रारम्भ करना पड़ा। वे अपने कर्म और दिखावे से पक्के किसान बन गए। अन्य किसान लोग जितनी मेहनत करते थे, उससे कहीं अधिक रामप्रसाद बिस्मिल करते थे। निरन्तर धूप में रहने के कारण उनका रंग काला पड़ गया और कोई उन्हें सहज में पहचान नहीं सकता था। श्रम एवं निष्ठापूवक खेती करने के कारण अब उनके पास पैसा भी आने लगा। सोचा, इस पैसे से पुस्तकें छपवाई जाएँ।

कृषि-कार्य करते हुए कभी-कभी बिस्मिल को अपने पशु चराने के लिए भी जंगल में जाना पड़ता था। वे अपने साथ कोई पुस्तक और कापी-पेन्सिल ले जाते थे। पशुओं को चरने छोड़ देते थे और वे पुस्तक का अनुवाद करने लग जाते थे। यदि कोई पशु दूर निकल जाता, तो उसको हकालने के लिए भी जाना पड़ता था। लौट कर फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। इस प्रकार एक बँगला पुस्तक 'निहिलिस्ट-रहस्य' का अनुवाद पूरा कर डाला और यह पुस्तक 'बोलशेविकों की करतूत' शीर्षक देकर छपवा ली। एक और पुस्तक छपवाई जिसका नाम था 'मन की लहर'। इन पुस्तकों के प्रकाशन में उन्हें हानि उठानी पड़ी।

एक दिन रामप्रसाद बिस्मिल के मन में लहर आई कि शाहजहाँपुर पहुँच कर वहाँ के हाल-चाल देखे जाँय। बीस मील पैदल चलकर वे शाहजहाँपुर

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पहुँच गए। जब वे बाजार में जा रहे थे तो गोकुल चाचा की दूकान के सामने से निकले। उस दूकान पर उनके एक मित्र भी बैठे हुए थे। उन्होंने दूकान पर से कुछ सौदा इसलिए खरीदा कि देखें गोकुल चाचा और उनके मित्र उन्हें पहचानते हैं या नहीं। किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। जब वे कुछ आगे बढ़े तो एक सिपाही ने उन्हें पहचान लिया। सिपाही जानता था कि उनके नाम गिरफ्तारी का वारण्ट है। जिस बीच वह कुछ अन्य सिपाहियों को बटोरने गया, रामप्रसाद बिस्मिल वहाँ से खिसक लिए। दुबारा बीस मील पैदल चल कर वे अपने गाँव जा पहुँचे और कृषि-कार्य में लीन हो गए।

◇ ◇ ◇

एक विशेष समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने राजबन्दियों की रिहाई की घोषणा कर दी। जो व्यक्ति फरार थे, उन पर से भी वारण्ट उठा लिए गए। स्थिति का लाभ उठाकर रामप्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर पहुँच गए।

कहते हैं कि जब बुरे दिन आते हैं तो छाया भी व्यक्ति का साथ छोड़ देती है। बिस्मिल के साथ भी यही हुआ। वे 'मैनपुरी षड्यंत्र-केस' में अभियुक्त करार दिए गए थे, इस कारण वारण्ट उठ जाने के बाद भी लोग उनसे बिदकने लगे। यदि सड़क पर कोई परिचित मिल जाता, तो वह मुँह मोड़कर चल देता। यदि वे स्वयं किसी के पास जाकर खड़े हो जाते वह नमस्ते करके आगे बढ़ जाता।

आर्थिक विपन्नता ने बिस्मिल को बुरी तरह घेर लिया। कभी-कभी तो दो-दो तीन-तीन दिन तक खाने को भी नहीं मिलता था। स्वाभिमानी इतने थे कि किसी रिश्तेदार के पास जा नहीं सकते थे, और किसी से उधार माँगने में भी संकोच होता था। पुस्तक-प्रकाशन की धुन में काफी हानि उठा चुके थे। मन में विचार आया कि कपड़ा बुनना सीखा जाय। जुलाहे भी पास नहीं फटकने देते थे। जैसे-तैसे हस्त-करघे का काम सीखा और काफी निपुणता प्राप्त करली। एक कंपनी के मैनेजर की जगह खाली हुई। उसके लिए

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

आवेदन-पत्र दे दिया। कंपनी के प्रबन्धकों ने इनकी निपुणता देखकर इन्हें लेना चाहा, लेकिन बात जमानत पर अड़ गई। पाँच सौ रुपए की जमानत माँगी गई। लोग पाँच रु० की भी जमानत देने तैयार न थे, फिर पाँच सौ रु० की कौन देता। कुछ लोगों ने अच्छे चाल-चलन की सिफारिश कर दी और वह नौकरी इन्हें मिल गई।

बिस्मिल की विशेषता यह थी कि जिस काम को हाथ में लेते, उसमें पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेते थे। वस्त्र-व्यवसाय में भी उन्होंने पूर्ण दक्षता प्राप्त कर ली और उनकी बुद्धि और श्रम के कारण कम्पनी को काफी मुनाफा हुआ। उस कम्पनी में उनका हिस्सा भी हो गया। गाँठ में काफी पैसा हो गया। अब घर-गृहस्थी का काम भी अच्छी तरह चल निकला।

दुर्दिन के कारण जो लोग बिस्मिल से दूर भाग रहे थे, वे फिर उनके पास पहुँचने लगे। जो लोग पहले पाँच रुपयों से भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे, वे अपने रुपए उनके पास छोड़ जाते और जरूरत पड़ने पर ले जाते। लोग अपने हथियार भी उनके पास रखने लगे।

लोगों को मालूम था कि रामप्रसाद बिस्मिल के पास काफी हथियार हैं। वे उन पर अपना जाल डालने लगे। डाकुओं के गिरोह भी उनके हथियारों का लाभ उठाना चाहते थे। एक गिरोह का मुखिया उनके पास पहुँचा और बोला—

"बिस्मिल जी! हमने एक क्रान्ति-समिति का गठन किया है। आप प्रसिद्ध क्रान्तिकारी हैं इसलिए हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। यदि आप अधिक समय न दे सकें तो कभी-कभी हमारे कार्यों का निरीक्षण कर हमें दिशा-निर्देश दे दिया करें।"

बिस्मिलजी पिघल गए। वे कभी-कभी उन लोगों के बीच पहुँचने लगे। उनकी विनम्रता से प्रभावित होकर अपने एक-दो हथियार भी उन्हें दे दिए। कुछ दिन बाद इन्होंने देखा कि मुखिया जी अपने दल में एक वेश्या भी ले आए। उस दल ने किसी जगह डाका डाला और मुखियाजी पकड़े गए। पकड़े जाने पर उन्होंने अपने सभी साथियों के नाम बता दिए और वे भी

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पकड़े गए। ख़ैरियत यह हुई कि बिस्मिलजी उस मुकदमे में फँसते-फँसते बाल-बाल बच गए।

डाकुओं के अन्य गिरोह ने भी बिस्मिलजी पर अपना जाल डाला। आरज़ू-मिन्नत करके वे उनसे कुछ हथियार ले गए। दल के मुखिया को पुलिस ने एक दो-मंजिले मकान में रात के समय घेर लिया। दोनों ओर से गोलियों का आदान-प्रदान हुआ। दस्यु-सरदार ने अपनी कारतूसी बन्दूक से तीन-सौ फायर किए। बन्दूक की नाल गर्म होकर टेढ़ी-मेढ़ी होगई। पुलिस वालों ने सोचा कि मकान में कई डाकू होंगे। सुबह होने के इन्तज़ार में उन्होंने गोलियाँ चलाना बन्द कर दिया। अवसर का लाभ उठाकर सरदार कूदकर भाग गया। एक सिपाही ने देख लिया। उसी समय मकान के अन्दर से फिर फायर हुआ। सिपाही ने सोचा कि दस्यु-सरदार भागा नहीं है, उसे उसके भागने का भ्रम होगया होगा। बात यह थी कि सरदार के साथ एक महिला भी थी। वह उसको एक टोपीदार बन्दूक दे आया था और समझा दिया था कि थोड़ी-थोड़ी देर से फायर करते रहना। सुबह होने पर पुलिस ने जब मकान पर हमला किया तो उसमें केवल एक महिला थी। दस्यु-सरदार साफ निकल गया। बाद में वह पुलिस के साथ अन्य मुठभेड़ में मारा गया और उसके कुछ साथी लोग गिरफ्तार हुए। रामप्रसाद बिस्मिल का एक रिवॉल्वर पुलिस के हाथ लगा, लेकिन यह सिद्ध न हो सका कि यह रिवॉल्वर उनका था।

बिस्मिलजी ने इस तरफ से मन हटा कर फिर पुस्तक-लेखन में अपना ध्यान केन्द्रित किया। 'कैथेराइन' नाम की एक पुस्तक उन्होंने लिख डाली। उसके पश्चात् 'क्रान्तिकारी-जीवन' पुस्तक लिखी। श्री अरविन्द घोष की बँगला-पुस्तक 'यौगिक-साधन' का भी अनुवाद किया। जिन प्रकाशकों को उन्होंने पुस्तकें दीं, उनके द्वारा धोखा और घाटा खाया।

एक नोट बनाने वाला भी बिस्मिल के पास पहुँचा और उसने उन्हें ठगना चाहा। बिस्मिलजी ने उसकी चालाकी पकड़ ली और वह पीछा छुड़ा कर भाग गया।

◇ ◇ ◇

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

उत्तरप्रदेश में क्रान्तिकारी-संगठन खड़ा करने वाले प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल की भेंट देवनारायण से होगई जिसने इलाहाबाद में रामप्रसाद बिस्मिल पर गोली चलाई थी। बात-चीत में श्री सान्याल ने व्यक्त किया कि मैं पार्टी में रामप्रसाद बिस्मिल को लेना चाहता हूँ। देवनारायण ने सान्यालजी के इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि बिस्मिल को भूलकर भी अपने संगठन में मत लेना क्योंकि वह बहुत खराब आदमी है। सान्यालजी ने देवनारायण के कथन पर विश्वास नहीं किया और मन ही मन बिस्मिल से मिलने का निश्चय कर डाला। अन्ततोगत्वा रामप्रसाद बिस्मिल से उन्होंने भेंट की और पाया कि बिस्मिल तो अनमोल हीरा है। उन्होंने समझ लिया कि देवनारायण का कथन व्यक्तिगत विद्वेष का परिणाम था।

शचीन्द्रनाथ सान्याल ने जो क्रान्ति-संगठन खड़ा किया था, उसका नाम था 'हिन्दुस्तान-प्रजातंत्र-संघ'। इस संघ की एक कार्यकारिणी समिति थी और सैन्य-शाखा भी। संघ का अपना विधान था। शचीन्द्रनाथ सान्याल बिस्मिलजी से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें "हिन्दुस्तान-प्रजातंत्र-संघ' की कार्यकारिणी-समिति का सदस्य बना लिया। इतना ही नहीं, उन्हें सैन्य-शाखा का प्रधान भी बना दिया और उन्हें अधिकार दे दिया कि अपनी योजना के अनुसार वे कोई भी साहसिक-अभियान अपने हाथ में ले सकते हैं।

बिस्मिलजी ने शाहजहाँपुर जिले के कई स्थानों पर तथा आसपास के कई जिलों में 'हिन्दुस्तान-प्रजातंत्र-संघ' की शाखाएँ स्थापित कर दीं। नवयुवक लोग बड़े उत्साह के साथ उन शाखाओं में काम करने लगे। कुछ नौजवान तो अपने घरबार छोड़कर पूरा समय क्रान्ति-कार्य के लिए देने लगे। वे स्थानीय लोगों से दान या चन्दे लेकर काम चलाते थे,। इस क्रान्तिकारी-संगठन के पास कोई ठोस आर्थिक स्रोत नहीं थे। बिस्मिलजी को स्वयं अपनी सूझ-बूझ से शाखाओं का खर्चा चलाना पड़ता था।

कोई काम जब प्रारम्भ किया जाता है तो लोग बहुत अधिक उत्साह दिखाते हैं। धीरे-धीरे वह उत्साह कम होने लगता है, और आर्थिक सहायता

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

देने वाले अपने हाथ सिकोड़ने लगते हैं। पार्टी के सदस्य भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति न होते देखकर खिसकने लगते हैं या अनैतिक साधन अपनाने लगते हैं।

रामप्रसाद बिस्मिल के सामने भी यह समस्या आई। कई केन्द्रों पर लोगों ने चन्दे देना बन्द कर दिया और सदस्य लोग भूखों मरने लगे। उन लोगों के पास तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं होते थे। बिस्मिल ने कुछ कर्ज़ लेकर उन लोगों के पास पैसा भेजा, पर कुछ दिन बाद कर्ज़ मिलना भी बन्द हो गया। बिस्मिलजी का नियम था कि वे दोपहर के समय भोजन करते थे और शाम के समय केवल एक गिलास दूध पीते थे। अपने साथियों को भूखों मरते देखकर उन्होंने शाम का दूध पीना बन्द कर दिया। कभी-कभी उन्हें दोपहर का भोजन भी नहीं मिलता था और सत्तू खाकर गुजर करनी पड़ती थी। अपने दल को संकट से उबारने के लिए उन्होंने एक-दो डाके की योजनाएँ भी हाथ में लीं, लेकिन इस काम से उनका मन उचट गया। इतना सब कुछ होने पर भी वे दी गई जिम्मेदारी को पूरी तरह निभा रहे थे।

संघ की ओर से एक क्रान्तिकारी पर्चा उनके पास भेजा गया। वह पर्चा सारे भारतवर्ष में एक ही दिन बँटना था। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी सूझ-बूझ से उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भाग में सफलतापूर्वक वह क्रान्तिकारी पर्चा बँटवाया। इतने बड़े गोपनीय संगठन को देख कर पुलिस चौकन्नी होगई।

◇ ◇ ◇

शाम का वक्त था। अपनी साइकिल पर बैठे हुए रामप्रसाद बिस्मिल बाहर की सड़क से शाहजहाँपुर नगर में प्रवेश कर रहे थे। अपनी धुन में कुछ गुनगुनाते हुए चले आ रहे थे। पीछे से उन्हें किसी ने आवाज़ दी—

"अरे बिस्मिल भाई साहब ! ज़रा सुनिए तो !"

आवाज़ सुनकर बिस्मिलजी ने साइकिल का ब्रेक दबाया और उतर पड़े। जिसने आवाज़ दी थी, वह युवक उनके पास पहुँच-चुका था। वह बोला—

"भाईजान ! ऐसी भी क्या बेरुखी है। क्या मेरा आदाब भी कुबूल नहीं फरमाएँगे ?

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

बिस्मिल युवक को पहचानते थे। आत्मीय भाव से बोले—

"ओह ! अशफाक़, मेरे प्यारे भाई ! माफ करना भाई मैं कुछ ख्यालों में खोया हुआ जा रहा था, इसीलिए तुम्हें दरगुज़र कर गया। कहो कैसे हो ?"

"जी, आपकी इनायत है। मैं तो आपकी निगाहे-करम का हमेशा मुन्तज़िर रहता हूँ, लेकिन इस ग़रीब पर आप कभी इनायत फरमाते ही नहीं हैं।"

युवक का नाम अशफाक़-उल्ला खाँ था। वह बिस्मिल के सहपाठी का छोटा भाई था। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वे बोले—

"बात यह है अशफाक़ भाई, कि इन दिनों मुझे कुछ दिमाग़ी परेशानियाँ हैं और मैं उनसे छुटकारा नहीं पा रहा। इसीलिए कुछ परेशान-हाल और खोया-खोया रहता हूँ।"

"भाईजान ! मैं आपकी परेशानियों से वाक़िफ हूँ" अशफाक़ ने कहा। बिस्मिल कुछ चौंके और पूछा—

"मेरी परेशानियों से तुम कैसे वाक़िफ हो ?"

अशफाक़ का उत्तर था—

"ख़त का मजमूँ भाँप लेते हैं लिफाफा देखकर।"

"अच्छा तो बताओ, ख़त का मजमून क्या है ?"

"जहाँ तक मेरा अन्दाज़ है भाईजान ! आप अपने दोस्तों की दगाबाजी से परेशान हैं।"

"तुमने तो मेरी दुखती नस पकड़ ली है अशफाक़ ! हाँ भाई, सचमुच ही मैं अपने दगाबाज़ दोस्तों से परेशान हूँ। जिस पर भी भरोसा करता हूँ, वह दगा दे जाता है।"

"जी हाँ, भाईजान ! वह आपको दगा भी दे जाता है और आपसे कुछ ले भी जाता है।"

बिस्मिल ने चौंक कर पूछा—

"वह क्या ले जाता है मुझसे ?

"बस यही, कोई हथियार और कुछ रुपया-पैसा।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

इस बार बिस्मिल कुछ ज्यादा चौंके और हैरत से पूछा—

"ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम ?"

बिस्मिल के इस प्रश्न पर अशफाक़ बड़े ज़ोर का ठहाका लगा कर हँसा और बोला—

"आप कच्चे क्रान्तिकारी हैं भाईजान ! मैंने तो अन्दाज़ से यूँ ही कोई बात कह दी और आपने उसे क़ुबूल कर लिया।"

"हाँ भाई ! मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम बताओ तो कि आखिर ये बातें तुम्हें मालूम कैसे हुईं ?"

"बात यह है भाईजान ! कि मैं बहुत दिनों से आप पर नज़र रखे हुए हूँ और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप वह काम कर रहे हैं, जो मैं खुद करना चाहता हूँ। अगर गलत न समझें और बुरा न मानें तो अर्ज करूँ कि क्या आप इस नाचीज़ को भी अपनी पार्टी में शरीक होने का मौक़ा देंगे ?"

अशफाक़ ने अपने प्रस्ताव का जो कंकड़ फेंका, उसने बिस्मिल के विचार-सरोवर में लहरें पैदा कर दीं। वे लहरें उनके मानस से टकराने लगीं। थोड़ी देर वे खामोश रहे। अशफाक़ ही उनसे फिर बोला—

"भाईजान ! मैं शिकार से लौट रहा हूँ। मेरे हाथ में यह बन्दूक है। मैं इसकी क़सम खाकर कहता हूँ कि आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मेरा दिल मादरे-वतन की खिदमत के लिए तड़प रहा है और इस काम में आगे बढ़ने के लिए मैं आप जैसा साथी चाहता हूँ। कहिए क्या हुक्म होता है आपका ?"

बिस्मिल ने अपनी नज़रें अशफाक़ के चेहरे पर गड़ाते हुए कहा—

"देखो अशफाक़ ! तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं एक कट्टर आर्यसमाजी हूँ और आर्यसमाज-मन्दिर में रहता हूँ, और मैं भी यह जानता हूँ कि तुम भी कट्टर और खानदानी मुसलमान हो। तुम यह सोच लो कि क्या मेरी और तुम्हारी निभ सकती है और तुम जब मुझसे मिलने आर्य-समाज-

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

मन्दिर में आया-जाया करोगे तो इसमें तुम्हारे घर के लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा ?"

अशफाक़ ने बात सुनी और बड़ी संजीदगी के साथ उत्तर दिया—

"भाईजान ! आपने जो बात कही है, वह ऐसी है जो कही जानी चाहिए थी। अमूमन लोगों का यही ख्याल रहता है कि हिन्दू और मुसलमान दो भिन्न-भिन्न मज़हब हैं और उनके उसूल भी भिन्न-भिन्न हैं। मैं यह मानता हूँ कि हमारे मज़हब अलग-अलग हैं, लेकिन एक पाक़ रिश्ते से हम लोग महज़ जुड़े हुए ही नहीं हैं, उस रिश्ते से हम लोग आपस में भाई-भाई भी हैं। वह रिश्ता है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही भारत-माता के बेटे हैं और उसके लिए कुछ करने का फर्ज़ दोनों का ही है। रहा सवाल मज़हब का। मज़हब तो खुदा की इबादत का एक तरीका है। एक मंज़िल पर पहुँचने के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मंज़िल एक हुई तो फिर फर्क़ कहाँ रहा। मेरा ख्याल है कि शायद आप मेरी बात से इत्तिफाक़ रखते होंगे ?"

बिस्मिल ने अशफाक़ की पीठ ठोंकी और कहा—

"शाबाश मेरे भाई ! तुम्हारे ख्याल इतने बुलन्द हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा ख्याल है कि तुम इस बात से तो वाक़िफ होगे ही कि क्रान्ति का रास्ता काँटों का रास्ता है। इस रास्ते पर क़दम रखने वालों को ताज और तख्त नहीं, फाँसी के फन्दे और गोलियाँ मिलती हैं।"

"मैं इस रास्ते पर चलने के अंजाम से बहुत पहले से वाक़िफ हूँ और उस अंजाम को हासिल करने की मेरी तमन्ना भी है। दरअसल एक बात मेरे दिल में खटकती रहती है और वह कि मादरे-वतन की आज़ादी के लिए गोलियाँ खाने या फाँसी के फन्दे चूमने का ठेका सिर्फ हिन्दुओं ने ही ले रखा है ? क्या मुसलमान लोग इस मुल्क को अपना वतन नहीं मानते ? और अगर मानते हैं तो यह उनका भी फर्ज़ हो जाता है कि वे भी फाँसी के फन्दे चूमकर और सीने पर गोलियाँ खाकर इस बात का सबूत दें कि वे भी भारत-माता के बेटे हैं।"

अशफाक़-उल्ला खाँ की बात सुन कर रामप्रसाद बिस्मिल के मन की कली-कली खिल गई। उन्होंने कहा—

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

"तुम समझ लो कि तुम आज से 'हिन्दुस्तान-प्रजातंत्र-संघ' के सदस्य हो। हम लोगों की जोड़ी जीवन और मरण में साथ रहेगी।"

"आमीन" अशफाक़ ने कहा और वह बिस्मिल के गले से लिपट गया।

◇ ◇ ◇

रामप्रसाद बिस्मिल आर्य-समाज-मन्दिर के अपने अध्ययन कक्ष में किसी पुस्तक के पन्ने उलट-पुलट रहे थे। उसी समय अशफाक़ उनके पास पहुँचा। अब वह उनको 'भाईसाहब' या 'बिस्मिलजी' कहकर नहीं पुकारता था। वह उनका आधा नाम 'राम' कहकर उनका संबोधन करता था। उसने कह भी दिया था कि आप भले ही मेरे बड़े भाई के सहपाठी और मित्र हैं, लेकिन क्रान्तिकारी पार्टी में काम करने की वजह से अब मेरा और आपका बराबरी का दर्जा है। वह उनसे बोला—

"राम ! चलो बाज़ार में चल कर नाश्ता-पानी करके आते हैं। आज मेरी जेब में काफी पैसे हैं।"

बिस्मिल ने उत्तर दिया—

"देखो अशफाक़ ! नाश्ता करने की आदत तो मुझको वैसे भी नहीं है, फिर आज तो मेरा व्रत है, मैं नहीं चल सकूँगा।"

अशफाक़ ने कहा—

"अच्छा राम ! व्रत में फल तो चलते हैं। तुम इज़ाज़त दो तो मैं ताजे-ताजे फल ले आऊँ। हम दोनों यहीं बैठ कर खाएँगे।"

इस प्रस्ताव को बिस्मिलजी ने स्वीकार कर लिया। अशफाक़ चला गया। लगभग आधा घण्टे पश्चात् वह रूमाल में बाँधकर कुछ फल लाया और पोटली बिस्मिलजी के सामने रख दी। बिस्मिलजी ने पोटली खोली और देखा कि उसमें बिल्कुल ताज़े अमरूद थे। उन्होंने अमरूद धोकर एक तश्तरी में रखे और दोनों एक-एक अमरूद उठाकर दाँतों से ही काट कर खाने लगे। अमरूद खाते ही बिस्मिल बोले—

"अशफाक़ ! ये अमरूद तो कालू चाचा के बगीचे के लगते हैं और

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

उनके बगीचे के अमरूद बाजार में नहीं बिकते। तुम ये अमरूद कहाँ से लाए ?"

"राम ! ये अमरूद मैं कालू चाचा के बगीचे से ही लाया हूँ।"

"क्या चुरा कर लाए हो ?"

"तुमने ठीक पहचान लिया राम !"

"क्या रखवाला वहाँ नहीं था ?"

"हाँ था। मैंने उससे कह दिया कि कालू चाचा ने तुम्हें फौरन बुलाया है। वह कालू चाचा से मिलने गया और इस बीच मैंने अपना कमाल कर दिया। कुछ अमरूद उसके छोटे बच्चे को भी देकर आया हूँ।"

"यह तुमने अच्छा नहीं किया अशफाक़ ! व्रत के दिन मुझे चोरी का माल खिला दिया।"

"क्यों नखरे करते हो राम ! मैंने खूब सुन रखा है कि इस फन में तुम भी बहुत माहिर रहे हो। अब तो शायद तुम हज कर आए होगे।"

वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि दूर से कालू चाचा क्रोध की मुद्रा में एक डंडा हाथ में लिए हुए आते दिखाई दिए। अशफाक़ ने उन्हें देखा और स्थिति भाँप गया। वह पिछले दरवाजे से निकल कर भाग गया। कालू चाचा ने बिस्मिल के पास पहुँच कर कहा—

"क्यों रामप्रसाद ! क्या अशफाक़ यहाँ है ? ये अमरूद यहाँ कौन लाया है ?"

बिस्मिल का उत्तर था—

"कालू चाचा ये अमरूद आपके ही बगीचे के हैं और अशफाक़ इन्हें चुरा कर लाया है। वह एक मिनट पहले ही तो यहाँ बैठा था। आपको देखकर वह पिछले दरवाजे से भाग निकला।"

कालू चाचा बोले—

"रामप्रसाद ! मैं तो तंग आ गया हूँ इस अशफाक़ के बच्चे से। पहले तो तुम मेरा बगीचा उजाड़ते थे, अब यह उजाड़ने लगा है। रखवाले से झूठ बोल

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

कर उसे मेरे पास भेज दिया और उसकी गैरहाजिरी में डंडे मार-मार कर बहुत से अमरूद गिरा लिए। काफी नुकसान किया है उसने। पेड़ की टहनियाँ टूटी पड़ी हैं और कच्चे अमरूद भी बिखरे हुए हैं।"

"सचमुच बहुत बुरा किया चाचा ! उसने। वह अमरूद यहाँ लाया तो मैंने देखते ही कह दिया कि ये अमरूद कालू चाचा के बगीचे के हैं और तुम चुरा कर लाए हो। उसने अपनी चोरी कबूल कर ली। मैंने अमरूद खाने से इन्कार करते हुए कहा कि मैं व्रत के दिन चोरी के फल नहीं खा सकता। चाचा आप यह अमरूद उठा ले जाइये।"

"नहीं बेटे ! अब तुम ये अमरूद खाओ। मैं खुद तुम्हें दे रहा हूँ। अब ये चोरी के नहीं हैं। तुम्हारा व्रत है। फल खाने में संकोच मत करो। मैं तो उस शैतान को खोज कर ही रहूँगा और जब तक उसके चार-छह डन्डे नहीं जमा दूँगा, मुझे चैन नहीं आयगा।"

कालू चाचा भुनभुनाते हुए चले गए। वे अशफाक़ के घर पहुँचे। वहाँ भी वह नहीं था। उसके अब्बा से शिकायत की। उसके कई दोस्तों के घर भी उसे तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हार-थक कर वे अपने घर लौट गए। उनका पुत्र बीमार पड़ा था और उसके लिए उन्हें दवा लानी थी। जब वे घर पहुँचे तो देखते क्या हैं कि उनके पुत्र के पास अशफाक़ बैठा है और उसका सर सहला रहा है। दवा की भरी हुई शीशी भी स्टूल पर रखी देखी।

जब कालू चाचा निकट पहुँचे तो अशफाक़ ने खड़े होकर नज़रें नीची किए हुए बड़ी अदा के साथ उन्हें आदाब अर्ज़ किया। कालू चाचा अपना सारा गुस्सा पीते हुए बोले—

"तो बरखुरदार अपने बीमार दोस्त की तीमारदारी कर रहे हैं। मैं सारे शहर में तुम्हें खोजता फिरा। अगर तुम कहीं मिल जाते तो तुम्हारी खैरियत नहीं थी। यह दवा भी क्या तुम्हीं लाए हो ?"

"जी हाँ।" अशफाक़ ने नीची नज़रें किए हुए उत्तर दिया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

"कितने पैसे दिए दवा के ?"

"पैसे दे रहा था, उसने लिये नहीं, बोला कालू चाचा से ले लूँगा।"

"अच्छा बरखुरदार अब तुम फौरन रामप्रसाद बिस्मिल के पास जाओ। वह अमरूद खाने के लिए तुम्हारा इन्तज़ार कर रहा होगा। और हाँ देखो, आइन्दा बगीचे में जाकर नुकसान मत किया करो। अगर फल खाने का मन हो तो यहाँ आ जाया करो। मैं यहीं मँगवा दिया करूँगा। समझे ?"

"जी, शुक्रिया।"

अशफाक़ दौड़ता हुआ बिस्मिल के पास जा पहुँचा और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। दोनों खूब हँसे और फिर मिलकर ताजे-ताजे अमरूद खाए।

◇ ◇ ◇

अशफाक़ बीमार पड़ा हुआ था। उसे बेहोशी आ जाती थी। कभी वह थोड़ी आँखें खोल देता और फिर बन्द कर लेता। बेहोशी की हालत में कभी-कभी वह 'राम ! राम !' कह उठता था। उसके घर के लोग परेशान थे कि यह 'राम ! राम !' क्यों पुकार उठता है। उन्हें शक हुआ कि कहीं यह हिन्दू तो नहीं बन गया है। उसे देखने वाले कई लोग आ-जा रहे थे। उसे 'राम ! राम !' पुकारते देखकर एक सज्जन भेद समझ गए और रामप्रसाद बिस्मिल के पास जाकर उन्होंने कहा—

"क्या तुम्हें मालूम है कि अशफाक़-उल्ला खाँ बीमार पड़ा हुआ है ?"

"जी नहीं, मुझे तो बिलकुल ही खबर नहीं। मुझे किसी ने बताया भी नहीं। हाँ, दो दिन से वह मेरे पास आया नहीं है। शायद यही कारण हो।"

"हाँ, यही कारण है। वह बेहोश पड़ा हुआ है और बेहोशी की हालत में तुम्हारा नाम पुकारता रहता है।"

बिस्मिल को यह सुनकर बहुत चिन्ता हुई। दौड़े-दौड़े वे अशफाक़ के घर जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह सचमुच ही बेहोशी में 'राम ! राम !'

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पुकार उठता है। उन्होंने अशफाक़ का हाथ अपने हाथ में लेकर जोर से कहा—

"अशफाक़ ! मैं राम आ गया हूँ। मैं राम ही हूँ अशफाक़ ! देखो मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ।"

रामप्रसाद बिस्मिल की आवाज़ की भनक अशफाक़ के कानों में पड़ी। उसने धीरे-धीरे अपनी आधी आँखें खोलीं और बिस्मिल को देखकर बोला—

"तुम आगए राम ! मैं कब से तुम्हें पुकार रहा था।"

अब अशफाक़ के घर के लोगों को 'राम ! राम !' का रहस्य समझ में आया। बिस्मिल अब अपना काफी समय अशफाक़ के पास बिताने लगे। धीरे-धीरे वह पूर्ण रूप से स्वस्थ होगया।

◇ ◇ ◇

यह वह समय था जब देश की आज़ादी के लिए आन्दोलन काफी तेज हो गया था। काँग्रेस का आन्दोलन भी अँग्रेज हुकूमत पर पूरा दबाव डाल रहा था और क्रान्तिकारी लोग भी यहाँ-वहाँ अपने कारनामे दिखा रहे थे। संकट से उबरने के लिए अँग्रेजों के पास एक हथियार था जिसे वे अक्सर चला दिया करते थे। वह हथियार था—हिन्दू-मुस्लिम दंगा। इस बार भी उन्होंने इस हथियार को चला दिया और बैठकर तमाशा देखने लगे।

वह सन् १९२४ के सितम्बर का महीना था। भारतवर्ष के अन्य भागों से फैलती हुई सांप्रदायिक दंगे की आग शाहजहाँपुर भी पहुँच गई। दोनों फिरकों के लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे होगए। घरों में आग लगाई जाने लगी और दूकानें लूटी जाने लगीं। चाकुओं और छुरों से भी हमले होने लगे। शहर में खूं-रेज़ी की घटनायें बहुत बढ़ गईं। इस माहौल से जन-जीवन त्रस्त हो उठा।

मुसलमानों का एक समूह आर्य-समाज मन्दिर जा पहुँचा और उन्होंने उस मन्दिर में आग लगानी चाही। सौभाग्य से उसी समय शिकार खेलने के बाद अशफाक़-उल्ला खाँ वहाँ अपने मित्र रामप्रसाद बिस्मिल से मिलने

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पहुँचा था। वह अपनी राइफल लिए हुए निकल पड़ा और मन्दिर में आग लगाने वालों को ललकारा—

"शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, जो एक मन्दिर में आग लगाने आए हो। मन्दिर इबादत की जगह होती है और इबादत की जगह चाहे वह मन्दिर हो या मस्जिद सभी के लिए पूज्य होती है। अगर कोई इस मन्दिर में आग लगाने के लिए बढ़ा, तो वह मेरी गोली का शिकार होगा।"

बन्दूक की नली अपनी ओर तनी हुई देखकर किसकी हिम्मत हो सकती थी आगे बढ़ने की। अपना-सा मुँह लेकर दंगाई लोग वापिस चले गए।

उन्हें गया हुआ देख अशफाक़ ने बिस्मिल से कहा—

"राम! साम्प्रदायिकता की यह आग रोकने के लिए हमें कुछ जोखिम उठानी ही होगी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह हमारे शहर को बरबाद करके रख देगी।"

दोनों में योजना बन गई। अशफाक़-उल्ला खाँ ने ठेठ पठानी लिबास पहना और तुर्की टोपी भी लगाई। रामप्रसाद बिस्मिल ने धोती-कुर्ता पहना, दुपट्टा डाला और माथे पर चन्दन का तिलक लगाया। दोनों हाथ में हाथ डाले शाहजहाँपुर की सड़कों पर जा पहुँचे। उनकी पुकार थी—

"अय ख़ून के प्यासे हिन्दुओ! और मुसलमानो! आओ और हम दोनों को मार कर अपने ख़ून की प्यास बुझा लो और अगर तुममें कुछ ग़ैरत हो तो आओ और प्रतिज्ञा करो कि इस शहर में हम भाई-भाई जैसे मिलकर रहेंगे।"

दोनों की इस पुकार का जादू जैसा असर हुआ। दोनों सम्प्रदाय के लोग उनके पास पहुँचने लगे। मकानों में लगी आग का धुँआ बन्द होने लगा और अमन की रोशनी सारे शहर में फैल गई। ईद और दिवाली मिल कर मनाई जाने लगी।

राम और अशफाक़ की चर्चा हर जुबान पर थी।

◇ ◇ ◇

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

वह ७ अगस्त, सन् १९२५ का दिन था। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने क्रान्तिकारी साथियों की एक मीटिंग बुलाई। शाहजहाँपुर के अतिरिक्त लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और बनारस के क्रान्तिकारी भी इस मीटिंग में सम्मिलित हुए। कुल मिलाकर दस क्रान्तिकारियों ने मीटिंग में भाग लिया। वे थे—रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक़-उल्ला खाँ, मन्मथनाथ गुप्त, मुन्शीलाल, शचीन्द्रनाथ बख्शी, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, चन्द्रशेखर आज़ाद, बनवारीलाल, मुकुन्दीलाल और केशव चक्रवर्ती। मीटिंग बुलाने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा—

"साथियो!"

यह तो आपको विदित ही है कि क्रान्तिकारी गतिविधियों का संचालन करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। हमारे पास कोई ठोस अर्थ-स्रोत नहीं हैं। लोग हमें चन्दा देने से कतराते हैं। कभी-कभी हमें अनिच्छापूर्वक लोगों से बलपूर्वक धन लेने के लिए विवश होना पड़ता है। इसमें कभी-कभी अनावश्यक रक्त-पात भी होता है और हमारी छवि धूमिल पड़ती है। मैं सोचता हूँ कि हमें हमेशा के लिए डकैतियों की योजना को तिलांजलि दे देनी चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस विषय में आपकी क्या राय है?"

सभी सदस्यों ने वक्तव्य सुना और एक-दूसरे की ओर देखा। ऐसा लगता था, जैसे सभी बिस्मिल के प्रस्ताव से सहमत हैं। कुछ क्षण पश्चात् बनवारी लाल ने अपने विचार व्यक्त किए—

"मैं डकैती की योजना को तिलांजलि देने के पक्ष में नहीं हूँ। इस प्रकार के साहसिक अभियानों से साथियों को सैनिक अभ्यास के अवसर मिलते रहते हैं और पार्टी के कार्यों के संचालन के लिए पैसा तो मिलता ही है। मैं समझता हूँ कि साथी चन्द्रशेखर आज़ाद मेरे कथन की पुष्टि करेंगे।"

चन्द्रशेखर आज़ाद ने बिना असमंजस में पड़े तत्काल उत्तर दिया—

"मैं अपने नेता के विचारों से सहमत हूँ और डकैतियों के पक्ष में नहीं हूँ।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

आज़ाद का कथन सुनकर बनवारी लाल को व्यंग्य करने का अवसर मिला। शरारतपूर्ण लहज़े में बोले—

"मैं समझता हूँ कि चन्द्रशेखर आज़ाद डकैतियों के पक्ष में क्यों नहीं हैं। इस प्रकार के एक अभियान में वे पार्टी की एक अच्छी पिस्तौल एक महिला द्वारा छिनवा चुके हैं। सोचते होंगे कि यदि किसी अन्य अभियान में गए तो कोई अन्य महिला उनका पिस्तौल न छीन ले।"

साथी की यह चुभती हुई बात सुनकर आज़ाद तिलमिला गए। उसी लहज़े में उन्होंने अपना उत्तर दे मारा—

"जो एक महिला ने मेरे हाथ से पिस्तौल छीनी थी, उस सारी स्थिति से हमारे नेता बिस्मिलजी परिचित हैं। यदि साथी बनवारीलाल को कुछ भ्रम होगया हो तो मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि अभी मेरे हाथ में जो पिस्तौल है, वे उसे छीनकर अपनी मर्दमी का परिचय दें। यदि वे मेरे हाथ से पिस्तौल छीनने में सफल होते हैं तो वे जिस तरह से मुझे अपमानित करना चाहें, करें।"

बनवारीलाल ने आज़ाद की चुनौती को स्वीकार करने का साहस नहीं दिखाया। कटुता की स्थिति को समाप्त करने की दृष्टि से श्री रामप्रसाद बिस्मिल ने स्पष्टीकरण दिया—

"मैं उक्त घटना पर कई बार प्रकाश डाल चुका हूँ। आज आख़िरी बार फिर बताए देता हूँ। जिस परिवार में हम लोगों ने डकैती की, उसकी एक महिला ने आज़ाद की पिस्तौल पकड़ ली। शेष साथी अन्य कमरों में से सामान निकालने में व्यस्त थे। आज़ाद के संस्कारों ने उन्हें सिखाया है कि किसी महिला के साथ अभद्रता या बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप लोगों को मालूम है और श्री मन्मथनाथ गुप्त इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि अपनी किशोरावस्था में ही चन्द्रशेखर आज़ाद बनारस के एक प्रसिद्ध गुण्डा पहलवान को पछाड़ कर उसकी मरम्मत कर चुके हैं। एक महिला के हाथों से अपनी पिस्तौल छीन लेना उनके लिए बड़ी बात न थी। इसी बीच गाँव वालों ने एकत्र होकर हम लोगों पर प्रत्याक्रमण की योजना बना डाली। मैंने मन्मथनाथ को अन्दर भेजा कि आज़ाद को फौरन बुला लाओ। उस स्थिति में आज़ाद

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अपना पिस्तौल महिला के हाथों में छोड़कर चले आए। पिस्तौल छोड़ते हुए उन्होंने उसे लॉक कर दिया, जिससे महिला उन पर गोली न चला सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पार्टी ने अपनी एक पिस्तौल खो दी, लेकिन महिलाओं की इज्ज़त करने वाला चन्द्रशेखर आज़ाद जैसा हीरा पा लिया। इस स्पष्टीकरण के साथ अब मैं अपने मूल मुद्दे पर आता हूँ कि हमें डकैतियों को तिलाञ्जलि देनी चाहिए या नहीं ?''

इस बार शचीन्द्रनाथ बख्शी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की—

''मैं अपने नेता से यह जानना चाहता हूँ कि यदि हमने डकैतियों को तिलाञ्जलि दे दी तो पार्टी के कार्य के लिए पैसा कहाँ से आएगा ?''

बिस्मिल का कथन था—

''मैं यही तो चाह रहा था कि आप में से कोई यह प्रश्न मुझसे करे। दरअसल जो योजना मेरे दिमाग में है, वह यह है कि हम लोग शासन पर डाके डालें और यह सम्भव भी है। मैंने एक स्थिति का अध्ययन किया है, वह मैं आपको बतलाता हूँ। एक दिन मैं लखनऊ जा रहा था और गार्ड के डिब्बे के पास वाले डिब्बे में बैठा था। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो गार्ड के डिब्बे में 'खट' की आवाज हुई। मैंने उतरकर उधर झाँका तो देखा कि एक थैली एक लोहे की सन्दूक में डाली गई थी। अगले स्टेशन पर वहाँ का स्टेशन-मास्टर रुपयों की थैली लिए हुए आया और वह भी गार्ड के डिब्बे में रखे सन्दूक में डाल दी गई। मैंने सोचा कि सन्दूक लोहे की जंजीर से बँधा रहता होगा, लेकिन देखने पर मालूम हुआ कि वह बँधा हुआ नहीं रहता था। मेरे मन में ख़याल आया कि सहारनपुर से लखनऊ तक के सभी स्टेशनों की आय सन्दूक में रखी जाती है, इस कारण काफी पैसा उस सन्दूक में रहता होगा। उस सन्दूक की सुरक्षा के लिए कोई सिपाही भी गार्ड के डिब्बे में नहीं रहता। मैं सोचता हूँ कि क्यों न हम लोग किसी दिन उस सरकारी खजाने को लूट लें।''

रामप्रसाद बिस्मिल का यह प्रस्ताव सुनकर लगभग सभी सदस्यों के चेहरों पर उत्साह की झलक दिखाई दी। केवल एक ही सदस्य निर्विकार भाव से

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

बैठा रहा, और वह था अशफाक़-उल्ला खाँ। रामप्रसाद बिस्मिल ने अशफाक़ की तरफ देखकर पूछा—

"क्यों अशफाक़ ! इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है ?"

अशफाक़ ने गम्भीर मुद्रा में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये—

"बात यह है बिस्मिलजी ! कि मैं अभी इस राय से इत्तफाक़ नहीं रखता कि हम लोग ब्रिटिश हुकूमत से सीधा टकराएँ या उसे चुनौती दें। अँग्रेजी खजाना लूटने का मतलब होगा, सरकार से सीधा टकराना। किसी व्यक्ति पर डाका डालने और सरकार पर डाका डालने में फ़र्क़ है। जब किसी व्यक्ति पर डाका पड़ता है तो सरकार या उसकी पुलिस उस मामले को उतनी गम्भीरता से नहीं लेती। जब खुद सरकार पर डाका पड़ेगा तो वह उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जायगा और उसकी सारी मशीनरी हमें खोज निकालने और हमें दण्ड देने में लग जायगी। एक तो अभी हमारे पास हुकूमत से सीधी टक्कर लेने की तैयारी नहीं है और अगर हम पकड़े गये तो हमारी सारी योजना एक काण्ड के साथ ही खत्म हो जायगी। इसलिए मेरा अपना ख्याल तो यही है कि हम लोग अभी हुकूमत से सीधी टक्कर लेने की स्थिति से बचें और अपनी हालत को सुधारें और तैयारी करें।"

अशफाक़-उल्ला खाँ की बात कई सदस्यों की समझ में आई और उन्होंने 'हाँ, बिल्कुल ठीक है' कह कर उसका समर्थन भी किया। दल के एक सदस्य बनवारीलाल ने इस स्थिति को अशफाक़ और बिस्मिलजी पर व्यंग्य कसने का अच्छा अवसर समझा। वे बिस्मिल की ओर देख कर बोले—

"बिस्मिलजी ! आपने देखा, आपके भरोसे के सभी लेफ्टिनेन्ट कन्नी काट रहे हैं।"

यह स्थिति अशफाक़ को उकसाने के लिए काफी थी। वह तिलमिला गया और साथी बनवारीलाल को सुना कर उसने कहा—

"देखिए जनाब ! यह तो वक्त ही बतायेगा कि आखिरी दम तक पार्टी का कौन साथ देता है और कौन कन्नी काटता है। मैं तो इतना कहे

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

देता हूँ कि पार्टी की भलाई के लिए जो बात मैंने मुनासिब समझी, वह सबके सामने कह दी। जिसका दिल साफ होता है वह दो-टूक बात कह देता है। मैं यह और बता दूं कि चूंकि मुझसे अपनी राय पूछी गई थी, वह मैंने बता दी। इसके बावजूद यदि पार्टी एक्शन लेने का फैसला करती है तो मैं तहेदिल से अपना सहयोग दूंगा और जो भूमिका मुझे दी जायगी, मैं बखूबी उसे निभाऊँगा।

अशफाक़ की इस बात ने उसकी सफाई दे दी और साथ ही पार्टी के सदस्यों के हौसले को बढ़ा दिया। यही तय हुआ कि दल के नेता श्री बिस्मिल ट्रेन-डकैती की मुकम्मिल योजना तैयार करें और जिस वक्त वे कहें, लोग एक्शन के लिए चल पड़ें।

बिस्मिल का कथन था—

"आप लोग यही समझ लीजिये कि यह ऐक्शन बहुत ही जल्दी होने वाला है और आप लोगों में से कोई भी शाहजहाँपुर के बाहर न जाय।"

◇ ◇ ◇

९ अगस्त १९२५ को जब सहारनपुर-लखनऊ पैसेञ्जर-गाड़ी शाहजहाँपुर स्टेशन पर रुकी तो रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सात क्रान्तिकारी उस ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बों में सवार हुए। उनमें से कुछ की हुलिया राज लोगों जैसी थी जो मकान बनाने का काम करते हैं। दो-एक थैलों में कुछ औजार थे, जैसे छैनियाँ, बड़े हथौड़े, कुल्हाड़ा और कुछ भुने हुए चने। इन लोगों को बिस्मिल का यह निर्देश था कि वे लोग खिड़कियों के पास बैठें और ज्यादा समय बाहर झाँकते रहें। बाहर झाँकते रहने से दो लाभ थे—एक तो उन्हें पता चलता कि किसी स्टेशन से पुलिस-दल या मिलिट्री के लोग तो गाड़ी पर सवार नहीं हुए। दूसरा लाभ यह था कि पास बैठे हुए सह-यात्री उनके चेहरे नहीं पहचान सकते थे। ७ अगस्त को जो मीटिंग हुई थी, उनमें से सात क्रान्तिकारी तो शाहजहाँपुर से उस ट्रेन में सवार हुए। शेष तीन थे—शचीन्द्रनाथ बख्शी, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी और अशफाक़-उल्ला खाँ।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

ये तीनों पहले ही काकोरी स्टेशन पहुँच गए थे और वहाँ से उन्हें उस ट्रेन में सवार होना था। वे लोग खाकी नेकर और खाकी कमीज पहने हुए थे और सरों पर फैल्ट हैट लगाए हुए थे।

काकोरी स्टेशन पर शचीन्द्रनाथ बख्शी टिकिट मिलने वाले कमरे के अन्दर गए और टिकिट बाबू से लखनऊ के दूसरे दर्जे के तीन टिकिट माँगे। टिकिट बाबू ने बख्शीजी को नीचे से ऊपर तक देखा और टिकिट देने में कुछ देर की। वह उन्हें आश्चर्य से इसलिए देख रहा था कि एक तो वे पहले उस गाँव में कभी नहीं देखे गए थे और दूसरी बात यह थी कि कभी दो-तीन महीनों में दूसरे दर्जे का कोई एक टिकिट बिकता होगा और वे तीन टिकिट माँग रहे थे। बख्शीजी ने टिकिट बाबू को विशुद्ध अँग्रेजी में झाड़ते हुए कहा—

"आप किस तरह के आदमी हैं जो मुझे घूर-घूर कर देख रहे हैं। मैंने आपसे दूसरे दर्जे के लखनऊ के तीन टिकिट माँगे हैं, आप दे क्यों नहीं रहे ?"

अँग्रेजी में लगाई गई झाड़ का टिकिट बाबू पर असर हुआ और सकपका कर उसने तीन टिकिट उन्हें दे दिए। बख्शीजी टिकिट लेकर अपने साथियों के पास प्लेटफार्म पर पहुँच गए।

गाड़ी आने की घण्टी बजी और कुछ ही समय में सहारनपुर-लखनऊ गाड़ी काकोरी स्टेशन पर रुक गई। दोनों दलों ने अपने-अपने साथियों को देख लिया और आश्वस्त हुए। बख्शी, लाहिड़ी और अशफाक़ दूसरे दर्जे के डिब्बे के अन्दर पहुँच गए। उस डिब्बे में दो बैंचें थीं जिनमें से एक पर एक हैट रखा हुआ था। जिस बर्थ पर हैट रखा हुआ था, उस पर अशफाक़ और सामने वाली खाली बर्थ पर शचीन्द्रनाथ बख्शी और राजेन्द्र लाहिड़ी बैठ गए। बख्शी खिड़की के बाहर झाँकने लगे। खिड़की में से झाँकने की सुविधा लाहिड़ी और अशफाक़ को नहीं थी। काकोरी स्टेशन छोड़कर गाड़ी सरकने लगी। वह यात्री भी दूसरे दर्जे के डिब्बे के अन्दर पहुँच गया, जिसका हैट रखा हुआ था। उसने बैठकर अपना हैण्ड-बैग भी बर्थ पर रख दिया। उसके बैग पर उसके नाम की पर्ची लगी हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था—'चन्द्रपाल गुप्त, डॉक्टर रेलवे विभाग।' अशफाक़ ने वह नाम पढ़ लिया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

लगभग सूर्यास्त का समय हो रहा था। काकोरी स्टेशन छोड़कर गाड़ी आलमनगर स्टेशन की तरफ दौड़ रही थी। अचानक शचीन्द्रनाथ बख्शी ने डिब्बे में नज़रें दौड़ाते हुए घबराहट के स्वर में लाहिड़ी की ओर देखते हुए कहा—

"अरे ! वह अपना जेबरों वाला बक्सा कहाँ है ?"

राजेन्द्र लाहिड़ी ने घबराहट व्यक्त करते हुए उत्तर दिया—

"वह तो कुँअरजी के हाथ में था। क्यों कुँअरजी ! क्या आपने उसे डिब्बे में नहीं रखा ?"

कुँअरजी नामधारी अशफाक़ ने और ज्यादा घबराहट का अभिनय करते हुए कहा—

"अरे ! गज़ब होगया। वह तो उसी बैंच के पास रखा रह गया, जहाँ प्लेटफार्म पर हम लोग बैठे हुए थे।"

शचीन्द्रनाथ बख्शी ने बदहवासी का अभिनय करते हुए कहा—

"हम तो मिट गए भाई ! बीस हज़ार रुपये के जेबरों का बक्सा प्लेट-फार्म पर छोड़ आये। जल्दी गाड़ी की जंजीर खींचो और बक्से की खोज में भागो।"

इसके पहले कि कोई अन्य जंजीर खींचे, बख्शी स्वयं ही लपक कर उठे और ताकत लगा कर जंजीर खींच दी। जंजीर खींचने के कुछ क्षण पश्चात् गाड़ी रुक गई और दूसरे दर्जे के वे तीनों यात्री डिब्बे के नीचे कूद पड़े। उनके साथी अन्य सात क्रान्तिकारी भी अपने-अपने डिब्बों से नीचे कूद पड़े और दोनों ओर से गाड़ी घेरकर आवाज़ लगाने लगे—

"मुसाफिरो होशियार ! कोई भी गाड़ी के नीचे न उतरे। अगर कोई उतरा तो गोली मार दी जाएगी। सब लोग अपनी-अपनी जगह पर बेफ़िक्री के साथ बैठे रहें। हम किसी मुसाफिर को नहीं सताएँगे। हम तो अँग्रेजी खजाना लूट कर चले जाएँगे।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

यात्रियों ने तत्परता के साथ गाड़ी की खिड़कियाँ बन्द कर लीं। गाड़ी के अँग्रेज गार्ड महोदय उतर कर दूसरे दर्जे के डिब्बे की ओर बढ़े, जहाँ जंजीर खींची गई थी। कड़कती हुई आवाज में गार्ड साहब को आदेश मिला कि औंधे मुँह जमीन पर लेट जाँय। उन्होंने तत्परता से आज्ञा का पालन किया। गार्ड को दिए गए आदेश को सुनकर अँग्रेज ड्राइवर ने भी उसका पालन किया और वह बिना किसी के कहे घास में लेट रहा।

बिस्मिल और अशफाक़ ने गार्ड के डिब्बे में रखा खजाने का सन्दूक खींच कर नीचे गिरा दिया। अशफाक़ ने छैनी पकड़ी और बिस्मिल ने उस पर हथौड़े के प्रहार प्रारम्भ किए। इस मार का सन्दूक पर कोई असर नहीं हुआ। समय जा रहा था। अब अशफ़ाक़ ने कुल्हाड़ा लेकर पूरी ताकत से उस पर वार प्रारम्भ कर दिए। अशफाक़ कद्दावर नौजवान था। पूरी ताकत के साथ किए गए उसके वारों को सन्दूक बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपना मुँह खोल दिया। अशफाक़ ने कस-कस कर दस-पाँच हाथ और जमाए और दरार को और चौड़ा कर दिया। बिस्मिल ने हाथ डाल कर रुपयों वाले सभी सीलबन्द थैले बाहर निकाल लिए।

इसी समय लखनऊ की तरफ से आने वाली एक गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। थोड़ी देर काम बन्द करके वे लोग दुबक गए। दूसरी लाइन पर से देहरा एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई निकल गई। क्रान्तिकारियों ने अपना काम फिर प्रारम्भ कर दिया। वे लोग हर पाँच मिनट के पश्चात् पाँच फायर कर दिया करते थे। ट्रेन के अन्दर सवार यात्री समझ रहे थे कि पचास-साठ डाकुओं ने गाड़ी घेर रखी है, जब कि संख्या में वे लोग कुल दस थे। इसी बीच जनाने डिब्बे में किसी महिला की चीख सुनाई दी और पास वाले डिब्बे में बैठे उसके पति महोदय अपनी पत्नी की चीख पहचान कर उसकी खबर लेने के लिए नीचे उतरे। वे एक मुसलमान सज्जन मुख्तियार साहब थे। ऐसा करने में एक गोली उनको लगी और वे नीचे गिरकर ढेर हो रहे।

क्रान्तिकारियों ने एक चादर में रुपयों के थैले बाँधे। अपना सब सामान बटोरा और चंपत होगए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

कुछ यात्रियों ने खिड़कियों में से गिरोह को जाते हुए देख लिया था। अब उन्होंने डिब्बों की खिड़कियाँ खोल लीं और बाहर झाँक कर देखा। डाकू लोग जा चुके थे। कुछ लोग औंधे मुँह लेटे हुए गार्ड साहब के पास जाकर खड़े होगये। गार्ड साहब उसी प्रकार लेटे रहे। लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया—

"गार्ड साहब ! डाकू लोग जा चुके हैं। अब आप उठिए।"

गार्ड साहब उठे और इंजिन की तरफ इस इरादे से चल दिए कि ड्राइवर साहब से गाड़ी चलाने के लिए कहा जाय। कुछ यात्री भी उनके साथ हो लिए। गाड़ी चले तो कैसे चले। ड्राइवर साहब का तो कहीं पता नहीं था। उनकी खोज प्रारम्भ हुई। कुछ यात्रियों ने उन्हें ऊँचे खड़े घास के अन्दर से खोज निकाला। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वे इंजिन के अन्दर पहुँचे और गाड़ी चली।

क्रान्तिकारी लोग भी कच्चे रास्ते से लखनऊ की तरफ बढ़े। उन्होंने थैले तोड़कर रुपए रख लिए और थैले एक नाले में फेंक दिए। उनके हाथ आठ हजार छह सौ रुपए लगे। वे लोग सुरक्षित लखनऊ पहुँच गए।

ट्रेन-डकैती द्वारा प्राप्त धन का पूरा-पूरा उपयोग क्रान्तिकारियों ने किया। जिन केन्द्रों पर पैसे का अभाव था और सदस्य लोग भूखों मर रहे थे, वहाँ पैसा भेज दिया गया। उधारी चुका दी गई। कुछ पैसा प्रचार-कार्य के लिए रख दिया गया और शेष धन से हथियार खरीद लिए गए। लखनऊ से सभी क्रान्तिकारी अपने-अपने स्थानों को लौट गए।

◇ ◇ ◇

काकोरी-ट्रेन-डकैती की घटना ने ब्रिटिश हुकूमत के कान खड़े कर दिए। यह घटना सरकार और उसकी पुलिस के लिए चुनौती थी। सारे उत्तरप्रदेश में जासूसों का जाल बिछा दिया गया, पर उस जाल में कोई भी नहीं फँसा। कुछ दिन पहले रेलवे विभाग के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था। पुलिस का ध्यान इस ओर गया कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

ने ही डकैती की होगी क्योंकि वे खजाने के लाने-ले-जाने की प्रक्रिया से परिचित होते हैं। उन सभी की निगरानी की गई लेकिन डकैती का कोई सुराग नहीं मिला।

ट्रेन-डकैती को लेकर पुलिस-विभाग में दो दल होगए। एक दल का कहना था बिना कोई ठोस प्रमाण मिले हुए, किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सही अपराधियों को बचने का अवसर मिलता है। दूसरे दल का कथन था कि बिना अधिक इन्तजार किए राजनैतिक चेतना वाले सभी लोगों को गिरफ़्तार कर लेना चाहिए और जब एक बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायगा तो कुछ न कुछ प्रमाण तो मिल ही जाएँगे। इस मत के समर्थकों में सी० आई० डी० विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट मिस्टर हर्टन प्रमुख थे। आखिर उनकी बात मान ली गई और गिरफ्तारियों की जिम्मेदारी उनको दे दी गई।

ट्रेन-डकैती राजनैतिक चेतना वाले व्यक्तियों ने की है, इसका आधार मि० हर्टन के पास था। रामप्रसाद बिस्मिल के लाख समझाने पर कि घटना-स्थल पर कोई वस्तु न छोड़ी जाय, एक क्रान्तिकारी अपनी खादी की चादर भूल से वहाँ छोड़ गया। वह चादर पुलिस के हाथ लग गई। खादी की उस चादर ने ही मि० हर्टन को यह सोचने के लिए विवश किया कि उक्त घटना के पीछे राजनैतिक चेतना वाले लोगों का हाथ होना चाहिए।

कुछ दिन पश्चात् मि० हर्टन को एक आधार और मिल गया। पुलिस विभाग ने लूटे गए नोटों में से बड़े-बड़े नोटों के नम्बरों से पता लगा लिया था और उन नम्बरों में से दो नोट शाहजहाँपुर के बाजार में पाए गए। इससे इस बात की पुष्टि होती थी कि या तो शाहजहाँपुर के कुछ लोग डकैती में सम्मिलित रहे हैं या शाहजहाँपुर के लोगों के पास डकैतों का आना-जाना रहा है। पुलिस के पास इस बात का तो प्रमाण था ही कि 'मैनपुरी-षड्यंत्र-केस' के कुछ फरार व्यक्ति शाहजहाँपुर के थे और उसमें रामप्रसाद बिस्मिल प्रमुख थे। जासूसों ने यह भी पता लगा लिया कि रामप्रसाद बिस्मिल ९, १० और ११ अगस्त १९२५ को शाहजहाँपुर में नहीं थे। रामप्रसाद बिस्मिल पर पुलिस का सन्देह बढ़ता गया और उन पर निगरानी रखी जाने लगी। कुछ लोगों ने

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

बिस्मिल को समझाया भी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनके विरुद्ध कोई प्रमाण मिल ही नहीं सकते, अतः वे फरार नहीं हुए।

◇ ◇ ◇

क्रान्तिकारियों के अपने-अपने जीवित पोस्ट-बॉक्स हुआ करते थे। शाहजहाँपुर में रामप्रसाद बिस्मिल का पोस्ट-बॉक्स स्थानीय गवर्नमेन्ट हाई स्कूल का एक विद्यार्थी था, जिसका नाम था इन्दुभूषण। बिस्मिल के पास पहुँचने वाले सभी पत्र इन्दुभूषण के पते से आते थे और वह स्वयं उन पत्रों को बिस्मिल को दे आता था। जासूस-प्रवर मि० हर्टन को इस तथ्य का भी पता चल गया और उसने स्कूल के हेडमास्टर खान साहब इदरीस अहमद से मिलकर एक व्यवस्था कर ली। इन्दुभूषण के नाम से आने वाले पत्र हेडमास्टर साहब खोल लिया करते थे और उनकी नकल करके मि० हर्टन के पास भेज दिया करते थे। मूलपत्र उसी लिफाफे में बन्द करके इन्दुभूषण को दे दिया जाता था। मि० हर्टन को बिस्मिल की सारी गतिविधियों का पता चल रहा था और उनके मित्रों के पते-ठिकाने भी मिल रहे थे।

बिस्मिल को भेजे गए इसी प्रकार के एक पत्र से हर्टन को पता चला कि क्रान्तिकारियों की कोई मीटिंग १३ और १४ सितम्बर १९२५ को मेरठ में होने वाली है। हर्टन ने एक सी० आई० डी० इन्सपेक्टर बर्मासिंह को उस मीटिंग पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया। बर्मासिंह और उसके सहायक फेरूसिंह ने मेरठ-मीटिंग की पूरी कार्यवाही मि० हर्टन के पास भेज दी।

◇ ◇ ◇

२६ सितम्बर १९२५ की रात्रि का अन्तिम प्रहर था। शाहजहाँपुर के लोग आखिरी प्रहर की गहरी नींद में सोए हुए थे। कहीं भी जीवन का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। बिजली विभाग से मिलकर पुलिस वालों ने सड़कों की रोशनी बन्द करा दी थी। पुलिस के कुछ लोग बूटों की आवाज किए बिना कुछ घरों की तरफ बढ़ रहे थे। इसी माहौल में एक सैनिक-समूह ने रामप्रसाद बिस्मिल के घर के दरवाजे को थपथपाया।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

रामप्रसाद बिस्मिल प्रतिदिन सुबह चार बजे उठकर अपने प्रातःकालीन कर्मों में लीन हो जाया करते थे। वे प्रातःस्मरण करने बैठ ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक सुन कर उसे खोलने जा पहुँचे। ज्यों ही, उन्होंने दरवाजा खोला पुलिस-समूह ने उन्हें घेर लिया और पुलिस-इन्सपेक्टर ने गिरफ्तारी का वारण्ट उन्हें थमा दिया। उन्हें इतना अवसर दिया गया कि वे अपने कपड़े पहन लें। सैनिक-समूह में से कुछ लोग उनके साथ मकान के अन्दर गए और कुछ बाहर पहरा देते रहे। मकान की पूरी तलाशी ली गई और पुलिस को कोई भी आपत्तिजनक वस्तु हाथ नहीं लगी। बिस्मिल ने खूँटी पर से उतार कर अपना कुर्ता पहना। जब उन्होंने अपने कुर्ते की जेब के अन्दर हाथ डाला तो पाया कि एक मित्र को लिखा गया लिफाफा जेब के अन्दर पड़ा ही रह गया है। पुलिस-इन्सपेक्टर ने जब पूछा कि जेब में क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि एक मित्र को पत्र लिखा गया था, वह डाक में डालने से रह गया है। पुलिस-इन्सपेक्टर ने वह पत्र उनसे ले लिया। वह बनारस के रामनाथ पाण्डे को लिखा गया था। बिस्मिल को गिरफ्तार करके पुलिस-दल उन्हें थाने पर ले गया।

दूसरे सैनिक-समूह ने ठाकुर रोशनसिंह के घर पर छापा मारा और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार बनारसीलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

अशफाक़-उल्ला खाँ को पुलिस की हलचल का पता चल गया था। वह घर से भाग निकला और शहर के बाहर एक गन्ने के खेत में छिप गया। पुलिस जब उसके घर पहुँची तो वह गायब था। पुलिस अशफाक़ के भाई की राइफल और कारतूसों की माला उठा कर थाने पर ले गई।

रामप्रसाद बिस्मिल की शाहजहाँपुर नगर में काफी प्रतिष्ठा थी और पुलिस ने भी उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा। न तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाली गईं और न रस्सी से उनके हाथ बाँधे गए। केवल दो-तीन सिपाही उनके आसपास जा रहे थे और वे भी निहत्थे थे। भाग-निकलने के लिए यह बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन बिस्मिल के मन में यही आया कि

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

जो पुलिस वाले उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रख रहे हैं, उनके पहरे में से भाग कर उनकी रोजी-रोटी न छिनवाई जाय।

पुलिस-थाने पर बिस्मिल को एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। एक बूढ़े मुंशीजी रोजनामचे में कुछ लिख रहे थे। मुंशीजी उनकी पहचान के सज्जन पुरुष थे। उन्हीं ने उनके लिए कुर्सी दी थी। थोड़ी देर पश्चात् अशफाक़ के घर से आया हुआ सैनिक-दल मुंशीजी के पास अशफाक़ की राइफल और कारतूसों की माला रख कर चला गया। मुंशीजी ने वे चीजें अपने अधिकार में लेकर सिपाहियों को जाने के लिए कह दिया। वे लोग चले गए। मुंशीजी ने राइफल और कारतूसों की माला उठा कर उस तरफ रख दी, जिधर कुर्सी पर बिस्मिल बैठे हुए थे। उस समय बिस्मिल चाहते तो भाग भी सकते थे और अपने साथ राइफल और कारतूसों की माला भी ले जा सकते थे। उनके मन में यह विचार भी आया, पर उस विचार को उन्होंने पनपने नहीं दिया। उन्होंने यही सोचा कि यह बूढ़े मुंशीजी के साथ विश्वासघात होगा और उनकी सफेदी पर तो धब्बा लगेगा ही, उनकी पकी हुई नौकरी भी जाती रहेगी। थोड़ी देर पश्चात् जब पुलिस अधीक्षक महोदय वहाँ पहुँचे तो हथियारों के पास पूर्ण रूप से खुले हुए बिस्मिल को देख कर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। युक्तिपूर्वक वह राइफल हटवा कर उन्होंने माल-घर में पहुँचवा दी।

सुबह होने को थी। थोड़ा अंधकार शेष था। बिस्मिल ने एक बार शौच जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें थाने के शौचालय में एक सिपाही ले गया। इस समय भी उनके हाथों में रस्सी नहीं बाँधी गई थी। सिपाही उन्हें छोड़ कर बाहर अखाड़े में हो रही कुश्तियाँ देखने में व्यस्त होगया। यह अवसर भी बिस्मिल को भागने के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें उस सिपाही का ध्यान हो आया जो विश्वासपूर्वक उन्हें अकेला छोड़ गया था। उसकी नौकरी जाती और उसके बच्चे भूखों मरने लगते। विश्वास की रक्षा के लिए उस अवसर का लाभ भी बिस्मिल ने नहीं उठाया।

◇ ◇ ◇

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

गिरफ्तारियों का सिलसिला जो शाहजहाँपुर से प्रारम्भ हुआ। वह जारी रहा और उत्तरप्रदेश के कई नगरों से क्रान्तिकारी लोग धर लिए गए। २६ सितम्बर १९२५ के पूर्व दो प्रमुख गिरफ्तारियाँ हो चुकी थीं। कलकत्ता से शचीन्द्रनाथ सान्याल और हावड़ा स्टेशन से योगेशचन्द्र चटर्जी को गिरफ़्तार किया जा चुका था।

रामप्रसाद बिस्मिल के कुर्ते की जेब से जो पत्र पुलिस ने जब्त किया, उसके आधार पर बनारस से रामनाथ पाण्डे को गिरफ़्तार कर लिया गया। बनारस-हिन्दू-विश्व-विद्यालय के एक छात्र राजकुमार सिन्हा का उल्लेख शाहजहाँपुर के इन्दुभूषण मित्र को भेजे गए पत्र में हुआ था। पुलिस जब राजकुमार सिन्हा के कमरे पर पहुँची तो कमरे का ताला लगा पाया गया। पुलिस ने ताला तोड़ लिया और राजकुमार के सन्दूक में से दो राइफलें बरामद कीं। बाद में राजकुमार सिन्हा कानपुर में गिरफ़्तार होगया।

रामप्रसाद बिस्मिल के पोस्ट-बॉक्स इन्दुभूषण मित्र ने जब बिस्मिल की गिरफ्तारी की सूचना एक पत्र द्वारा रामनाथ पाण्डे को दी, तो पुलिस ने शाहजहाँपुर के इन्दुभूषण मित्र को गिरफ्तार कर लिया। काकोरी-ट्रेन-डकैती में केवल दस क्रान्तिकारियों ने भाग लिया था, लेकिन पुलिस ने चालीस लोगों को गिरफ्तार करके लखनऊ जेल में डाल दिया। गिरफ्तार क्रान्तिकारी थे—

१. रामप्रसाद बिस्मिल, शाहजहाँपुर
२. ठाकुर रोशनसिंह ,,
३. प्रेमकृष्ण खन्ना ,,
४. लाला हरगोविन्द ,,
५. बनारसीलाल ,,
६. इन्दुभूषण मित्र ,,
७. रामदत्त शुक्ल ,,
८. राजकुमार सिन्हा कानपुर

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

९.	सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य	कानपुर
१०.	रामदुलारे त्रिवेदी	,,
११.	वीरभद्र तिवारी	,,
१२.	गोपीमोहन	,,
१३.	गोविन्दचरण कर	लखनऊ
१४.	हरनाम सुन्दरलाल	,,
१५.	शचीन्द्रनाथ विश्वास	,,
१६.	मन्मथनाथ गुप्त	बनारस
१७.	सेठ दामोदर स्वरूप	,,
१८.	इन्द्रविक्रमसिंह	,,
१९.	रामनाथ पाण्डे	,,
२०.	डी० डी० भट्टाचार्य	,,
२१.	राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी	,,
२२.	शचीन्द्रनाथ सान्याल	इलाहाबाद
२३.	भूपेन्द्रनाथ सान्याल	,,
२४.	शीतला सहाय	,,
२५.	शिवचरनलाल	आगरा
२६.	चन्द्रधर जौहरी	,,
२७.	चन्द्रभाल जौहरी	,,
२८.	ज्योतिशंकर दीक्षित	इटावा
२९.	मुकुन्दीलाल	,,
३०.	रामरतन शुक्ल	,,
३१.	बाबूराम वर्मा	एटा
३२.	मोहनलाल गौतम	लाहौर
३३.	शरतचन्द्र गुह	कलकत्ता
३४.	योगेशचन्द्र चटर्जी	,,
३५.	विष्णुशरण दुबलिस	मेरठ
३६.	भैरोंसिंह	,,

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

३७.	मदनलाल	मेरठ
३८.	रामकृष्ण खत्री	चाँदा
३९.	प्रणवेश चटर्जी	जबलपुर
४०.	कालिदास बसु	बेहरामपुर

काकोरी-ट्रेन-डकैती के तीन क्रान्तिकारी पुलिस के लिए सर-दर्द बने रहे, जिन्हें वह गिरफ्तार नहीं कर सकी। वे थे—चन्द्रशेखर आज़ाद, शचीन्द्रनाथ बख्शी और अशफाक़-उल्ला खाँ।

◇ ◇ ◇

लखनऊ सेन्ट्रल जेल की एक कोठरी में बन्द काकोरी-काण्ड के एक अभियुक्त बनारसीलाल के पास पहुँच कर पुलिस-इन्सपेक्टर ने कहा—

"देखो बनारसीलाल ! तुम शाहजहाँपुर के एक प्रतिष्ठित काष्ठ-शिल्पी हो। तुम्हारी आय से तुम्हारे परिवार का खर्च चलता है। यदि तुम्हें दस-पन्द्रह साल की कैद की सज़ा मिल गई तो तुम तो जेल की कोठरी में सड़ते रहोगे और तुम्हारे परिवार के लोग भूखों मरने लगेंगे। अगर तुम स्वयं को और अपने परिवार को बरबादी से बचाना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि तुम पुलिस के इक़बाली गवाह बन जाओ और ट्रेन-डकैती के सारे भेद हमें बता दो।"

बनारसीलाल ने पुलिस-इन्सपेक्टर की बात सुनकर दृढ़ रहने का अभिनय करते हुए कहा—

"देखिए इन्सपेक्टर साहब, न तो मैं स्वयं ट्रेन-डकैती में सम्मिलित था और न मुझे यह पता कि उसमें कौन-कौन लोग सम्मिलित थे। मुझे फुसलाने की आपकी कोशिशें बेकार होंगी। आप मेरा समय खराब मत कीजिए। जाइए, आप और किसी आसामी को टटोलिए।"

पुलिस-इन्सपेक्टर के ऊपर बनारसीलाल के इस कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आए दिन वह अभियुक्तों के मुँह से इस प्रकार की बातें सुनने का आदी

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

था। उसने अपना पैंतरा बदला और सिपाहियों को सम्बोधित करते हुए कहा—

"फेरनसिंह और जमाल खाँ ! तुम दोनों इन श्रीमान् को विशेष मेहमान-घर में ले जाओ। इसके हाथ-पैर बाँध दो और जमादार भीखू से कहो कि वह पाखाने का तोबड़ा इसके मुँह से बाँध दे और दिन-भर उसे बँधा रहने दे। इसे पानी की एक बूँद न दी जाय। अगर यह फिर भी न माने तो मुझे बुलाना। मेरे पास इसे ठीक करने का दूसरा इलाज भी है।"

दोनों सिपाहियों ने अपने अफसर के हुक्म के पालन में बनारसीलाल को पकड़ा और ले जाने के पहले डण्डों के चार-छह ठूँसे उसकी छाती और पीठ में दिए। इस प्रारम्भिक इलाज ने ही बनारसीलाल के तसमे ढीले कर दिए। वह रोनी शक्ल बनाकर इन्सपेक्टर से बोला—

"मुझे आपकी बात मंजूर है साहब, लेकिन अभी नहीं, कल रात अलहिदा ले जाकर आप मेरे बयान ले लीजिए। मुझे जो कुछ मालूम है, मैं सब बता दूँगा। अभी जब आप जाएँगे तो मैं चिल्ला-चिल्ला कर कहूँगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसा मैं अपने उन साथियों पर रौब जमाने के लिए कहूँगा, जो आसपास की कोठरियों में बन्द हैं। आप कल रात आइये और मुझे कहीं ले जाकर बयान ले लीजिए।"

पुलिस-इन्सपेक्टर बनारसीलाल की बात से सहमत होकर चला गया। अगली रात वह उसे ले गया और क्रान्तिकारियों की सारी बातें उससे मालूम कर लीं। अभी तक पुलिस के पास क्रान्तिकारियों के विरुद्ध ठोस प्रमाण नहीं थे। बनारसीलाल के बयान से महत्वपूर्ण प्रमाण पुलिस के हाथ लग गए।

जो चाल पुलिस ने बनारसीलाल के साथ खेली, वह अन्य क्रान्तिकारियों पर भी आजमाई गई। प्रारम्भ में सभी क्रान्तिकारियों को पृथक-पृथक कोठरियों में इसीलिए रखा गया कि विविध प्रयासों से उन्हें फुसलाया जा सके। इसी प्रकार बनवारीलाल और इन्दुभूषण मित्र ने भी पुलिस को बयान दे दिए। बनवारीलाल के बयान क्रान्तिकारियों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए,

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

क्योंकि काकोरी-ट्रेन-डकैती में वह स्वयं भी सम्मिलित था और क्रान्तिकारियों की लगभग सभी गोपनीय बैठकों में वह सम्मिलित हुआ था।

सी० आई० डी० विभाग के स्पेशल पुलिस अधीक्षक मि० हर्टन का कथन बहुत सही निकला कि पहले सभी सन्देहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाय, प्रमाण तो बाद में जुट ही जाएँगे। अब पुलिस के पास प्रमाण थे और मामले को लोअर कोर्ट में ले जाने की तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं।

◇ ◇ ◇

जेल के अन्दर रामप्रसाद बिस्मिल और मन्मथनाथ गुप्त में बातें हो रही थीं। बिस्मिल का कथन था—

"मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जिस भारतीय जनता को दासता की स्थिति से मुक्त करने के लिए हम लोगों ने जान की बाजी लगाई, वे लोग हमें बचाने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, यहाँ तक कि हमारा मुकदमा लड़ने के लिए वकील लोग भी तैयार नहीं हो रहे।"

अपने नेता की मनोव्यथा को समझते हुए मन्मथनाथ गुप्त ने समझाइश के लहजे में कहा—

"बात यह है बिस्मिलजी कि हमारे समाज का यह स्वभाव है कि वह सोया हुआ रहा है और उसकी नींद तभी टूटती है, जब कोई उसे झकझोरता है। अभी तो लोग ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति से दहशत खाए हुए हैं। अगर कोई सूरमा आगे आये, तो जनता उसके पीछे हो लेगी।"

मन्मथनाथ गुप्त का यह कथन बिल्कुल सही निकला। इस मुकदमे को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं देखा गया। लोग जेल में क्रान्तिकारियों से मिलने भी नहीं पहुँचते थे और न उनको बचाने का कोई प्रयत्न कर रहे थे। धीरे-धीरे नेताओं में कुछ राजनैतिक चेतना जाग्रत हुई और कुछ लोग आगे आए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

क्रान्तिकारियों के बचाव के लिए जो लोग आगे आये, उनमें प्रमुख थे— सर्वश्री पं० मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गणेशशंकर विद्यार्थी, शिवप्रसाद गुप्त, श्रीप्रकाश और आचार्य नरेन्द्रदेव।

पं० मोतीलाल नेहरू ने इस बात के लिए बहुत प्रयत्न किया कि क्रान्तिकारियों के बचाव के लिए लखनऊ के प्रसिद्ध वकील श्री जगत्नारायण मुल्ला की सेवाएँ प्राप्त की जाँय। वे स्वयं जगत्नारायणजी से मिले और इस कार्य के लिए उन्हें राजी भी कर लिया, लेकिन जाने क्यों श्री जगत्नारायण मुल्ला क्रान्तिकारियों का पक्ष न लेकर सरकारी वकील बन गए और शासन की ओर से उन्होंने क्रान्तिकारियों को बड़े से बड़े दण्ड दिलवाने के लिए अपनी योग्यता का उपयोग किया। शासन से उनका अनुबन्ध हुआ कि मुकदमा चाहे वर्षों तक चले, उन्हें पाँच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक मिलेगा। सहायक के रूप में उन्होंने अपने पुत्र की नियुक्ति कराई और उनके पुत्र का पारिश्रमिक ढाई-सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से निश्चित हुआ।

क्रान्तिकारियों को परामर्श दिया गया कि वह यह माँग प्रस्तुत करें कि शासन के खर्च पर उन्हें बचाव-पक्ष का वकील मिलना चाहिये। क्रान्तिकारी लोग प्रसिद्ध वकील श्री मोहनलाल सक्सेना को अपना वकील बनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि माँग स्वीकार होने की दशा में वकील का नाम बता देंगे। शासन ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उन्हें शासन के खर्च से वकील तो दिया गया, लेकिन शासन ने अपनी पसन्द का वकील उन पर थोप दिया, जिसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। श्री हरकरन नाथ मिश्रा उनके वकील नियुक्त हुए। उन्हें पैंसठ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से शासन से पारिश्रमिक मिलता था। जब क्रान्तिकारियों को अपने इन वकील साहब के कार्य से असंतोष हुआ तो सर्वश्री गोविन्दबल्लभ पन्त, चन्द्रभानु गुप्त, मोहन लाल सक्सेना, अजितप्रसाद जैन, गोपीनाथ श्रीवास्वत, आर० एफ० बहादुरजी और कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर बी० के० चौधरी ने उन्हें अपनी सेवाएँ अर्पित कीं।

◇ ◇ ◇

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

शिनाख्तगी की परेड का आयोजन किया गया। एक बैरक के अन्दर सभी क्रान्तिकारियों को कतार में खड़ा कर दिया गया। उनके बीच-बीच में कुछ ऐसे लोगों को भी खड़ा कर दिया गया जिनका काकोरी-ट्रेन-डकैती से कोई सम्बन्ध नहीं था। क्रान्तिकारियों के संतोष के लिए उन व्यक्तियों को परेड में सम्मिलित किया गया था। शिनाख्तगी की परेड में पुलिस और जेल के अधिकारियों की साँठ-गाँठ देखने लायक थी। जो व्यक्ति शिनाख्तगी के लिये लाया जाता था उसे पुलिस वाले पहले ही बता देते थे कि अमुक क्रम के व्यक्ति की शिनाख्तगी कर देना। वह व्यक्ति मन ही मन कतार के लोगों को गिनता चलता था और बताये हुए क्रम के व्यक्ति के पास पहुँच कर वह उँगली से उसकी ओर इशारा कर देता था। कभी-कभी संकेत पहले से तय कर लिया जाता था। पुलिस-इन्सपेक्टर पहचानने वाले व्यक्ति के आगे-आगे चलता था। आगे चलते हुए वह किसी व्यक्ति के सामने पहुँच कर अपनी जेब से रूमाल निकाल कर मुँह पोंछने लगता तो पहचानने वाले के लिए यथेष्ट संकेत हो जाता था और उस व्यक्ति को अपराधी के रूप में पहचान लिया जाता था।

काकोरी-केस के सिलसिले में जिन चालीस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से कुछ को प्रारम्भिक जाँच के बाद छोड़ दिया गया। जो छोड़े गए, वे थे—शीतला सहाय, चन्द्रभाल जौहरी, चन्द्रधर जौहरी, रामदत्त शुक्ल, बाबूराम गुप्त, मोहनलाल गौतम, हरनाम सुन्दरलाल, डी० डी० भट्टाचार्य, कालिदास बसु, शरतचन्द्र गुह, भैरोंसिंह और इन्द्रविक्रम सिन्हा। ये सभी लोग निर्दोष थे और अकारण ही कुछ दिन इन्हें जेल के कष्ट भोगने पड़े। इनके छोड़े जाने का सभी को हर्ष हुआ, लेकिन जब पुलिस ने वीरभद्र तिवारी और ज्योतिशंकर दीक्षित के ऊपर से मुकदमा उठा लिया तो सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे लोग समझ गए कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है।

ऊँट को मनचाही करवट बिठाने के लिए शासन ने सब प्रबन्ध पहले से ही कर लिए। लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पद पर विशेष रूप से सैयद ऐनुद्दीन को बिठाया गया जो अपनी मीठी जुबान से अभियुक्तों का दिल जीत लेते थे और

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

बाद में पीठ में छुरा भी भौंक देते थे। शासन का पक्ष लेने के लिए वे कोई भी हथकण्डा अपना सकते थे। इस मामले में सी० आई० डी० विभाग के डिप्टी-सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस खान बहादुर तसद्दुक हुसैन को भी जान-बूझकर सम्बद्ध किया गया। प्रॉसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर के पद पर मि० ख़ैरात नबी की सेवाएँ ली गईं। हिन्दू और मुसलमानों के दिलों में फर्क़ डालकर शासन हमेशा अपने काम बनाता रहा और उसका विश्वास था कि क्रान्तिकारी आन्दोलन में मुसलमान लोग हिन्दुओं का साथ नहीं देंगे। शासन को मालूम था कि काकोरी-केस का एक अभियुक्त अशफाक़-उल्ला खाँ भी है। विश्वास था कि मुसलमान अधिकारी उसे आसानी से पटा लेंगे और तब अन्य लोगों को फाँसने में सहूलियत होगी।

◇ ◇ ◇

लोअर कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद ऐनुद्दीन की अदालत में ४ जनवरी १९२६ को काकोरी केस प्रारम्भ होगया। एक दिन जब सभी अभियुक्त अदालत में हाजिर थे तो उन्होंने देखा कि दर्शक-दीर्घा के एक कोने में एक खूबसूरत और कद्दावर सिक्ख नौजवान कोर्ट की कार्यवाही सुन रहा है। वह खाकी ब्रीचिस पहने हुए था और सर पर जरीदार पगड़ी बाँधे हुए था। उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि वह किसी सिक्ख रियासत का राजकुमार है। उसके पास ही एक अन्य बहुत सूबसूरत हिन्दू राजकुमार भी बैठा हुआ था जो बदन में चूड़ीदार पायजामे के साथ अचकन पहने हुए था और सर पर केशरिया रंग का राजपूती ढंग से साफा बाँधे हुए था। हाथों की उँगलियों में वह सोने की अँगूठियाँ भी पहने हुए था। उसके पैरों में जोधपुरी जूतियाँ बहुत फब रही थीं। हर किसी की नजर सहज रूप से ही इन राजकुमारों पर पड़ जाती थी। अभियुक्त क्रान्तिकारियों ने भी उन्हें देखा और देखते ही उन्हें पहचान गए। उनमें से सिक्ख राजकुमार सरदार भगतसिंह और हिन्दू राजकुमार अशफाक़-उल्ला खाँ था। दोनों के खिलाफ गिरफ़्तारी का वारण्ट भी था, लेकिन उसकी चिन्ता किए बिना वे कोर्ट में पहुँचकर अपने साथियों

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

पर चल रहे मुकदमे की कार्यवाही सुन रहे थे। क्रान्तिकारी लोग मन ही मन उनके साहस की प्रशंसा कर रहे थे।

कोर्ट के मध्यान्तर के समय दोनों राजकुमार बगीचे के एक कोने में चले गए और एक अर्दली ने उनके सामने बड़े अदब के साथ खाने-पीने का सामान लगा दिया। बाद में उसने पानदान भी उनके सामने रखा और सारा सामान उठाकर अदब के साथ सलाम ठोंककर चला गया। दोनों राजकुमारों में धीमे-धीमे बातचीत होने लगी। सरदार भगतसिंह ने कहा—

"अशफाक़ भाई! मुझसे मजिस्ट्रेट महोदय सैयद ऐनुद्दीन का व्यवहार बरदाश्त नहीं हो रहा। मजिस्ट्रेट को तो निष्पक्ष रहना चाहिए, पर ये महाशय तो हमारे साथियों को फँसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जी में आता है कि एक गोली इनके सीने के पार कर दूँ।"

"अशफाक़ का उत्तर था—

"धैर्य से काम लो भगतसिंह! जो जज़्बात तुम्हारे दिल में उठ रहे हैं, वो मेरे दिल में भी उठ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैं भी यह महसूस करता हूँ कि यह शख्स इसी काबिल है कि इसे दुनिया से रुखसत कर दिया जाय, लेकिन अगर हम ऐसा कर गुजरे तो हमारे साथियों के मुकदमे पर इस हादसे का बहुत बड़ा असर पड़ेगा और न जाने कितनों की गर्दनों के लिए फाँसी के फन्दे तैयार हो जाएँगे। इसलिए इस वक्त सब्र से काम लेने में ही भलाई है।"

अशफाक़ के कथन का भगतसिंह पर असर हुआ। मध्यान्तर समाप्त हो चुका था और वे दोनों फिर दर्शक-दीर्घा में अपने-अपने स्थानों पर जा बैठे। कोर्ट के पूरे समय तक वे लोग वहाँ रहे और जब समय खत्म होगया तो अपने साथी क्रान्तिकारियों से अपनी नज़रों से आदाब अर्ज़ करके कोर्ट के बाहर चले गए।

◇ ◇ ◇

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

लोअर कोर्ट से मुकदमा सेशन कोर्ट में भेज दिया गया। सेशन कोर्ट में मि० हैमिल्टन को स्पेशल सेशन जज के रूप में नियुक्त किया गया। एसेसर्स थे—मि० अब्दुस्सलाम खान, बनवारीलाल भार्गव, ज्ञान चटर्जी और मोहम्मद अय्यूब। सेशन कोर्ट में मुकदमा पहुँच जाने पर क्रान्तिकारियों की स्थिति में परिवर्तन आ गया। इस समय तक काली भेड़ें छँट चुकी थीं और तपे हुए लोग जेल में रह गए थे। पहले तो वे अपने पैसे से खाने-पीने की चीजें बाहर से मँगा लिया करते थे, पर अब उन्हें उसी भोजन पर निर्भर रहना पड़ता था जो उन्हें जेल में मिलता था। जब असुविधाएँ अधिक बढ़ने लगीं तो उन लोगों को अनशन का सहारा लेना पड़ा। सत्रह दिन तक अनशन चला। जब उन्हें राजनैतिक बन्दियों जैसी सुविधाएँ दी गईं, तब उन्होंने अनशन समाप्त किया।

क्रान्तिकारियों को सुविधाएँ प्रदान करने में लखनऊ जेल के जेलर रायबहादुर चम्पालाल का बहुत हाथ था। वे बहुत भले आदमी थे और इन क्रान्तिकारियों को वे अपने बच्चों के समान समझते थे। कुछ समय पश्चात् ही वे रिटायर होने वाले थे, इस कारण भी वे किसी की बददुआएँ नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने जेल में अखाड़ा खुदवा दिया था, जहाँ क्रान्तिकारी लोग व्यायाम किया करते थे। कबड्डी खेलना भी उनके दैनिक-क्रम में सम्मिलित था। उन्हें शतरंज और कैरम खेलने की सुविधाएँ प्रदान की गईं थीं। क्रान्तिकारियों के कारण वह जेल क्लब-घर जैसी लगने लगी थी।

लखनऊ जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को कुछ व्यक्तिगत सुविधायें प्रदान की गईं। वे एक समय अपना भोजन स्वयं बनाते थे और शाम को केवल एक गिलास दूध पीकर रहते थे। पक्के आर्यसमाजी होने के कारण जेल में उन्हें प्रतिदिन हवन करने की सुविधा भी प्रदान की गई थी। जेल के सिपाही लोग उनका बहुत अधिक सम्मान करने लगे थे। घर पर किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने पर वे बिस्मिलजी से हवन की भस्मि ले जाया करते थे। विश्वास के कारण बीमार ठीक भी हो जाता था। बैरक का पहरा देने वाले

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

सिपाही तो उनका भरोसा करके नींद भी निकाल लिया करते थे क्योंकि वे जानते थे कि बिस्मिलजी न तो स्वयं ही भागेंगे और न किसी अन्य को भागने देंगे।

◇ ◇ ◇

एक दिन जेल के एक कोने से उछल कर यह प्रस्ताव सामने आया कि रामप्रसाद बिस्मिल और कुछ साथियों को जेल से भगाने का प्रबंध किया जाय। प्रस्ताव निश्चय में परिणत हो गया। योजना यह बनी कि बैरक की खिड़की की छड़ें काटकर बाहर पहुँचा जाय और नाली के सहारे-सहारे उस स्थान पर पहुँचा जाय जहाँ नाली की मोरी बाहर जाती है। मोरी में एक डंडा चलाकर बाहर खड़े मित्रों को तैयारी का संकेत दिया जाय। यह संकेत पाकर बाहर के साथी रस्सी की नसेनी अन्दर फेंकें और उस नसेनी के सहारे एक-एक करके क्रान्तिकारी लोग दीवार के उस पार पहुँच जाएँ। दीवार के उस पार उन्हें ले जाने के लिये कार की व्यवस्था प्रस्तावित थी।

इस योजना के अनुसार चार क्रान्तिकारियों को जेल से भागना था। वे थे—रामप्रसाद बिस्मिल, योगेशचन्द्र चटर्जी, मन्मथनाथ गुप्त और गोविन्द-चरण कर। योजना की रूपरेखा बंगाल तक पहुँचा दी गई और बड़े उत्साह के साथ वहाँ से भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। एक पहुँचे हुए क्रान्तिकारी के परिपक्व मस्तिष्क ने योजना को क्रियान्वित करने का दायित्व अपने ऊपर लिया। वे थे सूर्यसेन उर्फ मास्टर दा। भागने की रात निश्चित कर ली गई। बंगाल का क्रान्तिकारी-दल लखनऊ पहुँच गया। छड़ें काटने की आरी मँगवा कर खिड़की की छड़ें काट ली गई। एक रात बड़े जोर का गाना-बजाना हुआ और सामूहिक स्वरों के गायन और हारमोनियम की आवाज का सहारा लेकर आरी से छड़ें काट दी गईं। प्रसाद के बहाने से पहरेदारों को नींद आने की दवा दे दी गई। उनमें से कुछ लोग सो गये और कुछ गंभीर रूप से उनींदे हो गये।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

नियत समय पर मुक्ति-दल जेल की दीवार के पिछवाड़े मोरी के पास पहुँच कर संकेत की प्रतीक्षा करने लगा। उनकी प्रतीक्षा अधीरता में परिणत होती गई, लेकिन उन्हें संकेत नहीं मिला। सारी रात अधीरता से प्रतीक्षा करके वे लोग निराश होकर लौट गए।

हुआ यह कि रामप्रसाद बिस्मिल ने भागने का विचार छोड़ दिया। उन्होंने साथियों को समझाया—

"मेरे हृदय में द्वन्द चलता रहा है और इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि हमें नहीं भागना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इस हादसे के कारण जेलर रायबहादुर चंपालाल की नौकरी चली जायगी। कुछ समय पश्चात् ही वे रिटायर होने वाले हैं और उनकी जिन्दगी-भर की नेकनामी को बट्टा लग जायगा। उन्होंने हम पर जो विश्वास किया है उसे देखते हुए हमें उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उनके साथ कुछ अन्य पहरेदारों की नौकरियाँ भी चली जाएँगी और उनके बाल-बच्चे भूखों मरेंगे। हमारे न भागने के पीछे एक तर्क यह भी है कि हम कुछ गिने-चुने लोग भाग कर अपने अन्य साथियों के साथ दगा करेंगे। मैं इसे उचित नहीं समझता। कम से कम मैं तो अब जेल से भागने का विचार छोड़ चुका हूँ। मेरा परामर्श है कि यदि भागना चाहें तो आप लोग अवश्य भाग जाएँ।"

क्रान्तिकारी साथी अपने नेता के बिना भागने के लिए तैयार नहीं हुए और सारी योजना विफल होगई।

◇ ◇ ◇

काकोरी-षड्यंत्र-केस अपने अन्तिम चरण में पहुँच रहा था कि दिल्ली में एक दगाबाज मित्र के विश्वासघात के शिकार होकर अशफाक़-उल्ला खाँ भी गिरफ़्तार कर लिए गए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अशफाक़ को लपक लेने के लिए शासन ने अपने वफादार मित्र स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद ऐनुद्दीन साहब को दिल्ली भेजा। योजना थी कि अशफाक़ को फुसलाकर उसका उपयोग अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध किया जाय।

सैयद ऐनुद्दीन ने दिल्ली पहुँचकर अशफाक़ को समझाना प्रारम्भ किया—

"बेटे! तुम मुसलमान होकर हिन्दुओं के चक्कर में क्यों फँस गए हो। अभी तक क्रान्तिकारी-आन्दोलन में कोई मुसलमान शरीक नहीं हुआ, इसकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, इसकी वजह यही है कि हिन्दू लोग अपने मतलब के लिए लड़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि हिन्दोस्तान में हिन्दू राज कायम हो जाय। अगर ऐसा हुआ तो हम मुसलमानों को क्या हासिल होगा। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हिन्दुओं का साथ मत दो। /

अशफाक़ में और ज्यादा सुनने का धैर्य नहीं था। उसने मजिस्ट्रेट साहब की बातें काटते हुए कहा—

"जनाब! आप जो बात कह रहे हैं, वह अपने निजी तजुर्बे के विना पर कह रहे होंगे। ज़ाहिरा तौर पर हिन्दुओं की तरफ से कभी ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं की गई। उन्होंने हमेशा मुसलमानों पर भरोसा किया है और उनका साथ दिया है। अगर आप मेरे तजुर्बे की बात पूछना चाहें तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं अभी तक हिन्दुओं के ही सहयोग से गिरफ़्तार होने से बचा रहा था। बनारस में, राजस्थान में और विहार में हिन्दुओं ने ही मुझे अपने घरों में रखा था। उन्होंने न तो मुझसे कोई परहेज किया और न उनके दिलों में मेरे लिए कोई कमजोर खयाल पैदा हुआ। बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे गिरफ़्तार कराया तो एक दगाबाज दोस्त ने जो मुसलमान है और मेरे गाँव शाहजहाँपुर का ही रहने वाला है। मैं समझता हूँ कि यह मिसाल आपकी आँखें खोलने के लिए काफी होगी।"

अशफाक़-उल्ला खाँ के कथन से ऐनुद्दीन साहब की आँखें सचमुच ही खुल गई थीं, लेकिन वे आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। पैंतरा बदलकर उन्होंने कहा—

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

"लेकिन बेटे ! जो होगया, वह होगया। अब तो तुम यह सोचो कि तुम्हारी ज़िन्दगी किस तरह बचे। रामप्रसाद बिस्मिल के खास आदमी होने की वजह से तुम्हें भी बड़ी से बड़ी सज़ा मिल सकती है। खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन बदकिस्मती से अगर तुम्हें फाँसी होगई तो तुम्हारा खानदान बरबाद हो जाएगा। एक मुसलमान होने के नाते मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बचाना चाहता हूँ। मैं तुमको सलाह देता हूँ कि तुम पुलिस के इक़बाली गवाह बन जाओ....।"

इसके पहले कि सैयद ऐनुद्दीन और कुछ कहें, अशफाक़ ने नफ़रत के अन्दाज़ से उनकी तरफ देखा और फटकारते हुए बोला—

"शर्म नहीं आती आपको अपनी जुबान पर ये बातें लाते हुए। जिस रामप्रसाद बिस्मिल ने मुझे अपने भाई से ज्यादा प्यार किया है, मैं उसी की पीठ में छुरा भोंक दूँ। एक सच्चा मुसलमान किसी को दग़ा नहीं देता। आपसे मेरी इल्तिज़ा है कि आप दिलों में फर्क डालने वाली बातें बन्द कर दें। आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताए देता हूँ कि एक दिन आपके इजलास में ही, मेरे साथी क्रान्तिकारियों ने आपको गोली से उड़ा देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वह मैं था जिसने अपने साथियों को समझा-बुझाकर आपको ज़िन्दगी बख्शी है।"

अशफाक़ की यह बात सुन कर सैयद साहब हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोले—

"मेरे इजलास में तुम या तुम्हारे साथी तो कभी पहुँचे ही नहीं। मैंने तो वहाँ तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हारे खिलाफ तो गिरफ्तारी का वारण्ट था, तुम वहाँ किस तरह पहुँच सकते थे ?"

अशफाक़ का उत्तर था—

"गिरफ्तारी का वारण्ट मेरे खिलाफ भी था और मेरे उन साथियों के खिलाफ भी था जो आपके इजलास में पहुँच कर आपकी बेहूदा हरकतें देख रहे थे। मैं उनके नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन यह सच्चाई है कि वे मेरे साथ

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

थे। अगर आपको ख्याल हो तो तमाशबीनों की बिलकुल सामने की बैंच के एक कोने में एक हिन्दू राजकुमार बैठा करता था।"

"हाँ, हाँ, मुझे बखूबी याद है कि अक्सर एक हिन्दू राजकुमार आया करता था और वह कोर्ट खत्म होने तक बैठता था। मैंने कई बार उसकी तरफ गौर से भी देखा था।"

"तो जनाब ! वह हिन्दू राजकुमार यह खाकसार अशफाक़ ही था।"

"सचसुच ही बेटे, तुम बहुत गज़ब कर गए। जो सरकार तुम्हारी गिरफ़्तारी के लिए न जाने कितने नदी-नालों में जाल डाल रही थी, तुम उसी के इजलास में बैठे-बैठे अपने साथियों के मुकदमे की कार्रवाई देखा-सुना करते थे।"

"जी हाँ, जनाब ! और तभी मेरे एक साथी ने आपको गोली से मार देने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे फुसलाने की कोशिश कतई न करें। मैं अपने साथियों के वरखिलाफ़ कुछ भी नहीं कह सकता। आपका यह ख्याल बिलकुल गलत है कि वे लोग हिन्दुस्तान में हिन्दू राज्य कायम करना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ भी तो हिन्दू राज, अँग्रेजों के राज से कहीं बेहतर होगा। मुझे उस राज पर फख्र होगा जो इस धरती के बेटों का होगा।"

अशफ़ाक़ की यह दो-टूक बात सुन कर मजिस्ट्रेट साहब की फिर हिम्मत नहीं हुई कि वे अशफाक़ को फुसलाने की कोशिश करें।

◇ ◇ ◇

पुलिस उनके नाटकीय व्यवहार का पर्दा-फाश कर देना चाहती थी, लेकिन इस कार्य में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। अपने नाटकीय व्यवहार से उन दोनों को भी घुटन हो रही थी और पुलिस को भी। उन दोनों को घुटन इसलिए हो रही थी कि वे आपस में प्रगाढ़ मित्र थे। और वह चाहते थे कि एक-दूसरे के सीने से लग कर मिलनोत्कण्ठा को तृप्त करें, लेकिन मजबूरी से

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

उन्हें एक-दूसरे के साथ अपरिचित जैसा व्यवहार करना पड़ रहा था। पुलिस को घुटन इसलिए हो रही थी कि वह भी जानती थी कि वे दोनों युवक एक ही षड्यन्त्र के साथी हैं और यदि वे यह स्वीकार कर लें तो उसका कार्य आसान हो जाय।

उन दोनों युवकों में से एक का नाम अशफाक़ उल्ला खाँ था और दूसरे का नाम था शचीन्द्रनाथ बख्शी। अशफाक़ दिल्ली में गिरफ़्तार हुआ था और शचीन्द्रनाथ बख्शी को बिहार के भागलपुर नगर से गिरफ़्तार किया गया था। दोनों को लखनऊ जेल पहुँचा दिया गया था और उन पर काकोरी-षड्यन्त्र-केस का पूरक मुकदमा चलाया जा रहा था। अदालत में ले जाने के लिए जब उन्हें पुलिस की गाड़ी के समीप खड़ा किया गया तो पुलिस अफसर ने एक चाल चली। उसने जोर से पुकार कर कहा—

"मि० शचीन्द्रनाथ बख्शी आप चलने के लिए तैयार हैं न ?"

शचीन्द्रनाथ बख्शी नाम सुनते ही अशफाक़ ने अपरिचितों जैसा व्यवहार करते हुए उनसे पूछा—

"क्या आप ही का नाम शचीन्द्रनाथ बख्शी है ?"

"जी हाँ, मुझको ही लोग शचीन्द्रनाथ बख्शी कह कर पुकारते हैं।"

"बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। आपसे मुलाकात करके मैं खुद को बहुत खुश-किस्मत समझता हूँ।"

"लेकिन जनाब ! आप अपना परिचय भी तो मुझे दें।"

"जी खाकसार को अशफाक़ उल्ला खाँ कहते हैं।"

"ओह ! तो आप ही अशफाक़ उल्ला खाँ हैं। मैंने भी आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। यह मेरा सौभाग्य है जो आज आपके दर्शन हुए।"

इसके साथ ही अशफाक़ और बख्शी ने हाथ मिलाए। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सके और एक-दूसरे के सीने से चिपट गये। उन्हें इस

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

प्रकार मिलते देखकर पुलिस वालों ने तालियाँ बजा दीं। पुलिस-इन्सपेक्टर ने कहा—

"राम और भरत का यह मिलन देखने के लिए ही तो हमारी आँखें तरस रही थीं।"

◇ ◇ ◇

क्रान्ति-वीरों पर चलाया गया काकोरी-षड्यंत्र-केस मंथर गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उन लोगों का यह विश्वास बहुत तेजी से बढ़ रहा था कि उनमें से कुछ को फाँसियाँ और कुछ को लम्बी-लम्बी सजाएँ होंगी। अशफाक़-उल्ला खाँ तो अपने बचाव के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि देश की आजादी के लिए किए गए प्रयत्नों का जो पुरस्कार उन्हें मिलने वाला था, वे उससे वंचित नहीं होना चाहते थे। रामप्रसाद बिस्मिल ने भी यह रुख अपनाया कि अपने साथियों के बचाव के लिए तो उन्होंने वकीलों का सहयोग लिया, लेकिन अपने बचाव की ज़िरह उन्होंने स्वयं की। विपक्षी वकील और जज महोदय भी उनकी योग्यता पर मुग्ध थे। न्याय मन्दिर और न्यार्य-कर्ता को भी उन्होंने बख्शा नहीं। एक दिन वे कह उठे—

"जज साहब ! हम जानते हैं कि आप हमें क्या दण्ड देंगे। हम जानते हैं कि आप हमें फाँसी का दण्ड देंगे और हम जानते हैं कि हमारे जो होंठ इस समय अदालत में हिल रहे हैं, वे कुछ दिन बाद बन्द हो जाएँगे। हमारा बोलना, काम करना, हिलना और यहाँ तक कि हमारा जीना और साँस लेना भी सरकार के विरुद्ध समझा जाता है। न्याय के नाम पर शीघ्र ही हमारा गला घोंट दिया जायगा। मैं जानता हूँ कि मैं मरूँगा, किन्तु मैं मरने से नहीं डरता। किन्तु जनाब ! क्या इससे सरकार का उद्देश्य पूरा हो जायगा ? मैं तो कहता हूँ कि हमारा खून नए क्रान्तिकारियों को जन्म देगा और आखिर एक दिन विदेशियों के ताण्डव-नृत्य की यहाँ समाप्ति होगी। मैं मरूँगा, किन्तु फिर जन्म लूँगा और मातृभूमि का उद्धार करूँगा।"

◇ ◇ ◇

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

वह ५ अप्रेल १९२७ की भयानक रात थी। लखनऊ जेल में क्रान्तिकारी बन्दियों पर मौत के साए मँडरा रहे थे। सभी लोग चल-फिर रहे थे, लेकिन उनकी गति यंत्र-चालित जैसी थी। अनिश्चितता का विषादपूर्ण वातावरण सभी के दिमागों पर छाया हुआ था। अगले ही दिन अर्थात् ६ अप्रेल को क्रान्ति-वीरों को फैसला सुनाया जाने वाला था। निश्चित ही उनमें से कुछ को मौत हड़पने के लिए तैयार बैठी थी और कुछ को लम्बी-लम्बी सजाओं के उपहार मिलने वाले थे। उन लोगों के लिए वह रात एक साथ रहने की अन्तिम रात थी।

किसी के दिमाग़ में एक विचार कौंध गया कि क्यों न हम लोग इस अन्तिम रात का उपयोग अदालत का नाटक खेलने में करें और लोगों को उनकी सजाएँ सुनाएँ। विचार पक्का होगया और गोरे-भूरे तथा नीली आँखों वाले युवा क्रान्तिकारी रामकृष्ण खत्री को उस अदालत का 'हैमिल्टन' बना दिया गया। जज साहब ने कुछ तकिए एक के ऊपर एक रख कर अपना आसन बनाया और उस पर बैठ गए। शेष क्रान्तिकारी उनके सामने बैठ गए। अखबारों की तह करके जज साहब की फाइल बन गई, जिसके पन्ने वे उलटने-पलटने लगे, फिर अभियुक्तों की ओर देखकर उन्होंने अपना वक्तव्य प्रारम्भ किया—

"इस अदालत ने लगभग अठारह महीनों तक काकोरी-षड्यंत्र-केस की छान-बीन की। इस बीच सरकारी और बचाव-पक्ष के कई गवाहों ने बयान दिए जिनकी रोशनी में इस अदालत ने अपना निर्णय तैयार किया। वही निर्णय मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ—

यह अदालत अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल को इस संपूर्ण काण्ड का सूत्रधार और संचालक मानती है। रामप्रसाद बिस्मिल पर आरोप है कि उसने उस दल का नेतृत्व किया जिसने हिन्दुस्तान में बरतानिया हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी। अभियुक्त पर अवैध रूप से हथियार रखने का और नौजवानों को बहकाने का भी आरोप है। अन्य डकैतियों और काकोरी-ट्रेन-डकैती में कुछ हत्याएँ हुई हैं और उन सब की जिम्मेदारी भी रामप्रसाद

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

बिस्मिल के ऊपर है। अँग्रेजी हुकूमत के खजाने पर डाका डालने का संगीन जुर्म भी रामप्रसाद बिस्मिल ने किया है। अतः यह अदालत अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल को फाँसी की सजा सुनाती है।"

क्रान्तिकारी-अदालत के जज का यह फैसला सुन कर अभियुक्तों में कुछ कानाफूसी हुई और कई आँखें प्रतिक्रिया देखने के लिए पं० रामप्रसाद बिस्मिल के चेहर की ओर उठ गईं। पं० रामप्रसाद बिस्मिल ने निर्विकार रूप से फैसले को सुना और गर्वित होने का इस प्रकार अभिनय किया जैसे किसी बहुत बड़ी स्पर्द्धा में सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाला प्रतियोगी करता है।

क्रान्तिकारी-अदालत के जज साहब ने 'ऑर्डर ! ऑर्डर !' कहकर लोगों को शान्त किया और अपनी फाइल के कुछ पन्ने पलट कर फिर कहा—

"अभियुक्त शचीन्द्रनाथ सान्याल के विरुद्ध भी आरोपों की एक लम्बी सूची है। उसके खिलाफ आरोप हैं कि—

——उसको पहले भी ब्रिटिश-साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। सजा पूरी होने के पहले ही आम माफी के अन्तर्गत अभियुक्त को छोड़ दिया गया, लेकिन मुक्त होकर भी अभियुक्त ने अपनी पुरानी हरकतें फिर से प्रारम्भ कर दीं।

——अभियुक्त शचीन्द्रनाथ सान्याल के विरुद्ध आरोप है कि उसने 'हिन्दुस्तान-प्रजातंत्र-संघ' नाम की क्रान्तिकारी संस्था कायम करके उसका उपयोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए किया।

——अभियुक्त शचीन्द्रनाथ सान्याल के विरुद्ध आरोप है कि उसने पहले आजीवन कारावास से मुक्त होकर अपनी शादी की और अपनी खूबसूरत पत्नी के सुख-सुहाग की चिन्ता न करते हुए क्रान्ति के कण्टकाकीर्ण पथ को अपनाया।

——अभियुक्त शचीन्द्रनाथ सान्याल के विरुद्ध आरोप है कि उसने 'दि रिवोल्यूशनरी' नाम के पर्चे को लिखकर तैयार किया, उसे छपवाया और निहायत गोपनीय ढंग से उसे एक ही दिन में हिन्दुस्तान के एक कोने

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

से दूसरे कोने तक आश्चर्यजनक तरीके से बँटवाया। अदालत अभियुक्त के लिए कोई सज़ा तजबीज करने के पहले खुद उसी से पूछना चाहती है कि क्यों न उसे कड़ी से कड़ी दी जाय ?"

अभियुक्त शचीन्द्रनाथ सान्याल ने खड़े होकर जज साहब की ओर मुखातिब होकर कहा—

"मैं नक़ली जज साहब पर आरोप लगाता हूँ कि उन्होंने जान-बूझ कर मेरी ख़ूबसूरत पत्नी का उल्लेख अपने आरोपों में किया है, अतः अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ कि वे जो सजा मुझे देना चाहें, दें।"

शचीन्द्रनाथ सान्याल के इस वक्तव्य से अदालत में हँसी के ठहाके गूँज उठे। जज साहब ने कई बार 'ऑर्डर ! ऑर्डर !' कहकर बड़ी मुश्किल से शान्ति स्थापित की और आगे कहना प्रारम्भ किया—

"अदालत अभियुक्त शचीन्द्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा देती है।"

अपनी फाइल के कुछ पन्ने फिर उलटने-पलटने के बाद जज साहब ने फिर कहना प्रारम्भ किया—

"अभियुक्त ठाकुर रोशनसिंह के खिलाफ कोई संगीन जुर्म नहीं है, फिर भी रामप्रसाद बिस्मिल का साथ देने के कारण उसे यह अदालत पाँच वर्ष के कारावास की सज़ा देती है।"

अपनी सज़ा सुनने के बाद ठाकुर रोशनसिंह ने सिंहनाद करते हुए कहा—

"क्यों जज साहब ! मैं क्या सवा सेर कोदों देकर खरीदा गया हूँ जो इतनी कम सजा सुनाकर मेरी ठकुरास को अपमानित किया गया है ?"

ठाकुर रोशनसिंह के वक्तव्य को सुनकर जज साहब ने कहा—

"अभियुक्त रोशनसिंह ने अदालत में उद्दण्डतापूर्ण व्यवहार किया है और न्याय-कर्ता के प्रति अपशब्द कहे हैं, अतः अदालत अभियुक्त की सज़ा में पन्द्रह दिन की और वृद्धि करती है।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अपनी सज़ा में केवल पन्द्रह दिन की वृद्धि सुनकर ठाकुर रोशनसिंह बौखला उठे। भड़क कर उन्होंने कहा—

"ओ कंजी आँखों वाले जज ! जब तक मैं तेरी खबर नहीं लूँगा, तू मेरी सज़ा नहीं बढ़ाएगा।"

यह कहते हुए वे जज साहब की ओर लपके। जज साहब यह कहते हुए कि "आज अदालत की कार्यवाही यहीं खत्म होती है" भाग खड़े हुए।

कुछ लोगों ने बीच-बचाव करके ठाकुर साहब को शान्त किया। अदालत बर्खास्त हो चुकी थी। सब लोग अपने-अपने बिस्तरों पर पहुँच गए। डर के मारे जज साहब अपने बिस्तरे पर न जाकर राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी के पास सुरक्षा की दृष्टि से पहुँच गए और उनके बिस्तर पर लेटते हुए पूछा—

"राजेन्द्र दा ! मैं आपकी सज़ा नहीं सुना पाया। आप ही बताइए न कि आप अपने लिए किस सज़ा का अनुमान लगाते हैं।"

"देखो भाई ! आजीवन कारावास से कम सजा तो अपने लिए मिल ही नहीं सकता। साला फाँसी की सज़ा भी दे सकता है। उसके लिए भी हम तैयार हैं।"

कुछ इसी प्रकार की अटकलें क्रान्तिकारी सोते-सोते भी लगाते रहे और पता नहीं किस समय किसकी नींद लगी।

◇ ◇ ◇

वह ६ अप्रैल १९२७ की सुबह थी, जब सूर्य ने उदित होकर लोगों को कर्म में प्रवृत्त कर दिया। हर किसी के सामने अपने दिन भर के कामों की सूची थी, जिसके अनुसार उसे कार्य करने थे। लखनऊ की सेन्ट्रल जेल के क्रान्तिकारी अभियुक्तों के सामने भी उस दिन के कार्यक्रम का स्पष्ट नक्शा था। उस दिन उन्हें रिंग-थिएटर पहुँच कर सेशन्स कोर्ट के स्पेशल जज मि० हैमिल्टन द्वारा अपने-अपने भाग्य का निर्णय सुनना था और उसके अनुसार किसी को फाँसी की कोठरी में जाना था, किसी को आजीवन

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

कारावास के लिए स्वयं को तैयार करना था और किसी को अन्य सजाओं के उपहार प्राप्त करने थे।

सभी लोग सुबह जल्दी उठे और प्रातः कर्मादि से निवृत्त होकर स्नान-ध्यान किया। जेल के कैदी रसोइए भी उस दिन अपने काम पर जल्दी उपस्थित होगए। अभियुक्तों को उस दिन विशेष भोज दिया जाने वाला था। बलि के पहले बकरों की खिलाई-पिलाई होने वाली थी।

यह सब चल ही रहा था कि क्रान्तिकारियों में एक सुरसुरी फैल गई। किसी ने आकर सूचना दी कि फाँसी की तीन कोठरियों की सफाई हो रही है। जिन लोगों को फाँसी की सजा सुनाई जाती है, उन्हें अपील का फैसला होने तक या फाँसी लगने के दिन तक पृथक-पृथक कोठरियों में रक्खा जाता हैं। फाँसी की कोठरी को काल-कोठरी या अँग्रेजी में 'कन्डैम्ड सैल' कहते है। अन्य सजाओं वाले कैदियों को जेल की सुविधा के अनुसार या तो बैरक में एक साथ या पृथक-पृथक कोठरियों में रखा जाता है।

फाँसी की तीन कोठरियों के समाचार ने क्रान्तिकारियों में सनसनी फैला दी। अनुमान लगने लगे कि उनमें से किस-किस को फाँसी हो सकती है। पं० रामप्रसाद बिस्मिल के लिए तो सभी का अनुमान था कि उन्हें फाँसी की सजा मिल सकती है। अन्य दो व्यक्तियों के विषय में कभी शचीन्द्रनाथ सान्याल का नाम, कभी राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी का नाम और कभी मन्मथनाथ गुप्त का नाम लिया जाता था। ठाकुर रोशनसिंह की तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा था। अशफाक़-उल्ला खाँ और शचीन्द्रनाथ बख्शी के नामों पर अनुमान टिक सकता था पर पूरक मुकदमे के अन्तर्गत उनकी सुनवाई पृथक कोर्ट में हो रही थी।

खाना जल्दी तैयार होगया और सब लोग अपनी-अपनी थालियाँ लेकर भोजन-शाला में जा पहुँचे। रामप्रसाद बिस्मिल अपना भोजन स्वयं पकाते थे। हवन आदि से निवृत्त होकर वे भोजन करने बैठे ही थे कि पिछली रात को खुद की अदालत के जज रामकृष्ण खत्री उनके पास पहुँच गए और डबडबाई आँखों से उनसे बोले—

"बिस्मिलजी ! अगर आप अनुमति दें तो एक निवेदन करूँ ?"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

"कहो भाई ! क्या कहना चाहते हो ?"

बिस्मिलजी की अनुमति पाकर रामकृष्ण खत्री बोले—

"बात यह है बिस्मिलजी कि आज के बाद हम में से कौन कहाँ जायगा, इसका किसी को पता नहीं। किसी का किसी से चिर-बिछोह भी हो सकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने हाथ से दो कौर भोजन आपको खिलाकर अपनी इच्छा की पूर्ति कर लूं।"

रामप्रसाद बिस्मिल ने थाली बीच में रख ली और सामने रामकृष्ण खत्री को बिठाते हुए कहा—

"मैं भी अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊँगा।"

पारस्परिक सह-भोज प्रारम्भ होगया। खत्री बिस्मिल को खिला रहे थे और बिस्मिल खत्री को। उधर भोजन-शाला में खत्री की अनुपस्थिति की तरफ लोगों का ध्यान गया। किसी ने आकर देखा कि वे और बिस्मिल एक-दूसरे को खिला रहे हैं। बस फिर क्या था। सभी लोग अपनी-अपनी थालियाँ लेकर दौड़ पड़े और हरएक एक-दूसरे को खिलाने लगा। उस दिन किसी को अपने हाथ से खाने का अवसर ही नहीं आया। यह दृश्य देखकर जेल के अधिकारीगण भी रोमांचित हो उठे। इत्र और पान का प्रबन्ध कर लिया गया था। एक दूसरे को पान भी खिलाया गया और उसी प्रकार कपड़ों से इत्र भी मला गया। फिर सब एक-दूसरे से गले मिले और निश्चिन्त होकर अदालत को ले जाने वाली लॉरियों का इन्तजार करने लगे।

◇ ◇ ◇

क्रान्तिकारियों को लॉरियों में बिठाने के पूर्व उनके पैरों में बेड़ियाँ डाली जा रही थीं। यह काम उन्हें अदालत में ले जाते समय नित्य ही होता था, पर उस दिन ६ अप्रैल १९२७ को वे लोग मुकदमे का फैसला सुनने जा रहे थे, इस कारण विशेष सतर्कता वर्ती जा रही थी। जेल का अफसर कुर्सी डालकर बैठ गया और वह प्रत्येक अभियुक्त की बेड़ियों की जाँच करता गया। जब सभी के पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गईं तो पुलिस का सूबेदार आया और उसने कैदियों

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

को गिना और रजिस्टर पर उनकी प्राप्ति के हस्ताक्षर कर दिए। सभी कैदियों को दो लॉरियों में बिठाया गया। एक लॉरी में कम उम्र के कैदी थे और दूसरी में बुजुर्ग लोग। प्रत्येक दिन की भाँति राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी ने अपनी शिशु-सुलभ मुस्कान के साथ सब का स्वागत किया। ठाकुर रोशनसिंह के पास इत्र की शीशी थी। उन्होंने राजेन्द्रनाथ के कपड़ों पर इत्र मलते हुए कहा—

"तुम्हारी मुस्कान की सुरभि के आगे यह इत्र कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मेरी भावनाओं के रूप में इसे स्वीकार करो।"

क्रान्तिकारियों को लेकर लारियाँ रिंग-थिएटर की ओर चल पड़ीं। रिंग-थिएटर एक सिनेमा हाल था, जिसे अदालत का रूप दे दिया गया था। क्रान्तिकारियों की लॉरियों के आगे-पीछे सशस्त्र कान्सटेबिलों की लॉरियाँ थीं। एक अँग्रेज सार्जेण्ट मोटर-साइकिल पर बैठा हुआ लॉरियों के साथ-साथ चल रहा था। जब लॉरियाँ लखनऊ नगर के बाजारों में से गुजरने लगीं तो क्रान्तिकारियों ने नारे लगाने शुरू किए। वे राष्ट्रीय गीत भी गाते जा रहे थे।

क्रान्तिकारियों की लॉरियाँ जब जा रही थीं तो सामने से आता हुआ एक खुला ट्रक उनकी लॉरियों के पास से गुजरा। ट्रक में किसी का सामान लदा हुआ था और प्रत्येक सामान पर उसके मालिक के नाम के पर्चे चिपके हुए थे। आर-पार जाने के लिए लॉरियों और ट्रक की गति धीमी हुई और क्रान्तिकारियों ने सामान पर लगे पर्चे पढ़ लिए। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह काकोरी-केस के ही स्पेशल जज मि० हैमिल्टन का सामान था जो बुक कराने के लिए स्टेशन ले जाया जा रहा था। फैसला सुनाने के पश्चात् जज साहब अपनी सुरक्षा के लिए भाग कर इंगलैण्ड जा रहे थे। यह तथ्य जानकर क्रान्तिकारियों को बड़ी हँसी आई।

क्रान्तिकारियों की लॉरियाँ अदालत के फाटक पर पहुँच गईं। वहाँ पहले से ही पुलिस का भारी जमघट था। नागरिकों की भीड़ भी वहाँ मौजूद थी। लॉरियों से उतरने के बाद क्रान्तिकारी लोग एकदम अदालत के

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

अन्दर नहीं चले गए। नीचे खड़े होकर उन्होंने सामूहिक स्वरों में उन्हीं के नेता पं० रामप्रसाद बिस्मिल की गज़ल बड़ी मस्ती के साथ गाई—

सर-फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए-क़ातिल में है।

रहबरे राहे-मुहब्बत, रह न जाना राह में,
लज़्ज़ते-सहरा नवर्दी दूरिए-मंज़िल में है।

अब न अगले बलबले हैं, अब न अरमानों की भीड़,
एक मिट जाने की हसरत, बस दिले-बिस्मिल में है।

आज मक़तल में, यह क़ातिल कह रहा है बार-बार,
अब भला शौके-शहादत भी किसी के दिल में है?

वक्त आने दे, बता देंगे तुझे अय आसमाँ,
हम अभी से क्या बताएँ, क्या हमारे दिल में है।

अय शहीदे-मुल्को-मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार,
अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफ़िल में है।

जब यह मुकम्मिल गज़ल मस्ती के साथ गाकर पूर्ण कर दी गई, तभी क्रान्तिकारियों ने अदालत के कमरे में प्रवेश किया। अदालत में सरकारी वकील और बचाव-पक्ष के वकील पहले से ही मौजूद थे। उनके अतिरिक्त अन्य वकील लोग भी विशेष अनुमति लेकर वहाँ पहुँचे थे। क्रान्तिकारियों के रिश्तेदार लोग भी वहाँ मौजूद थे।

बगल के दरवाजे से प्रवेश करके जब जज साहब ने अपना आसन ग्रहण किया तो अदालत में बिलकुल सन्नाटा छा गया। लोग इसलिए खामोश होगए कि फैसले का प्रत्येक शब्द सुना जा सके। जज महोदय मि० हैमिल्टन ने अपनी फाइल के पन्ने उलटे-पलटे और संक्षिप्त वक्तव्य दिया—

"काकोरी-षड्यन्त्र-केस के दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनकर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि यह केस

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

प्रमाणित हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला ११५ पृष्ठों में अंकित है, जिसे पूरा पढ़ना सम्भव नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अभियुक्तों के लिए जो सजा तजवीज की गई है, वह इस प्रकार है।"

इसके पश्चात् जज महोदय ने अँग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार एक-एक अभियुक्त का नाम बोलकर, उस पर लगाई गई धाराओं का उल्लेख करके उसकी सजा सुनाई। पहला नाम भूपेन्द्र सान्याल का लिया गया। उन्हें पाँच साल की सख्त सजा सुनाई गई। क्रान्तिकारियों की राय में भूपेन्द्र सान्याल का कोई जुर्म सिद्ध नहीं हुआ था और उनका अन्दाज था कि उन्हें मुक्त कर दिया जायगा, लेकिन जब उन्हें पाँच वर्ष की सख्त सजा सुनाई गई तो उन लोगों ने अनुमान लगा लिया कि आगे सभी को इसी प्रकार बढ़-चढ़ कर सजाएँ दी जाएँगी। क्रमानुसार सभी की सजाएँ इस प्रकार थीं—

१.	भूपेन्द्रनाथ सान्याल	५ वर्ष की सख्त सजा
२.	बनवारीलाल	४ ,, ,,
३.	दामोदर स्वरूप सेठ	अत्यधिक बीमार होने के कारण जमानत पर रिहा
४.	गोविन्दचरण कर	आजीवन काले पानी की सजा
५.	जोगेशचन्द्र चटर्जी	,, ,,
६.	मन्मथनाथ गुप्त	१४ वर्ष की सख्त सजा
७.	मुकुन्दी लाल	आजीवन काले पानी की सजा
८.	प्रणवेश चटर्जी	४ वर्ष की सख्त सजा
९.	प्रेमकृष्ण खन्ना	५ ,, ,,
१०.	राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी	फाँसी
११.	राजकुमार सिन्हा	१० वर्ष की सख्त सजा
१२.	रामदुलारे त्रिवेदी	५ ,, ,,
१३.	रामकृष्ण खत्री	१० ,, ,,

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

१४.	रामप्रसाद बिस्मिल	फाँसी
१५.	रोशन सिंह	फाँसी
१६.	शचीन्द्रनाथ सान्याल	आजीवन काले पानी की सजा
१७.	सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य	,, ,,
१८.	विष्णुशरण दुबलिश	१० वर्ष की सख्त सजा
१९.	चन्द्रशेखर आज़ाद	फरार घोषित
२०.	अशफाक़-उल्ला खाँ	घूरक मुकदमे में सुनवाई जारी
२१.	शचीन्द्रनाथ बख्शी	,, ,,

वैसे सभी क्रान्तिकारियों ने अपनी-अपनी सजा बड़े धैर्य के साथ सुनी और किसी ने भी भय या घबराहट का प्रदर्शन नहीं किया। कुछ क्षण को किसी के चेहरे के भाव भले ही बदले हों, लेकिन अगले ही क्षण उनके चेहरों पर पहले जैसी मुस्कराहट ही देखी गई। जब ठाकुर रोशनसिंह को उनकी सज़ा सुनाई जा रही थी तो पहले जज महोदय ने उन्हें पाँच वर्ष की सजा सुनाई। ठाकुर रोशनसिंह अँग्रेजी बिलकुल नहीं जानते थे। 'फाइव ईयर्स' तो वे समझ गए और अपने लिए पाँच वर्ष की सजा सुनकर उन्होंने जज के प्रति आक्रोश के भाव भी व्यक्त किए, लेकिन आगे जज महोदय ने जो कुछ बोला, वह उनके पल्ले नहीं पड़ा। उनके पास में विष्णुशरण दुबलिश खड़े हुए थे। उनसे ठाकुर साहब ने पूछा—

"यह अँग्रेज जजवा बकर-बकर का कर गवा ?"

विष्णुशरण दुबलिश ने सोचा कि अपने लिए फाँसी की सजा सुनकर कहीं ठाकुर रोशनसिंह गिर न पड़ें, इसलिए उन्होंने अपना एक हाथ ठाकुर साहब की कमर में डालकर और दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़कर उनके कान में कहा—

"ठाकुर साहब ! जज ने आपको फाँसी की सजा सुनाई है।"

अपने लिए फाँसी की सजा सुनकर ठाकुर साहब का उतरा हुआ चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया और उन्होंने दो बार 'ओम ! ओम !' का

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

जोरदार स्वर में उच्चारण किया और रामकृष्ण खत्री की ओर देखकर कहा—

"इसे कहते हैं न्याय !"

इसके पश्चात् उन्होंने पं० रामप्रसाद बिस्मिल की ओर देखकर कहा—

"क्यों पण्डित ! अकेले-अकेले ही फाँसी पर झूलना चाहते थे। अब ठाकुर भी तुम्हारा साथ देगा।"

सभी की सज़ाएँ सुनाई जा चुकी थीं। पुलिस को उन सबको ले जाने की जल्दी थी, लेकिन कुछ समय तक क्रान्तिकारियों ने जाने से इनकार कर दिया। जो लोग जेल के बगीचे से फूल लाए थे, वे सब में बाँटे गए और फाँसी पाए हुए साथियों के चरणों पर सभी ने फूल बिखेरे और उनके चरण छुए। जो लोग उम्र में बड़े थे उन लोगों ने भी भावावेश में फाँसी की सजा पाए हुए साथियों के पैर छुए। फाँसी पाए हुए साथियों ने सभी को अपने हृदय से लगाया।

क्रान्तिकारियों के कुछ रिश्तेदार भी अदालत में पहुँचे थे। वे तथा कुछ अन्य लोग अपने साथ मिठाइयाँ ले गए थे। उन लोगों ने अपने हाथ से क्रान्तिकारियों को मिठाइयाँ खिलाईं। इसके पश्चात् एक बार फिर 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है' गीत गाया गया। गीत गा चुकने के पश्चात् हमेशा की तरह सब क्रान्तिकारी लॉरियों में बैठकर जेल पहुँच गए।

◇ ◇ ◇

फाँसी की सजा सुनाई जाने के पश्चात् कुछ दिन रामप्रसाद बिस्मिल को लखनऊ की सेन्ट्रल जेल की फाँसी की कोठरी में रखा गया। पूरक मुकदमे के अन्तर्गत मि० बैनेट ने अशफाक़-उल्ला खाँ को फाँसी की सजा और शचीन्द्रनाथ बख्शी को आजीवन काले पानी की सजा सुना दी। अशफाक़ को कुछ दिन लखनऊ सेन्ट्रल जेल की फाँसी की कोठरी में रखा गया। उसकी और बिस्मिल की कोठरियाँ आमने-सामने थीं। दो जिगरी दोस्तों का मिलन मृत्यु से पूर्व एक बार फिर हो गया। बहुधा ही बातें होती रहती थीं। एक दिन फाँसी की

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

सज़ायें माफ कराने के लिए अर्जी देने के विषय में चर्चा छिड़ गई। रामप्रसाद बिस्मिल का कथन था—

"जब क्रान्ति के रास्ते पर हम लोगों ने कदम रखे थे तो उसका अंजाम हम लोगों को मालूम था ही और फाँसी के रूप में वह अंजाम हमारे सामने आ रहा है। देश-भक्ति का जो पुनस्कार हमें मिलने वाला है, हम उससे वंचित नहीं होना चाहते, लेकिन इस गोरी सरकार की काली करतूतों को उजागर करने के लिए ही हम माफीनामा लिखने का नाटक करना चाहते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है अशफाक़ !"

"राम ! इस बारे में मेरा अक़ीदा तो यह है कि मैं खुदाबन्द करीम के अलावा और किसी से माफी नहीं माँग सकता। उस परबरदिगार के आगे हाथ फैलाने में कोई उज्र नहीं, लेकिन जो खुद ही गुनहगार है उसके आगे हाथ फैलाने के लिए मैं कतई तैयार नहीं हूँ।"

"बात तो तुम ठीक कहते हो प्यारे भाई, लेकिन जब खुद सरकार हमें लटकाने के लिये नाटक खेल रही है तो हमें नाटक खेलने में क्यों उज्र होना चाहिए। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारी दया-याचिका और अपीलों का कोई असर नहीं होगा और हमारी सजा बहाल रहेगी, लेकिन इस तरह हम हुकूमत की कलई तो खोल सकेंगे कि वह किसी को माफ कर देती है, किसी की सजा कम कर देती है और किसी की सजा बहाल रखती है। हमारी अपीलों से उसकी दोगली नीति लोगों को मालूम हो जायगी।"

"यह तो लोगों को वैसे ही मालूम है, फिर हम अपनी शान को बट्टा क्यों लगायें ?"

"देखो अशफाक़ ! इस कार्रवाई के पीछे मेरा मक्सद एक और भी है और वह यह कि इसमें कुछ समय लगेगा और हम देखना चाहेंगे कि देश के नौजवान हमें बचाने के लिए कुछ करते हैं या नहीं।"

"देखो राम ! अगर मौजूदा हालात को देखते हुए देश के नौजवान हमें बचाने के लिए कुछ न कर सके तो हमें इसका अफसोस नहीं होना चाहिए।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

देश की आज़ादी के लिए हमने जो अपना फर्ज़ समझा, वह पूरा किया। किसी दूसरे को परख कर फिर अफसोस जाहिर करने की सूरत हम पैदा ही क्यों करें।"

"क्या तुम नहीं मानते अशफाक़ कि जिन्दगी शतरंज़ का खेल है और इस खेल में सामने वाले को मात देने के लिए छोटे मोहरे को पिटवाना भी पड़ता है। इसी तरह से अगर हम अपना कोई मक्सद पूरा करने के लिए कोई नाटक रच लें तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है।"

"बुराई तो सरासर है राम ! यह बात दूसरी है कि तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपने सम्बन्धों का उपयोग करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी आखिरी बात मानने के लिए मैं दोस्ती को कलंकित नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा करते हुए मुझे खुशी नहीं होगी।"

"खैर, मुझे इस बात का फख्र है कि तुमने मेरा कहना मान लिया। अपने उसूलों के खिलाफ काम करने के लिए तुम्हें मैं मजबूर कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं तुमसे माफी माँगता हूँ। आखिर मैंने मुसलमानों में से एक नवयुवक निकालकर भारतवासियों को दिखा दिया, जो सब परीक्षाओं में पूर्णतया उत्तीर्ण हुआ। अब किसी को यह कहने का साहस न होना चाहिए कि मुसलमानों पर विश्वास न करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हिन्दू-मुसलमान के भेद हमारे बनाए हुए हैं, ईश्वर ने तो हम सभी को इन्सान बनाया है।"

◇ ◇ ◇

गोरखपुर सेन्ट्रल जेल की एक तंग कोठरी फाँसी की सजा पाए हुए उन कैदियों के लिए नियत की गई थी जो शासन की दृष्टि में 'महा-भयंकर' समझे जाते थे और फाँसी के पूर्व ही जिन्हें मृत्यु की वेदनाओं का अनुभव कराया जाना आवश्यक समझा जाता था। फाँसी की उस कोठरी की लम्बाई नौ फीट और चौड़ाई भी नौ फीट ही थी। कोठरी के आस-पास दूर-दूर तक कोई वृक्ष नहीं था और सुबह से शाम तक तप-तप कर वह कोठरी भट्टी का रूप धारण कर लेती थी। जो कैदी प्रतिदिन उस भट्टी में कई महीनों तक तपता होगा,

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

उसकी तपोसाधना का सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है। गोरखपुर-जेल की इसी ताप-कोठरी में रामप्रसाद बिस्मिल का स्थानान्तर कर दिया गया था। फाँसी की सजा पाने वाले उनके साथियों में से राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी को गोंडा-जेल, ठाकुर रोशनसिंह को इलाहाबाद-जेल और अशफाक़-उल्ला खाँ को फैजाबाद-जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया था। इन्हीं जेलों में उन्हें फाँसी दी जाने वाली थी।

बिस्मिल का अन्दाज बिलकुल सही निकला। फाँसी की सजा सुनाने के बाद १८ जुलाई १९२७ को अवध-चीफ-कोर्ट में अपील की गई जो ठुकरा दी गई। प्रान्त के गवर्नर को भेजे गए मेमोरियल का भी कोई परिणाम नहीं निकला। वाइसराय महोदय की सेवा में भी याचिका प्रस्तुत की गई, लेकिन वह भी अस्वीकृत होगई। संयुक्त-प्रान्त की कौंसिल के लगभग सभी निर्वाचित सदस्यों के तथा सैकड़ों रईसों, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटों तथा जमींदारों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र भी नामंजूर कर दिए गए। लेजिस्लेटिव असेम्बली के ७८ सदस्यों ने हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र वाइसराय महोदय की सेवा में प्रस्तुत किया, पर उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रिवी कौंसिल में अपील की गई और इंगलैंड के सम्राट की सेवा में भी तार किया गया, पर सभी का वही हश्र हुआ, जो पहले किए गए प्रयत्नों का हुआ था। बिस्मिल को १९ दिसम्बर १९२७ को फाँसी होनी थी। उनके मन में आया कि यदि सम्भव हो तो अपनी आत्म-कथा लिखकर देशवासियों को दे जाऊँ, जो उनके काम आए।

◇ ◇ ◇

गोरखपुर-जेल में वेद-मन्त्रों के उच्चारण के साथ रामप्रसाद बिस्मिल हवन कर रहे थे। उनकी ख्याति सभी जगह दूर-दूर तक फैल गई थी और वहाँ भी उन्हें हवन करने, अपने हाथ से भोजन बनाने और सोने से पहले एक गिलास दूध पीने की सुविधा दे दी गई थी। जब वे हवन कर चुके तो एक वार्डर को उन्होंने अपने सामने खड़ा पाया। बिस्मिल ने पूछा—

"कहिए भाईसाहब ! क्या आज्ञा है ?"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

"पण्डितजी ! मैं आपको क्या आज्ञा दे सकता हूँ, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।"

"हाँ-हाँ, फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं।"

"बात यह है पण्डितजी, कि मेरा इकलौता बेटा बहुत दिन से बीमार है। उसकी उम्र लगभग अठारह वर्ष की होगी। उसकी शादी हो चुकी है और बहू घर में है। जिसने जो बताया, हम उसका वह इलाज कर चुके हैं, लेकिन किसी इलाज से उसे फायदा नहीं हुआ है। अगर उसे कुछ होगया तो हम लोग तो बरबाद हो जाएँगे। आप उसे किसी तरह बचा लीजिए तो हम जिन्दगी-भर आपके गुण गाएँगे।"

"लेकिन भाई साहब आपने अभी तक यह नहीं बताया है कि आपके लड़के को बीमारी क्या है?"

"उसे बीमारी क्या है, यही तो किसी की समझ में नहीं आता। अचानक ही उसके शरीर में कँपकँपी छूटने लगती है और वह डरकर 'बचाओ-बचाओ' चिल्लाने लगता है। लोगों का अन्दाज है कि उसे कोई प्रेत-बाधा है।"

"अच्छा आप चिन्ता न करें। मैं हवन की भस्मि आपको दे रहा हूँ। जब कभी उसे दौरा आए तो थोड़ी सी भस्मि उसे खिला दीजिए। कुछ भस्मि एक शीशी में बन्द करके रख लीजिए और जब वह 'बचाओ-बचाओ' चिल्लाए तो भस्मि की शीशी उसके सामने करके कहिए कि भगवान उसकी रक्षा के लिए पहुँच रहे हैं। उसे स्थानीय आर्य-समाज-मन्दिर में ले जाकर हवन करना सिखाइए और उसे बताइए कि हवन करने वाले से भूत-प्रेत कोसों दूर रहते हैं।"

वार्डर भस्मि लेकर चला गया और जो कुछ उसे बताया गया था, उसी प्रकार उसने किया। वह प्रतिदिन अपने लड़के की तबीयत का हाल बता कर कहता था कि उसे आराम हो रहा है। कुछ दिन बाद वह अपने लड़के को बिस्मिल के पास ले गया और बोला—

"यह वही लड़का है जो आपकी दवा और दुआ से ठीक होगया है।

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

यह आर्य-समाज-मन्दिर में जाने लगा है और अब बिलकुल नए जीवन का अनुभव कर रहा है। हम लोग आपके बहुत एहसानमन्द हैं। कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य बताइए।"

◇ ◇ ◇

कुछ दिन बाद बिस्मिलजी ने उस वार्डर से एकान्त में बात की—

"यह तो आप जानते ही हैं कि इसी जेल में मुझे १९ दिसम्बर को फाँसी हो जाएगी। फाँसी से पहले मैं आपसे कुछ सहायता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फाँसी के पहले मैं अपने अनुभव एक किताब के रूप में लिख जाऊँ। गोरखपुर में मेरे एक मित्र हैं जो कागज-पेंसिल वगैरह आपको देते रहेंगे। मैं जो कुछ लिखूँगा, वह भी आप उन्हें दे सकें तो वह मेरे ऊपर और देशवासियों पर आपका एहसान होगा।"

बिस्मिल की बात सुन कर वार्डर ने कहा—

"पंडितजी, यह काम तो मैं बहुत आसानी से कर दूँगा। दो-तीन दिन बाद ही मेरी ड्यूटी रात की लगने वाली है और महीने भर तक मुझे रात को इस वार्ड का पहरा देना होगा। मैं अपने कोट की जेब में रख कर कोरे कागज और पेंसिल आपको ला दिया करूँगा और जो कुछ आप लिख कर देंगे, वह आपके मित्र को दे आया करूँगा। दिन में कभी-कभी कोठरियों की तलाशी भी होती है। दिन में तलाशी लेने पर आपकी कोठरी में कागज की एक चिन्दी भी नहीं मिलेगी। आप दो-तीन दिन इन्तज़ार करें और फिर अपना काम शुरू कर दें।"

दो-तीन दिन बाद उस वार्डर की रात की ड्यूटी लग गई और उसने बिस्मिलजी को लेखन की सुविधाएँ उपलब्ध करा दीं।

बिस्मिल ने अपनी आत्म-कथा लिखना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने अपने पूर्वजों का संक्षिप्त वृत्तान्त लिखा। जब अपनी पूज्य माताजी पर लिखने उन्होंने अपनी कलम उठाई तो उनका दिल भर आया। स्वयं को प्रकृतिस्थ कर उन्होंने लिखा—

"माँ ! मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

तुम्हारा पुत्र माताओं की माता—भारत-माता की सेवा में अपने जीवन को बलि-वेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कुक्षि को कलंकित न किया, अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तब उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जायगा।"

अपने लेखन-क्रम में बिस्मिलजी ने जब अपने क्रान्तिकारी साथी अशफाक़-उल्ला खाँ का नाम लिखा तो उन्हें लगा, जैसे उनकी लेखनी पवित्र होगई। उन्होंने लिखा—

"तुम्हारे दिल में मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश थी····। तुम एक सच्चे मुसलमान और स्वदेश-भक्त थे····। बहुधा मैंने-तुमने एक थाली में भोजन किए। मेरे हृदय से यह विचार ही जाता रहा कि हिन्दू-मुसलमान में कोई भेद है····। मुझे यदि शान्ति है तो यही कि तुमने संसार में मेरा मुख उज्ज्वल कर दिया····। जैसे तुम शारीरिक बलशाली थे, वैसे ही मानसिक वीर तथा आत्मा से उच्च सिद्ध हुए।"

बिस्मिल लिखते रहे और लिखते ही गए। उनके जीवन का क्रम बदल गया। वे रात को काफी देर तक लिखते और दिन में काफी सोते। फाँसी के दो दिन पहले ही तो उन्होंने अपनी आत्म-कथा लिख कर पूर्ण की। उन्होंने लिखा—

"····आज १६ दिसम्बर १९२७ को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ, जब कि १९ दिसम्बर १९२७ ई० को साढ़े छः बजे प्रातःकाल इस शरीर को फाँसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। अतएव नियत समय पर इहलीला संवरण करनी होगी ही।"

अपनी आत्म-कथा की अन्तिम किश्त फाँसी से दो दिन पूर्व ही बिस्मिलजी ने अपने शुभचिन्तक वार्डर द्वारा गोरखपुर के एक पत्रकार श्री दशरथप्रसाद द्विवेदी के पास पहुँचा दी।

◇ ◇ ◇

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

फाँसी से एक दिन पूर्व का दिन १८ दिसम्बर १९२७ ई०। अपने पुत्र से आखिरी भेंट के लिए रामप्रसाद बिस्मिल के पिता गोरखपुर की सेन्ट्रल-जेल पहुँचे। वे बिस्मिल की माताजी को अपने साथ नहीं ले गए। उनका चिंतन था बिस्मिल की माताजी अपने पुत्र के चिर-बिछोह का आघात सहन नहीं कर सकेंगी और कोई ऐसा कारुणिक दृश्य उपस्थित कर देंगी जो उनके पुत्र के लिए दुखदायी होगा। पर यह क्या, जब वे जेल के फाटक पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। इसी समय बिस्मिल की पार्टी का शिव वर्मा नाम का एक नौजवान भी वहाँ पहुँचा। वह बिस्मिलजी से भेंट करना चाहता था, लेकिन मुश्किल यह थी कि जेल के नियमानुसार उसे भेंट करने की पात्रता नहीं थी। वह उदास होकर कुछ सोचने लगा। उसे उदास देख कर बिस्मिल की माताजी ने पूछा—

"क्यों बेटे ! तुम यहाँ किसलिए आए हो और उदास क्यों हो ?" शिव वर्मा का उत्तर था—

"माँ ! मैं बिस्मिलजी की पार्टी का आदमी हूँ और उदास इसलिए हूँ कि उनका निकट का रिश्तेदार न होने के कारण उनसे मेरी भेंट नहीं हो सकेगी।"

माँ ने कहा—

"अरे ! तुम व्यर्थ ही चिन्ता कर रहे हो। तुम खामोश रहना। कोई पूछेगा तो मैं कह दूँगी कि यह मेरी बहिन का लड़का है। तुम्हारा नाम क्या है बेटे।"

"माँ ! मेरा नाम शिव है।"

"अच्छा, देखो वे जेलर साहब आ रहे हैं, तुम मेरे बिलकुल पास खड़े हो जाओ।"

जेलर साहब आए और वे बिस्मिल के माता-पिता और उस नौजवान को बिस्मिल की कोठरी के सामने ले गए। अपने फाँसी पाने वाले पुत्र

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

को देख कर बिस्मिल के पिता रोने लगे। बिस्मिल ने उन्हें समझाते हुए कहा—

"पिताजी ! आप पुरुष होकर भी रो रहे हैं। माँ की ओर देखिए। ये नारी और मेरी माँ होकर भी धैर्य धारण किए हुए हैं। आप इनके धीरज को डिगाइए नहीं। समझ लीजिए कि मेरा और आपका इतने दिन का ही साथ था। देश के लिए प्राणों का त्याग कर रहा हूँ। यह रोने की नहीं, गर्व करने की बात है।"

जैसे-तैसे बिस्मिल ने अपने पिता को धैर्य बँधाया। जब उन्होंने माँ की ओर देखा और 'माँ !' शब्द का उच्चारण किया तो स्वयं धैर्य खो बैठे और रो दिए। उन्हें रोता देख माँ ने उनसे कहा—

"मैं यह क्या देख रही हूँ राम ! अगर तुमको रोना ही था तो इस रास्ते पर कदम क्यों रखा था। मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, लेकिन इस समय रोकर तुम मेरी कोख को कलंकित क्यों कर रहे हो ?"

रामप्रसाद बिस्मिल नें प्रकृतिस्थ होकर कहा—

"तुम मुझे गलत समझ रही हो माँ। ये आँसू पश्चाताप के, दीनता के या भय के नहीं हैं। तुम जानती हो कि आँच के संपर्क से मक्खन पिघल जाता है। तुम अपने स्नेह की समस्त ऊष्मा लेकर मेरे सामने खड़ी हो तो मेरी भावनाओं का मक्खन पिघले नहीं तो क्या करे। मुझे दुःख इस बात का है कि जीवन में मैं तुम्हें कोई सुख न दे सका। मैं तुम्हें केवल एक ही सुख दे जाऊँगा कि तुम शहीद की माँ कहलाओगी। विश्वास करो कि मैं वीरोचित ढंग से फाँसी का फन्दा चूम कर तुम्हारी कोख को उज्ज्वल कर जाऊँगा।"

"शाबास बेटे ! मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ सुनो, यह नौजवान तुम्हारी पार्टी का है। इसके साथ भी कुछ बातें कर लो।"

शिव वर्मा ने स्वयं ही सींखचों के बिलकुल निकट पहुँचकर बिस्मिलजी से कहा—

"आपने अपनी आत्म-कथा के जो पृष्ठ भेजे हैं, वे सब श्री दशरथप्रसादजी

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

को मिल गए और अब वे मेरे पास हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि श्री गणेशशंकर जी विद्यार्थी के सहयोग से आपकी आत्मकथा शीघ्र ही छप कर देशवासियों के हाथों में पहुँच जाएगी।"

"मैं आश्वस्त हुआ और अब निश्चित रूप से अपने देशवासियों से विदा ले सकूंगा।"

मुलाकात का समय समाप्त हो चुका था। जेलर साहब इसकी सूचना देने उन लोगों के पास पहुँच गए। अपने कलेजों पर पत्थर रख कर माता-पिता ने अपने पुत्र से विदा ली। रामप्रसाद बिस्मिल सींखचों को पकड़े हुए उन तीनों को उस समय तक देखते रहे, जब तक वे दृष्टि से ओझल नहीं होगए।

◇ ◇ ◇

जेल का कैदी रसोइया एक गिलास दूध लिए हुए बिस्मिल की कोठरी के सामने पहुँचा। उसने पहरा दे रहे, वार्डर से कहा कि चाबी लाकर दरवाजा खोलिए और पंडितजी को दूध दे दीजिए। वार्डर चाबी लाने के लिए मुड़ने वाला ही था कि बिस्मिलजी ने उसे जाने से मना करते हुए कहा—

"चाबी लाने की तकलीफ मत कीजिए। आज मैं दूध नहीं पिऊँगा।"

कैदी रसोइया जो दूध लाया था, उसने कहा—

"पंडितजी, कल सुबह तो आपको फाँसी होने वाली है। आज आखिरी बार मेरे हाथ से दूध पी लीजिए।"

बिस्मिलजी ने उत्तर दिया—

"नहीं भाई ! अब तो मैं अपनी माँ का दूध ही पिऊँगा।"

कैदी रसोइया इस कथन का अर्थ नहीं समझ सका। पास खड़ा वार्डर भी उस कथन का अर्थ लगाने की चेष्टा करने लगा।

उन दोनों की हैरानी दूर करने के लिए बिस्मिल ने कहा—

"अरे भाई ! मेरा पुनर्जन्म होगा और मुझे विश्वास है कि मुझे मानव

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

देह ही मिलेगी। जिस माता के गर्भ से मेरा जन्म होगा, वह मुझे दूध पिलाएगी।"

वार्डर के मुँह से निकल गया—

"पंडितजी आप धन्य हैं। इस जेल में आकर और मुझे सेवा का कुछ अवसर देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। और कोई सेवा हो तो बताइए।"

"बस आखिरी बार आपको कष्ट दे रहा हूँ। वैसे तो मैं प्रातः चार बजे नियमानुसार उठ ही बैठता हूँ पर सुबह आप तीन बजे मुझे जगा दें। फाँसी के पूर्व ही स्नान और हवन आदि से निवृत्त होना चाहूँगा।"

अभी तक कैदी रसोइया दूध का गिलास लिए हुए खड़ा था। उसकी तरफ देखकर बिस्मिलजी ने कहा—

"भाई, मेरी तरफ से यह दूध आज आप पी लीजिए। मुझे आशा है, आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे।"

कैदी रसोइए ने कहा—

"पंडितजी ! इस गिलास से आप हाथ लगा दीजिए। फिर यह मेरे लिए प्रसाद हो जाएगा।"

पंडितजी ने उसकी इच्छा की पूर्ति कर दी और उन दोनों से विदा ली।

◇ ◇ ◇

वह १९ दिसम्बर १९२७ ई० की सुबह थी। पं० रामप्रसाद बिस्मिल प्रातः छः बजे तक अपने प्रातःकर्म और हवन आदि से निवृत्त होकर जेलर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जेलर उनकी कोठरी के सामने पहुँचा और बिस्मिलजी ने प्रसन्न मुद्रा में उससे नमस्ते की। जेलर ने कोठरी का ताला खोला और उन्हें साथ चलने का संकेत किया। शेर की चाल चलते हुए

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

बिस्मिलजी जेलर के साथ फाँसी के तख्ते के सामने पहुँच गए। तख्ते पर चढ़ने के पूर्व उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा—

"मालिक ! तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे,
बाकी न मैं रहूँ, न मेरी आरजू रहे।
जब तक कि तन में जान, रगों में लहू रहे,
तेरा ही ज़िक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे।"

उन्हें फाँसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। उनके सामने कुर्सी पर गोरखपुर का अँगेज जज था। औपचारिकता के नाते उसने पूछा—

"What is your last desire?" (आपकी आखिरी इच्छा क्या है ?)

बिस्मिलजी ने तड़पकर उत्तर दिया—

"I wish the downfall of British Empire." (मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ।)

जज महोदय के तेवर बदल गए। उन्होंने जल्लाद को संकेत किया। जल्लाद बिस्मिलजी की तरफ बढ़े, इसके पूर्व उन्होंने गायत्री मंत्र पढा और तीन बार 'ओ३म्' का नाद किया। जल्लाद ने उन्हें टोप पहनाया और नीचे पहुँच कर लीवर खींच दिया। लीवर खिचते ही तख्ता झटके के साथ नीचे गिरा और बिस्मिलजी की देह फन्दे पर झूल रही थी। उनकी आत्म-कथा के अन्त में लिखी गई उनकी पंक्तियाँ वातावरण में गूँज रही थीं—

"मरते बिस्मिल, रोशन, लहरी, अशफाक़ अत्याचार से,
होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से।"

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

कवि-परिचय

नाम : श्रीकृष्ण 'सरल'

जन्म : ८ जून १९२१, अशोक नगर (गुना), म० प्र०

कार्य-क्षेत्र : शिक्षा-महाविद्यालय के प्राध्यापक पद से मुक्त।

कृतियाँ : चार महाकाव्य :—

१. **सरदार भगतसिंह,**
२. **चन्द्रशेखर आजाद,**
३. **जय-सुभाष,** और
४. **शहीद अशफाक़ उल्ला ख़ाँ।**

विशेष : गद्य और पद्य की ४३ कृतियाँ प्रकाशित। नेताजी सुभाष पर लेखन के लिए दक्षिण-पूर्व-एशिया के देशों का निजी व्यय से भ्रमण।

क्रान्तिकारियों की सम्मतियाँ :

"श्री सरल जी जीवित शहीद हैं। उनकी साहित्य-साधना तपस्या-कोटि की साधना है।"

—**महान् क्रान्तिकारी स्व० पंडित परमानन्द**

◇ ◇ ◇

"महाकवि दिनकर की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए सरल जी ही देश के सशक्त राष्ट्रीय कवि हैं।"

—**महान् क्रान्तिकारी श्री मन्मथनाथ गुप्त**

◇ ◇ ◇

"देश के संकट के समय सरल-साहित्य के बम बहुत काम आयेंगे।"

—**महान् क्रान्तिकारी और आजाद के साथी**
श्री सदाशिवराव मलकापुरकर

◇ ◇ ◇

"श्री सरल जी को यदि दीवाना कवि कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।"

—**कर्नल गुरुबख्शसिंह ढिल्लन (आई० एन० ए०)**

संपर्क-सूत्र : श्रीकृष्ण 'सरल', १८ दशहरा मैदान (A), उज्जैन, मध्यप्रदेश

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org